शुक्रवार ३ दिसंबर १९५४

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक-सभा

शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम

*६८७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं, जिन्हों ने अब तक राज्य वित्तीय निगम अधिनियम १९५१ के अधीन वित्तीय निगम स्थापित कर लिये हैं ; और

(ख) निर्मित पूंजी का कितने प्रतिशत रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]

सरदार हुक्म सिंह : विवरण से पता चलता है कि अभी तक (क) भाग के दस राज्यों में से छः ने और (ख) भाग के आठ राज्यों में से तीन ने इन निगमों की स्थापना की है । क्या इस के कोई

विशेष कारण हैं कि अन्य राज्यों ने निगम स्थापित नहीं किये ?

श्री ए० सी० गुहा : लगभग अन्य सभी राज्य अपनी योजनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं । कुछ राज्यों की योजनाएं विचाराधीन हैं; प्रायः योजनाओं को पुनरीक्षण के लिये लौटा दिया जाता है । लगभग सभी राज्य उन निगमों की स्थापना के लिये कार्यवाही कर रहे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या किसी (ग) भाग के राज्य ने निगम की स्थापना के लिये किसी पड़ौसी राज्य से साझा किया हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : कुछ (ग) भाग के राज्यों को किसी दूसरे (क) भाग या (ख) भाग के राज्यों के साथ मिल जाने के लिये कहा गया था; परन्तु मैं नहीं समझता कि (ग) भाग के सब राज्यों का पड़ौसी बड़े राज्यों से मिलना संभव होगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस निगम की आर्थिक सहायता करने के हेतु केन्द्र की ओर से किसी राज्य को कुछ ऋण दिया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : इन वित्तीय निगमों के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से २ १।२ करोड़ रुपये की राशि निश्चित् की गई है ; जिस में से एक करोड़ ७५ लाख रुपये की राशि इस वर्ष के लिये निश्चित की गई है और अभी तक केवल तीन राज्यों ने इस ऋण का लाभ उठाया है ।

अतिरिक्त सामान का बेचा जाना

*६८८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभा पटल पर एक विवरण रखेगी, जिस में यह बताया गया हो कि किन किन आर्डिनेंस डिपो तथा अन्य स्थानों पर कितना-कितना ऐसा माल व सामान है, जिसे सेना की आवश्यकता से अधिक घोषित कर दिया गया है ;

(ख) इस सामान और माल में से कितना ऐसा है जिस को सरकार ने बेचने के लिये उत्सर्जन (डिस्पोज़ल) विभाग को सौंप दिया है ;

(ग) इस सामान का स्वरूप क्या है; और

(घ) क्या कारण है कि उत्सर्जन विभाग इतने समय से इस को नहीं बेच सका ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) से (ग). सब डीपुओं की फालतू वस्तुओं की सूची कई पृष्ठों में आयेगी और विविध गुण-प्रकार के स्टोर (भण्डार) सम्मिलित हैं । यह अनुमान है कि सभा पटल पर रखने के लिये इन व्योरेवार सूचियों की तैयारी में जितना समय खर्च होगा और प्रयत्न करना पड़ेगा, उस के अनुसार फल-प्राप्ति नहीं होगी । इस सामान में विविध गुण-प्रकार के भण्डार हैं, अर्थात् इंजीनियरी संबंधी, सामान्य तथा मोटर गाड़ी संबंधी भण्डार हैं। उत्सर्जन महानिदेशक को जो माल सौंपा जाता है, उस में प्रति मास अन्तर होता रहता है। १ नवम्बर १९५४ तक जो फालतू माल बेचा नहीं गया था, उस का पुस्तक मूल्य लगभग ३० करोड़ रुपये है ।

(घ) प्राथिमिकता प्राप्त माल खरीदने वालों और राज्य सरकारों में माल की सूचियां परिचारित करने आदि के संबंध में संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय की जो प्रक्रिया थी, उस के द्वारा कुछ विलम्ब हो जाता था । हाल ही में शीघ्र उत्सर्जन करने के लिये प्रक्रिया में संशोधन करने की कार्यवाही की गई है और उन कार्यवाहियों के बहुत अच्छे परिणामों की आशा की जाती है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सत्य है कि फौज का जो सर्प्लस माल है वह दो तीन साल से अधिक हो जाने पर डिस्पोज आफ नहीं हो पाया है ? मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रोसीजर बनाया जा रहा है, उस में कितनी जल्दी काम हो जाने की आशा है ?

श्री सतीश चन्द्र : ऐसा कुछ सामान हो सकता है जो कई सालों से पड़ा हुआ है और अभी तक डिस्पोज नहीं हो पाया है, लेकिन उस के डिटेल्स मैं नहीं दे सकता । अगर आप वर्क्स हाउसिंग ऐंड सप्लाई मिनिस्ट्री से प्रश्न करें तो आप को पता चल सकेगा लेकिन पहली नवम्बर को जो ३० करोड़ की लागत का सामान था उस में से, जो फिगर्स मेरे पास हैं उन के अनुसार, २१ करोड़ ७५ लाख रुपये का सामान सन् १९५४ में डिक्लेअर हुआ था । इसलिये उस में कुल ८ या ९ करोड़ का सामान पिछले साल से चला आ रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री महोदय बता सकेंगे कि पिछले साल के बचे हुए माल में से कितना डिस्पोज आफ हो चुका है और कितना अभी बाकी है ?

श्री सतीश चन्द्र : जैसा मैं ने अर्ज़ किया कि ३० करोड़ रुपये का सामान बाकी है । अप्रैल सन् १९५४ से अक्तूबर

सन् १९५४ तक करीब ९ करोड़ रुपये का सामान डिस्पोज आफ हुआ है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : आर्डिनेंस-डिपो में इतना फालतू माल पड़ा रहने का क्या यह भी एक कारण है कि नया माल मंगवाते समय वास्तविक आवश्यकता से १० प्रतिशत अधिक माल मंगवाया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र : ऐसी बात नहीं है। इस में बहुत सा फालतू माल युद्ध के समय से जमा पड़ा है । पिछले युद्ध के समय बहुत माल खरीदा गया था युद्ध की समाप्ति के पश्चात् वह माल हमारी आवश्यकता से अधिक था ।

सैनिक सामान का विकास

***६८९. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विमान, सैनिक शस्त्र तथा अन्य सैनिक सामान के निर्माण के टेकनिकल विकास के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : सैनिक शस्त्र तथा सामान के विकास तथा निर्माण के लिये कछ योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं । इन योजनाओं का ब्योरा प्रकट करना लोक हित में नहीं है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या इस में कोई विदेशियों से टेकनिकल सलाह ली जाती है ?

श्री सतीश चन्द्र : यदि नये उपक्रम शुरु करने के लिये स्थानीय विशेषज्ञ उपलब्ध न हों तो विदेशी टेकनिशनों को लाना पड़ता है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या माडल शास्त्रों के निर्माण का कोई विचार है ?

श्री सतीश चन्द्र : सरकार की नीति यह है कि जहां तक हो सके, शस्त्रों और सामान के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जाये, किन्तु यह देश के सामान्य औद्योगिक विकास पर निर्भर है ।

बहुत से माननीय सदस्य उठे —

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल सामान्य प्रकार की जानकारी ही प्राप्त कर सकेंगे और इस से सभा के ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी । जैसा कि उन्होंने कहा है, यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

इम्पीरियल वार ग्रेव्ज़ कमीशन

***६९२. श्री एस० एन० दास** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अविभक्त भारत के उन सैनिकों और व्यापारिक नाविकों के लिये, जो दूसरे विश्वयुद्ध में काम आये थे, स्मारक तथा स्थायी कबरस्तान बनाने की किसी योजना को इम्पीरियल वार ग्रेव्ज़ कमीशन द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है और भारत तथा पाकिस्तान द्वारा स्वीकार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की योजना के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं ;

(ग) इस योजना पर अनुमानतया कितना व्यय होगा ;

(घ) इस व्यय को भारत और पाकिस्तान में कैसे बांटा जायेगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य पहलु ये हैं कि प्रत्येक सैनिक का नाम जो कि युद्ध में काम आया था, लिखा जाता है और इस मामले में सब जातियों और वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जाता है । प्रत्येक क़बर

पर एक स्थायी पत्थर या स्मारक लगाया जाता है और मृत व्यक्ति संबंधी विवरण उस पर खोद कर लिखा जाता है। उन भारतीय सैनिकों के नाम जिन का उन की धार्मिक रीतियों के अनुसार दाह-संस्कार किया गया था, उपयुक्त समाधिस्थानों में १८ विशेष रूप से बनाये गये स्मारकों पर खोदा जाता है। उन मृत व्यक्तियों के नाम जिन का कुछ पता नहीं होता विशेष स्मारकों पर खोदे जाते हैं, जिन का ब्योरा निम्न है :—

(१) उन व्यक्तियों के लिये जो नौसेना के थे——बम्बई और चिट्टागांग में।

(२) उन व्यक्तियों के लिये जो सेना के थे—अलामीन, रंगून और सिंगापुर जैसे लड़ाई के क्षेत्रों में स्मारकों पर।

(३) वायु सेना के सैनिकों के नाम अलामीन, सिंगापुर और रनीमीड के स्मारकों पर लिखे जाते हैं

(४) वणिक पोत के कर्मचारियों के लिये—टावर हिल, लन्दन, बम्बई और चिट्टागांग में।

(५) अविभक्त भारत के सशस्त्र बल के उन सदस्यों के नाम जिन की मृत्यु उन क्षेत्रों में हुई थी, जो कि लड़ाई के क्षेत्र नहीं थे दिल्ली और कराची के युद्ध के कविरस्तानों में लिखे जाते हैं।

(ग) अनुमानित व्यय ७,०००,००० पौंड है।

(घ) अविभक्त भारत को अनुपात से जो राशि देनी है, वह इस का ५.४२ प्रतिशत है और भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के बीच करार के अनुसार ३.६३ प्रतिशत राशि भारत द्वारा दी जानी है और १.७९ प्रतिशत पाकिस्तान द्वारा।

श्री एस० एन० दास : इस अनुमानित व्यय को भारत और पाकिस्तान के बीच किस आधार पर बांटा गया है ?

सरदार मजीठिया : यह ७० प्रतिशत और ३० प्रतिशत है, जो कि मोटे तौर पर वह अनुपात है जिस से आस्तियों का बटवारा किया गया था।

श्री एस० एन० दास : मैं आधार जानना चाहता हूं।

सरदार मजीठिया : मैं पहले कह चुका हूं कि यह वही आधार है जिस पर देश का बटवारा हुआ था।

श्री एस० एन० दास : दिल्ली में किस प्रकार के स्मारक बनाये जायेंगे ?

सरदार मजीठिया : मैं ने प्रश्न को पूरा समझा नहीं। मैं ने कहा है कि कुछ पत्थर लगाये जाते हैं। इस के अतिरिक्त कुछ इमारतें खड़ी की जाती हैं ; इन में से एक इण्डिया गेट है जो कि युद्ध स्मारक भी है।

श्री एस० एन० दास : उन भारतीय सैनिकों की कुल संख्या कितनी है, जिन के लिये यह स्मारक बनाये जायेंगे ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं।

अंडेमान में लोगों का बसाया जाना

*६९५. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से भारत से कुल कितने व्यक्ति अंडेमान में बसने के लिये भेजे गये हैं ;

(ख) नये परिवारों को बसाने के लिये कितने एकड़ जंगल साफ किये गये हैं, और

(ग) तीन मुख्य द्वीपों में से किस द्वीप पर अधिकतम व्यक्ति बसाये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) अब तक ३६६६ व्यक्ति अंडेमान भेजे गये हैं और वहां बस गये हैं।

(ख) ५०० एकड़ भूमि साफ की जा चुकी है और १९५५ में लोगों को बसाने के लिये और २००० एकड़ जंगल साफ किये जा रहे हैं।

(ग) मध्य अंडेमान ।

श्री भागवत झा आज़ाद : वहां बसाये जाने के बाद कितने परिवार वापस आ गये हैं और उन के ऐसा करने के क्या कारण बताये गये थे ?

श्री दातार : लगभग ९९ परिवार वापस आ गये हैं क्योंकि वे अपने आप को वहां की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना सके।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि इमारती लकड़ी के जंगल को कोई हानि पहुंचाये बिना वहां कितने परिवार बसाये जा सकते हैं?

श्री दातार : सरकार के सामने जो योजना है, उस के अनुसार वह पांच वर्षों में ४००० परिवार बसाना चाहती है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह सत्य है कि जो लोग पहले अंडेमान में हैं, उन्होंने सरकार से प्रार्थना की है कि परिवार देश के विभिन्न भागों से भेजे जायें किन्तु फिर भी एक ही राज्य से परिवार भेजे जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने बुरा मनाया है ?

श्री दातार : यह ठीक नहीं। सरकार कुछ हद तक अन्य राज्यों को भी अवसर दे रही है और तदनुसार त्रावनकोर-कोचीन के कुछ परिवार वहां गये हैं और कुछ परिवारों के मद्रास और बम्बई से जाने की आशा है ।

श्री ए० एम० थामस : इन में से कितने व्यक्ति शरणार्थी हैं और कितने गैर-शरणार्थी ?

श्री दातार : ७५ प्रतिशत पूर्वी बंगाल के शरणार्थी हैं ।

ज़िला दंडाधिकारी

*६९७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर के विभिन्न जिलों के जिला दंडाधिकारी भारतीय शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अखिल भारतीय अनुज्ञप्तियां जारी नहीं कर सकते ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भाग क, ख और ग राज्यों के सब जिला दंडाधिकारी अनुज्ञप्तियां जारी कर सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में जम्मू और काश्मीर को बराबरी का दर्जा देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) जी हां ।

(ख) जी हां, केवल जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : इस मामले का निर्णय करने के लिये सरकार की राह में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री दातार : पहले भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू किया गया था और प्रश्न यह है कि भारतीय शस्त्र नियम कब लागू किया जाये । इस मामले पर बहुत शीघ्र जम्मू और काश्मीर सरकार से परामर्श किया जायेगा ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जम्मू और काश्मीर से लोग कारबार या मनोरंजन के लिये भारत के अन्य भागों में आते हैं और उनके लिये अपने शस्त्र ले आना बहुत कठिन होता है क्या सरकार इस मामले का शीघ्र निर्णय करेगी ?

श्री दातार : इस प्रश्न का निर्णय भी किया जायेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि भाग क, ख और ग राज्यों में जिला मैजिस्ट्रेट लाइसेंस जारी कर सकते हैं । क्या माननीय मंत्री को विदित है कि भाग क, ख और ग राज्यों में लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत लम्बी है, इस में बहुत देर लगती है और लोगों को लाइसेंस नहीं मिल सकते ?

श्री दातार: यह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है इस का काश्मीर से सम्बन्ध नहीं है किन्तु मैं बताना चाहूंगा कि इन लाइसेंसों को शीघ्र से शीघ्र जारी कर देने का प्रयत्न किया जाता है।

जेट इंजनों का निर्माण

*६९९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जेट इंजन और टैंक बनाने के लिए किसी विदेशी फर्म के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री तीश चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि लेलैंड की एक ब्रिटिश फर्म के कुछ विशेषज्ञों ने, जो अक्तूबर में हमारे देश में आये थे, देश का दौरा किया था ? यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

श्री सतीश चन्द्र : नये उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में बहुत से दल यहां आते हैं । सदन में विस्तृत चर्चा करना कठिन है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : जब रक्षा मन्त्रालय के सचिव हाल में इंग्लैण्ड गये थे, तो क्या उन्होंने इस विषय की चर्चा की थी?

श्री सतीश चन्द्र : उन्होंने बहुत से विषयों की चर्चा की थी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या उनमें से एक विषय यह भी था ?

श्री सतीश चन्द्र : कौन सा ? श्रीमान्, मैंने कहा है कि अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ । मुख्य प्रश्न का यह उत्तर है और यह अनुपूरक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : प्रश्न यह है कि जब रक्षा मन्त्रालय के सचिव हाल में इंग्लैण्ड गये थे, तो क्या उन्होंने वहां की किसी फर्म से जेट इंजनों के निर्माण के बारे में बातचीत की थी ।

श्री सतीश चन्द्र : लेलड की जिस फ़र्म का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उसका जेट इंजनों के निर्माण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

विदेशों को भेजे गए प्रतिनिधि

*७०२. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री निम्न बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४ में अभी तक सरकारी खर्चे पर कितने (१) पदाधिकारी (२) मंत्री तथा (३) संसद् सदस्य विदेशों गए हैं ;

(ख) उन के वहां जाने के उद्देश्य क्या थे; तथा

(ग) उनकी विदेश यात्रा पर उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर सरकार का कुल कितना खर्च आया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री वी० पी० नायर : तो उसका उत्तर आप इस प्रकार से क्यों देते हैं ? प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या सरकार सभा पटल पर उन मन्त्रियों, पदाधिकारियों और संसद् के सदस्यों की सूची रखने की कृपा करेगी जो विदेशों में गए थे । यदि जानकारी इसी समय प्राप्य नहीं थी, तो इसके लिए प्रश्न पूछने वाले को लिख कर बताया जा सकता था ।

अध्यक्ष महोदय : एक विवरण पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री वी० पी० नायर : परन्तु इससे तो हमें उस अवस्था में अपने अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप को अपने प्रश्न फिर से पूछने की अनुमति होगी ।

श्री वी० पी० नायर : उस समय कार्यालय कहेगा कि प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी

*७०३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी (भारत) लिमिटिड ने भारतीय पूंजी को प्रविष्ट करने का निर्णय किया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो कुल कितने प्रतिशत भारतीय पूंजी को इसमें लगाया जायेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) १५·१६ करोड़ रुपये के कुल निर्गमित मूलधन में से अभी तक एक करोड़ रुपये के मूल्य के अंश भारतीयों को बेचने के लिए रखे गये हैं, जो कि कुल निर्गमित धन का लगभग ६·६ प्रतिशत बनता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी ने यह पग इस कारण उठाया है कि सरकार ने उसे इस बात की प्रेरणा की है कि वे अपने निगम में भारतीय पूंजी को भी प्रविष्ट करें ?

श्री एम० सी० शाह : जब उस कम्पनी ने पुनर्संगठन के लिए और इस पूंजी को बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र भेजा तो एक यह शर्त लगा दी गयी कि एक करोड़ रुपये के मूल्य के अंश भारतीय जनता को अर्पित किए जायें ताकि भारतीय पूंजी को उस समवाय में भाग लेने के लिए निमन्त्रित किया जा सके ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कम्पनी द्वारा कितने साधारण अंश इस देश में निर्गमित किए जायेंगे ?

श्री एम० सी० शाह : मूल रूप में इसकी पूंजी ४·१६ करोड़ रुपये थी । यह १९१० में पश्चिमी बंगाल में पंजीबद्ध हुई थी और उस समय इसकी पूंजी रुपयों में थी । उसके पश्चात् दो और समवाय, जिनकी पूंजी सटर्लिंग में भी, पंजीबद्ध हुए । वे थे—तम्बाकू मैनूफैकचरर (भारत) लिमिटिड तथा प्रम्बर्ज़ (भारत) लिमिटिड उन्हें सम्मिलित करने के हेतु इम्पीरियल तम्बाकू समवाय की पूंजी ४·१६ करोड़ रुपये से बढ़ा कर १६ करोड़ रुपये कर दी गई । पहले वह समवाय

एक निजी लिमिटिड समवाय था ; अब इसे एक सार्वजनिक लिमिटिड समवाय बना दिया गया है, और इसीलिए इसके अंश भारतीय जनता को निर्गमित किए गए हैं जो कि उस शर्त के अनुसार हैं, जो कि समवाय को स्वीकृति देते समय लगाई गई थी । मेरे विचार में यही जानकारी मांगी गई है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उन अंशों का निर्गम मूल्य क्या होगा, और क्या उनका दाय-ग्रहण किया जाएगा ?

श्री एम० सी० शाह : १० रुपये ८ आने मूल्य पर भारतीय जनता को अंश निर्गमित किए जाएंगे; उनमें ८ आने वैध तथा अन्य व्यय के रूप में हैं। भारतीय जनता को अर्पित किए गए उन अंशों के दाय-ग्रहण का कोई प्रश्न ही नहीं ।

हिन्दुस्तान विमान कारखाना

***७०५. श्री केशवैयंगार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिन्दुस्तान विमान कारखाना बंगलौर में काम करने वाले विदेशी राष्ट्रजनों के नाम क्या हैं ; तथा

(ख) वे कारखाने में किन विशेष प्रकार के कार्यों की देख भाल करते हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख) .

१. श्री जे० जे० एम० जिओवोस्की	उत्पादन परामर्शदाता ।
२. श्री ए० जांपोलीनो	कारखाने का प्रबन्धक ।
३. श्री डबल्यू सोबल	कारखाने का सहायक प्रबन्धक ।
४. श्री ई० एन० ईसोट	नमूने के विमान तथा उत्पादन सामान के मुख्याधिकारी ।
५. श्री ए० मिल्लर्ड	निर्माण अधीक्षक
६. श्री जे० आर० स्टैंडरिंग	ब्रिटेन में परामर्शदाता ।

श्री केशवैयंगार : क्या मैं जान सकता हूं कि ये व्यक्ति कितने समय से हमारी सेवा में हैं और कितने समय तक यहां रहेंगे ?

श्री सतीश चन्द्र : वे हमारे पास एक संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं । यह संविदा प्रायः तीन वर्ष का होता है, किन्तु यह कालावधि आवश्यकता के अनुसार और अधिक बढ़ाई जा सकती है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : सरकार ने उनके भारत में काम करने के सम्बन्ध में हुए संविदा की समाप्ति के उपरान्त उनके स्थान पर भारत के राष्ट्रजनों को लगाने के लिए क्या प्रबंध किया है ?

श्री सतीश चन्द्र : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि १९४४ में जहां २५० विदेशी विशेषज्ञ थे वहां अब केवल ६ बचे हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मेरा प्रश्न यह नहीं है । क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ...?

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने दो प्रबंधकों--श्री जांपीलीनो और श्री सोबल के नाम लिए हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि वे हिन्दुस्तान विमान कारखाने में कितने समय से काम कर रहे हैं उनका मासिक परिश्रमिक कितना है और क्या उन्हें अपने देश को जाने के लिए किसी प्रकार की निशुल्क यात्रा करने का अधिकार दिया गया है, और यदि ऐसा है तो एक वर्ष में कितनी बार आने जाने का यह अधिकार दिया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : वे लगभग १२ वर्षों से इस सेवा में हैं । सहायक-प्रबन्धक के बारे में स्थिति यह है कि तीन मास के नोटिस पर

उसे नौकरी से हटाया जा सकता है अथवा वह स्वयं तीन मास का नोटिस देकर हमारा कार्य छोड़ सकता है। कारखाने का प्रबंधक इस कार्य को मासिक आधार पर जारी रखे हुए हैं। प्रबंधक का वेतन लगभग ३,८०० रुपये प्रति मास है, और सहायक प्रबंधक का ३,००० रुपये।

बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता

*७०८. **श्री अमजद अली :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता के रूप में आसाम सरकार को कितनी धन राशि दी गई है; तथा

(ख) इस प्रकार से आसाम सरकार को दी गई कुल राशि में से कितना धन (१) उपदान के रूप नें तथा (२) कृषि कार्य के लिए ऋण के रूप में प्रयोग में लाया गया है।

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आसाम सरकार को अभी तक कुछ भी धन नहीं दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अमजद अली : क्या आसाम सरकार ने इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से कुछ धन मांगा है?

श्री बी० आर० भगत : उन्होंने खर्च का प्राक्कलन भेजा है।

श्री अमजद अली : क्या मैं जान सकता हूं कि उन्हें अभी तक यह धन क्यों नहीं दिया गया?

श्री बी० आर० भगत : वास्तव में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में ही नवीन खर्च और वर्ष के शेष धन के प्राक्कलन के आधार पर ही देनगी होती है। पेशगी देनगी कभी नहीं होती।

श्री अमजद अली : क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने इस लेखे में पहले कितना धन खर्चे के लिए ऋण लिया हुआ है, और आज तक कुल कितना धन मांगा है?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने पहले कितना धन खर्चे के लिए ऋण लिया हुआ है, परन्तु मैं बता सकता हूं कि उन्होंने खर्चे का प्राक्कलन कितना भेजा है। ये प्राक्कलन तीन वर्षों के लिए हैं--२० लाख रुपये उपदान के रूप में, ५० लाख रुपये सहायता के लिए ऋण के रूप में, १० लाख रुपये अन्य सहायताओं के लिए, १ करोड़ रुपये पुनर्वास के लिये, १ करोड़ १० लाख रुपये सड़कों के लिए और ४० लाख रुपये सरकारी तथा अन्य भवनों की मरम्मत के लिए।

श्री अमजद अली : अनुदान सहायता के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि वे किस रूप में राशि को वितरित करना चाहते हैं, ब्याज के किस दर पर ये ऋण दिये जायेंगे और क्या इस धन के प्रतिदान का भी कोई प्रश्न है?

श्री बी० आर० भगत : इन विस्तृत जानकारियों के लिए सूचना की आवश्यकता है।

यात्रा-भत्ता नियमों का पुनरीक्षण

*७०९. **श्री एन० एस० जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल गाड़ियों की प्रथम श्रेणी के उत्पादन के उपरान्त प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी क्रमशः किस किस श्रेणी में यात्रा करने के अधिकारी होंगे ;

(ख) क्या उसके उपरान्त प्रथम-श्रेणी के पदाधिकारी तीन पाई प्रति मील के हिसाब

से अतिरिक्त किराया देकर शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों में यात्रा करने के अधिकारी होंगे ; तथा

(ग) क्या सरकार प्रथम श्रेणी के उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए पदाधिकारियों के लिए यात्रा-भत्ता का पुनरीक्षण करने का विचार रखती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग). वर्तमान नियमों और आदेशों के अधीन प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों के ऐसी लाईन अथवा गाड़ी पर, जिसमें प्रथम श्रेणी उत्सादित कर दी गयी है, रेल में स्थान प्राप्त करने के अधिकार के सम्बन्ध में, स्थिति यह है कि दोनों ही प्रकार के पदाधिकारी—प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी (जिनका वेतन ७५० रुपये से अधिक प्रति मास है) तथा द्वितीय श्रेणी के पदाधिकरी (जिनका वेतन लगभग २०१ रुपये से लेक ७५० रुपये प्रति मास है) द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के अधिकारी हैं। तथापि प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को तथा द्वितीय श्रेणी में से भी विशेष वर्गों के पदाधिकारियों को (जैसे आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, तथा प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सेवाओं के पदाधिकारी), जो अन्य लाइनों पर रेल की **प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले वे अधिकारी हैं,** यह अनुमति दी गई है कि वे शीतोष्ण नियंत्रित स्थान और प्रथम श्रेणी के स्थान के किरायों का अन्तर अपनी जेब से देकर शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं।

सभी लाइनों पर प्रथम श्रेणी के पूर्ण रूपेण उत्सादन के उपरान्त इन पदाधिकारियों को रेल की किस विशेष श्रणी में स्थान प्राप्त करने का अधिकार होगा—यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और इसका अन्तिम निर्णय रेल के स्थानों के नये वर्गीकरण के निर्णय के परान्त होगा।

श्री टी० एन० सिंह : क्या प्रथम श्रेणी के दाधिकारियों के लिए वास्तविक किराये के अतिरिक्त देनगी द्वितीय श्रेणी के किराये के आधार पर होगी अर्थात् अतिरिक्त खर्चा अनुपाततः प्रतिशतक के रूप में होगा। अथवा यह प्रथम श्रेणी पर आधारित होगा ?

श्री एम० सी० शाह : किस को प्रतिशतक की देनगी ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझा हूं प्रश्न यह है कि उन पदाधिकारियों के बारे में जिन्हें प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार दिया गया है, परन्तु द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं, क्या उन्हें प्रथम श्रेणी के उत्पादन के उपरान्त, द्वितीय श्रेणी से यात्रा करते हुए प्रथम श्रेणी के आधार पर अतिरिक्त खर्चे का दावा करने का अधिकार दिया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : उन्हें, जो प्रथम श्रेणी से यात्रा करने के अधिकारी हैं, १२ पाई प्रति मील के हिसाब से, जो द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने के अधिकारी हैं, ८ पाई प्रति मील के हिसाब से, जो मध्यम श्रेणी से यात्रा करने के अधिकारी हैं, ४ पाई तथा जो तृतीय श्रेणी से यात्रा करने के अधिकारी हैं, इसके आधे के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा।

श्री टी० एन० सिंह : जो मैंने पूछा था वह यह था, कि खर्चे की शर्त के लिए आधा या एक चौथाई जो कुछ भी दिया जाता है, क्या वह प्रथम श्रेणी के आधार पर होगा या द्वितीय श्रेणी के आधार पर ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा मैंने कहा है, वे जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, परन्तु प्रथम श्रेणी के उत्सादन के कारण उस श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते, आधे के स्थान पर १२ पाई प्रति मील के अधिकारी होंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सेवा पदाधिकारियों पर भी यही यात्रा भत्ता नियम

लागू होंगे अथवा उन्हें कोई विशेष रियायत भी दी जायेगी ?

श्री एम० सी० शाह : सेनापदाधिकारियों के लिये भी यही नियम लागू होंगे ।

भारत का मानचित्र

***७१०. श्री आर० एस० दीवान :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हाल ही में दिल्ली में सूर्य शक्ति और वायु शक्ति पर हुई यूनैस्को गोष्टि के समय बांटे गये भारत के नक्शों में काश्मीर राज्य नहीं दिखाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी है सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७]**

श्री आर० एस० दीवान : क्या यह सत्य है कि पहले यह नकशा एक भारतीय विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया था और उसमें काश्मीर सम्मिलित था परन्तु यूनैस्को मुद्रण विशेषज्ञ के कहने पर उसे निकाल दिया गया ? क्या इसे निकालने से पूर्व भारत सरकार की अनुज्ञा ली गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मैं इन तथ्यों के बारे में नहीं जानता । केवल इतना जानता हूं कि हम से परामर्श नहीं लिया गया । इस नक्शे को तैयार करने में भारत सरकार की सलाह नहीं ली गई । यूनैस्को दक्षिण एशिया विज्ञान सहकारी कार्यालय ने इसे तैयार किया था । उनसे पूछने पर अब पता चला है कि इसे निकालने का उनका विचार नहीं था क्योंकि केवल भारत की मरुभूमि को दिखाना ही अभिप्रेत था जिससे युनैस्को मन्त्रणा समिति का विशेष सम्बन्ध था, इसलिये काश्मीर को निकाल दिया गया है ।

श्री आर० एस० दीवान : क्या यह सत्य है कि गोष्टि से तुरन्त पहले युनैस्को के मुद्रण विशेषज्ञ काश्मीर में एक मास के लगभग रह आये थे ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं यह नहीं जानता, इस विषय में जांच करूंगा ।

श्री आर० एस० दीवान : क्या युनैस्को विशेषज्ञ की सेवा की कालावधि समाप्तहोने वाली थी और उसे बढ़ा दिया गयाहै ? यदि हां, तो कितने वर्ष तक ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मुझे यह विदित नहीं ।

खुदाई (नागार्जुनकोंडा)

***७११. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुनकोंडा (गुंटूर) खण्डहरों में हाल ही में खुदाई का काम आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नागार्जुनकोंडा के भग्नावशेष सुरक्षित रखने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, जहां तक सम्भव हो ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सत्य है कि नन्दीकोंडा परियोजना आरम्भ होने से नागार्जुनकोंडा के खण्डहरों और भग्नावशेषों की खुदाई का काम जारी रखना आरम्भ हो जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, हमारे पास चार पांच वर्ष का समय है । नन्दीकोंडा परियोजना के निर्माण में कम से कम चार पांच

वर्ष और लगेंगे । आशा है कि तब तक यह खुदाई का काम पूरा हो जायेगा ।

श्री रघुरामैया : हाल ही में कौन से विशेष और महत्वपूर्ण भग्नावशेष खोद कर निकाले गये हैं जिन्हें बर्मा ले जाया गया और वहां ले जाने का क्या प्रयोजन था ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मझे विदित है और सम्भव है कि इसमें कोई गलती हो, पुरातत्वों के नमूनों में से कुछ एक अस्थायी रूप से बर्मा भेजे गये हैं । विभिन्न देशों की सरकारों में ऐसी प्रथा चली आ रही है कि पुरातत्वों के रुचिकर नमूने कुछ विशेष देशों को अस्थायी प्रदर्शन के लिये भेजे जाते हैं । इस प्रकार सम्भव है कि इन नमूनों में से कुछ एक बर्मा भेजे गये हों ।

श्री रघुरामैया : सभा सचिव के कथन से मेरी यह पूर्वधारणा हुई है कि उन्हें भारत में लौटा लाया जायेगा । यदि और जब भी वे वापस लाये जायें क्या सभा सचिव इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि इन भग्नावशेषों को नंदीकोंडा बांध के निकटतम रखा जाये क्योंकि आंध्र के लोगों ने इसकी बड़ी मांग की है ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य जानते हैं कि उस स्थान पर एक संग्रहालय है । बांध के पूरा होने पर यह संग्रहालय भी पानी में डूब जायेगा । अतः हमें यह नमूने किसी अन्य संग्रहालय में ले जाने पड़ेंगे जिसका स्थान अभी निश्चित नहीं हुआ है ।

फ़ीरोज़ा

*७१२. **श्री देवगम** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीरोज़े की खानों के ठेकों सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों के निबटारे के लिये समय की कोई सीमा निश्चित है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि ऐसे प्रार्थना पत्रों के निबटारे में प्रायः विलम्ब हो जाता है ; और

(ग) इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) फीरोज़ा के लिये खानों के ठेकों सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों का निबटारा करने में लगे समय के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ;

(ग) खनिज पदार्थों सम्बन्धी रियायतों के लिये प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निबटारा करने की आवश्यकता राज्य सरकारों को समय समय पर अनुभव कराई जाती है ।

श्री देवगम : क्या इस विलम्ब के कारण सरकार के राजस्व में हानि और ठेकेदारों को दुःख नहीं होता ?

श्री के० डी० मालवीय : यह मैं नहीं जानता परन्तु जैसे मैंने पहले कहा, हम राज्य सरकारों को इन प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निबटारा करने के लिये कहते रहे हैं । हम अब भी इस पर विचार कर रहे हैं कि इसका कैसे सुधार किया जाये । इस सम्बन्ध में हमारे मन्त्रालय और राज्य सरकारों के बीच और भी पत्र-व्यवहार हुआ है और हमें आशा है कि दशा सुधर जायेगी ।

मद्रास राज्य में भूतपूर्व सैनिक

*७१४. **श्री वीरस्वामी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में १९५३ और १९५४ (सितम्बर की समाप्ति तक) में कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाई गई; और

(ग) क्या नियुक्तियों के मामले में उन्हें कोई प्राथमिकता दी जा रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ख) १९५३ में सरकारी और निजी सेवाओं में २७४४ भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाई गई और सितम्बर १९५४ तक और १४६० लोगों को ।

(ग) जी हां । उन नियुक्तियों को पुर करने में जिनमें सैनिक प्रशिक्षण एक विशेष अर्हता है भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार प्राथमिकता दे रही है ।

श्री वीरस्वामी : क्या यह सत्य नहीं कि बहुत से ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्हें काम-दिलाऊ दफ़तरों की सहायता से तीन से अधिक वर्ष तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी ?

सरदार मजीठिया : मैं जानता हूं कि बहुत से भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी नहीं मिल सकी क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है । यदि माननीय सदस्य मद्रास प्रदेश के बारे में जानना चाहते हों जिसमें मद्रास, त्रावनकोर कोचीन, मैसूर और कुर्ग सम्मिलित हैं तो वहां ५२१४०९ पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक हैं और उनमें से १०३३७० को नौकरी मिल चुकी है। निस्सन्देह अभी शेष लोग हैं।

श्री वीरस्वामी : क्या राज्य सरकारों को कोई हिदायतें जारी की गई हैं की काम दिलाऊ दफतरों को सिफारिश की जाये कि वे भूतपूर्व सैनिकों को अविलम्ब नौकरियां दिलायें ?

सरदार मजीठिया : नौकरी दफतर इसी प्रयोजन के लिये बनाये गये हैं और वे पूरा यत्न करते हैं परन्तु यह स्वाभाविक है कि उनको खपाने के लिये इतनी अधिक रिक्तियां नहीं होतीं जिन के वे योग्य हों।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों से प्रतीत होता है कि मोटे तौर पर २० प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां मिल गई हैं । मैं जानना चाहता हूं कि बस्तियों की भूमि योजनाओं में कितने भूतपूर्व सैनिक बसाये गये हैं ।

सरदार मजीठिया : मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु इस मंत्रालय से पूछे गये भिन्न प्रश्नों के बारे में हम आंकड़े देते रहे हैं। तत्काल मैं यही बता सकता हूं कि २२ बस्तियों की और योजना है जिसमें अधिक भूतपूर्व सैनिक बसाये जायेंगे ।

छावनी बोर्ड

***७१५. श्री भक्त दर्शन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में विभिन्न छावनी बोर्डों के पास छावनी बोर्डों के पिछले सम्मेलन द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करने के लिये एक गश्ती पत्र भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). हाल ही में सरकार ने छावनी बोर्डों को कोई परिपत्र नहीं भेजा है ।

यह बता देना भी ठीक होगा कि असैनिक क्षेत्र समितियों वाले ऐसे छावनी बोर्डों के उपाध्यक्षों के मार्च, १९५४ में हुए सम्मेलन के पश्चात् सरकार ने निदेश जारी किये जिनमें उसने असैनिक क्षेत्र समितियों को वे शक्तियां सौंपने की सूचना दी जो पहले छावनी बोर्डों को प्राप्त थीं । सब छावनियों में किरायों की प्रमाणिक तालिका पर पुनर्विचार के लिये

और छावनियों में असैनिक क्षेत्रों का विस्तार करने के हेतु तदर्थ समितियां स्थापित करने के आदेश भी दिये गये।

श्री भक्त दर्शन : यह जो विभिन्न छावनी बोर्डों के लिये एडहाक कमेटियां बनायी गयी हैं क्या इनकी समितियों के लिये कोई तारीख निश्चित कर दी गई है और यदि देरी हो जाय तो क्या उनको स्मरणपत्र भेजने का विचार किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : बनाई गई यह समितियां उस काम को देख रही हैं जो इन्हें सौंपा गया है। कुछ मास तक यदि कोई उत्तर न मिला तो मैं उन्हें पुनः स्मरण कराऊंगा।

श्री भक्त दर्शन : छावनी बोर्डों की ओर से जो समितियां दी जायेंगी क्या उनको सर्व सम्मत रूप से मान लिया जायेगा या उनमें मन्त्रालय कुछ संशोधन करेगा ?

सरदार मजीठिया : इन समितियों द्वारा दिये गये सुझावों पर मन्त्रालय उचित रूप से विचार करेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न छावनी बोर्डों से जो समितियां आ जायेंगी उसके बाद उन पर निर्णय करने से पहले इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले संसद् सदस्यों की भी सम्मति ली जायेगी ?

सरदार मजीठिया : इन समितियों से उत्तर मिलने पर मैं इस विषय पर विचार करूंगा। तब मुझे स्पष्ट हो जायेगा कि कौन से विषय विवादास्पद हैं और मैं अवश्य ही उन सदस्यों से परामर्श करूंगा जो इनमें रुचि रखते हैं।

सैनिक राशन

***७१६. श्री तिम्मय्या** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिपाहियों, नाविकों और विमान सैनिकों को दिये जाने वाले राशनों में कोई भेद किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) (क) हां।

(ख) इन तीन सेवाओं में बहुत समय से यह विभिन्न राशन क्रम रहते आये हैं। यह भेद इस तथ्य के कारण है कि प्रत्येक सेवा की दशाओं के आधार परये क्रम स्वतन्त्र रूप से तैयार किये गये थे।

श्री तिम्मय्या : क्या यह तथ्य है कि सिपाहियों को अंडे नहीं मिलते हैं जबकि नाविकों और विमान सैनिकों को मिल रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विशिष्ट वस्तु के विषय में मैं एकाएकी नहीं बता सकता हूं, किन्तु जैसा कि मैंने बताया, अन्तर अवश्य है। यदि वह कैलोरी के बारे में जानना चाहते हों, तो सेना को लगभग ३,७६० कैलोरी तथा नौसेना और विमान बल को लगभग ४,१०० कैलोरी मिलती है।

गोलाबारूद का निर्माण

***७१७. श्री गणपति राम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों ने बन्दूकें, कारतूस और अन्य सैनिक उपकरणों के निर्माण में क्या प्रगति की है ; और

(ख) उस कार्य में शीघ्रता करने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय काम में लाये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) उपलब्ध साधनों की सीमा के अन्तर्गत सैनिक उपकरणों के उत्पादन में आत्मपूर्णता प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की जा रही है।

(ख) सरकारी नीति देशी उत्पादन को यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक बढ़ाने की

है और इस दृष्टिकोण से रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं का बराबर परीक्षण किया जाता है जिससे कि यह देखा जा सके कि आवश्यक उपकरण भारत में कहां तक निर्माण किये जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रविधिविज्ञों के लिए प्रशिक्षण योजनाएं चालू की गयी हैं और कई प्रविधिविज्ञों को अपने ज्ञान और कौशल में सुधार करने के लिये विदेशों को भेजा गया है।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने दिनों में भारत इन सब चीजों में आत्मनिर्भर हो जायगा ?

श्री सतीश चन्द्र : इसके लिए कोई समय निर्धारित करना तो बहुत मुश्किल है।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि जो आर्म्स और एम्युनिशन यहां बनाया जाता है वह दूसरे देशों के मुक़ाबले इनफ़ीरियर होता है या सुपीरियर ?

श्री सतीश चन्द्र : जो सामान बनाया जाता है वह उस सामान से किसी हालत में इनफ़ीरियर नहीं है जो कि बाहर से आता था या जैसा कि और देशों में बनता है।

साहित्यिक वर्कशाप

*७२१. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी प्रदेश के साहित्यक वर्कशापों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की मांगें कहां तक पूरी की जा रही हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**

श्री एन० बी० चौधरी : विवरण से यह ज्ञात होता है कि साहित्यिक कृतियों में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा २१ पांडुलिपियां तैयार की गयी थीं। क्या मैं जान सकता हूं कि ये पुस्तकें सम्बन्धित राज्यों की प्राथमिक पाठशालाओं में अनिवार्यतः जारी की जायेंगी ?

डा० एम० एम० दास : नहीं श्रीमान्। यह पांडुलिपियां प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार की गयी हैं और केन्द्रीय सरकार उन पांडलिपियों का परीक्षण करेगी, और यदि वे उपयुक्त पायी गयीं तब उन्हें प्रकाशित किया जायेगा।

श्री एन० बी० चौधरी : विवरण से मुझे यह ज्ञात होता है कि त्रिपुरा राज्य के कुछ प्रतिनिधि थे, किन्तु त्रिपुरा की भाषा में कोई पांडुलिपि तैयार नहीं की गयी है। इसका क्या कारण है ? हम देखते हैं कि बंगाली, आसामी, मनीपुरी और उड़िया भाषाओं में पुस्तकें बनायी गयी हैं, किन्तु त्रिपुरा की भाषा में कोई पुस्तकें नहीं बनायी गयी हैं।

डा० एम० एम० दास : मुझे उस प्रश्न के लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

नौसेना के जहाज

*७२२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय शाही नौसेना से कुल कितने जहाज़, यदि कोई, ऋण पर हैं ;

(ख) किन किन तारीखों को वे प्राप्त किये गये थे और उनके ऋण की क्या अवधि है ;

(ग) क्या उनके ऋण की अवधि समाप्त हो जाने पर उन जहाजों को खरीद लेने की प्रस्थापना की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितने धन राशि का भुगतान करना है, और इसे किस प्रकार करने की प्रस्थापना है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तीन हन्ट क्लास के फ्रिगेट।

(ख) वे भारतीय नौसेना को ऋण के रूप में २७ अप्रैल, १९५३ को तीन वर्ष की अवधि के लिये हस्तान्तरित किये गये थे।

(ग) इस पर विचार नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री के० सी० सोधिया: क्या मैं जान सकता हूं कि ये जहाज वित्तीय उलझनों पर विचार किये बिना ही ले लिये गये थे ?

श्री सतीश चन्द्र: उन्हें लेने के पूर्व वित्तीय उलझनों पर पूर्ण रूप से विचार कर लिया गया था।

श्री के० सी० सोधिया: क्या मैं जान सकता हूं कि उनको यहां रखने के लिए कितनी धन राशि दी गयी थी ?

श्री सतीश चन्द्र: ये जहाज़ ऋण पर लिये गये हैं और तीन वर्ष बाद उन्हें लौटा देना है। यदि ऋण की अवधि बढ़ा दी गयी तो वे हमारे पास ही रहेंगे। ब्रिटिश सरकार को कोई भुगतान नहीं किया गया है सिवा इसके कि जो उनकी मरम्मत और आधुनिकीकरण पर जो कुछ खर्च हुआ है वह भारत सरकार की ओर से किया गया था।

श्री यू० सी० पटनायक: क्या मैं जान सकता हूं कि इन फ्रिगेट्स की मरम्मत और आधुनिकीकरण पर कितनी लागत आई है ?

श्री सतीश चन्द्र: १,१७,००,००० रुपये।

अंदमान और निकोबार द्वीपों में हिन्दी अध्यापक

*७२३. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह अवगत है कि अंदमान और निकोबार द्वीपों के स्कूलों में हिन्दी जानने वाले अच्छे अध्यापकों की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या वहां इंटरमिडियेट तथा डिग्री कालेज चालू करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) विभिन्न संगठनों तथा सरकारों के माध्यम से मुख्य देश से हिन्दी जानने वाले अध्यापकों की भर्त्ती के लिए अधिकाधिक प्रयत्न किये गये थे, किन्तु परिणाम प्रोत्साहक नहीं थे। इस सम्बन्ध में सरकार अपने प्रयत्न जारी रखेगी।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि भर्त्ती किये जाने वाले अध्यापकों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके द्वीपों में रहने के कारण उन्हें विशेष भत्ते दिए जायेंगे ?

डा० एम० एम० दास: अण्दमान में नियुक्त सभी घोषित अथवा अघोषित पदाधिकारियों को उनके वेतन का ३३॥ प्रतिशत अधिक द्वीप भत्ता या अण्दमान भत्ते के रूप में मिलता है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना में अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वहां एक इंटरमिडियेट कालेज चालू करने के लिए कोई राशि आवंटित की गयी है ?

डा० एम० एम० दास: जहां तक मुझे ज्ञात है, अभी ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह तथ्य नहीं है कि अण्दमान तथा निकोबार द्वीपों को गये इस सभा के सदस्यों के शिष्टमंडल के नेता ने सरकार को यह प्रतिवेदित किया था कि वहां एक कालेज की अतीव आवश्यकता

है क्योंकि द्वीपों से यात्रा कठिन होने के कारण छात्र मुख्य देश में नहीं आ सकते हैं ?

डा० एम० एम० दास : यह तथ्य हो सकता है, श्रीमान् ।

हिन्दी का विकास

*७२४. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रावनकोर कोचीन राज्य को राज्य में हिन्दी के विकास के लिए अभी हाल में कोई अनुदान दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिये गये अनुदान की राशि कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार द्वारा उन अनुदानों के उपयोग के सम्बन्ध में कोई शर्तें निर्धारित की हैं ;

(घ) क्या इसी प्रकार के अनुदान अन्य राज्यों को दिये गये हैं अथवा दिये जाने की प्रस्थापना है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन्हें दिये गये अथवा दिये जाने वाले अनुदानों की राशियां कितनी हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ८८,४४० रुपये ।

(ग) भारत सरकार ने कोई विशिष्ट योजनाएं नहीं रखी हैं, किन्तु पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिन्दी की उन्नति के लिए शिक्षा मन्त्रालय द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुदान दिया गया है ।

(घ) तथा (ङ). हां, श्रीमान् । पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दिये गये अनुदानों के ब्योरे को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । (**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९**) । ये सभी अनुदान वर्ष १९५४-५५ में दिये गये थे ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : इन अनुदानों का आधार क्या है ? क्या विभिन्न राज्यों के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या पर ध्यान दिया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि बताया जा चुका है यह अनुदान उन योजनाओं के आधार पर दिये जाते हैं जो कि विभिन्न राज्यों द्वारा अपने राज्यों में हिन्दी का प्रचार करने के लिये भेजी जाती हैं शर्त केवल यह है कि यह योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली जायें ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों की हिन्दी प्रचार सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये कोई परिमाप किया है ?

डा० एम० एम० दास : राज्य सरकारों को बता दिया गया है कि अनुदानों के दिये जाने से पहले यह आवश्यक है कि वे योजनायें तय्यार करें और हमारे पास स्वीकृति के लिये भेजें । इसलिये राज्य सरकारें स्वयं ही सभी आवश्यक कार्य करेंगी ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : इस का क्या कारण है कि मद्रास को इतना कम दिया गया है और पेप्सू तथा पंजाब को कुछ भी नहीं दिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : पंजाब सरकार की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है । सम्भवतः पेप्सू सरकार की प्रस्थापनायें अभी हमें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

श्री तिम्मय्या : क्या राज्य सरकारें हिन्दी प्रचार के सम्बन्ध में कोई वार्षिक प्रतिवेदन भेजती हैं और क्या केन्द्रीय सरकार उनका परीक्षण करती है ?

डा० एम० एम० दास : जैसा हम पहले बता चके हैं अभी हमने केवल चालू वर्ष अर्थात् १९५४-५५ के लिये ही अनुदान दिये हैं। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर ही हम इन योजनाओं की कार्यान्विति सम्बन्धी प्रतिवेदन मांगेंगे जिससे पता चल सके कि इन योजनाओं को कहां तक कार्यान्वित कर सकी हैं।

श्री ए० एम० थामस : यह प्रश्न विशेष रूप से त्रावनकोर-कोचीन को दिये गये अनुपात के सम्बन्ध में पूछा गया था। क्या त्रावनकोर-कोचीन के माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी एक अनिवार्य विषय बना दिया गया है?

डा० एम० एम० दास : मैं कोई निश्चित उत्तर तो नहीं दे सकता हूं परन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है वहां के माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी एक अनिवार्य विषय बना दिया गया है।

लन्दन स्थित वैज्ञानिक सम्पक अधिकारी

*७२५. **सर ार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंगलिस्तान में नियुक्त हमारे वैज्ञानिक सम्पर्क अधिकारी का पद-स्तर क्या है ; और

(ख) १९५४ में अब तक उसने जो सम्पर्क सम्बन्धी कार्य किया है वह किस प्रकार का है ?

. प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०]**

सरदार हुक्म सिंह : विवरण बताता है कि भारतीय वैज्ञानिक सम्पर्क अधिकारी को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। उसके कामों को १२ मदों में विभाजित किया गया है जिसमें से "व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया" "सम्पर्क प्राप्त किया" तथा "सम्पर्क की व्यवस्था की" तीन का सूची में उल्लेख किया गया है। क्या यह कृत्य अन्य देशों में भी—इंगलिस्तान के अतिरिक्त—पूरे किये जाते हैं तथा वहां इन कृत्यों को करने वाला अधिकारी कौनसा है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक इंगलिस्तान का सम्बन्ध है जो उत्तर दिया गया है वह बिल्कुल निश्चित प्रकार का है।

अध्यक्ष महोदय : अपने इन कार्यों के अतिरिक्त क्या वह अन्य देशों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की सेवायें करता है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहा तक इस अधिकारी का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि उसके कृत्यों में अन्य देशों का कार्य सम्मिलित नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इंगलिस्तान के अतिरिक्त अन्य देशों में यही कार्य हमारे किसी अधिकारी द्वारा—वह राजनैतिक प्रतिनिधि का परामर्शदाता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो— किया जाता है या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं समझता हूं कि सामान्य रूप से ऐसे कार्य अन्य अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : तब फिर इसका क्या कारण है कि केवल इंगलिस्तान में ही एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य देशों में यही कृत्य अन्य अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इस अधिकारी के कृत्य केवल यही नहीं हैं जिनका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है : सम्पर्क स्थापित करना, जानकारी प्राप्त करना तथा अन्य

कार्य । इसके अतिरिक्त और भी विषय हैं, विशेष रूप से हमारी सरकार को वैज्ञानिक मामलों में तथा वैज्ञानिकों से सम्पर्क स्थापित करने में सहायता देना है ।

हाली सिक्का

*७२६. **श्री कृष्णा चार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में हाली सिक्का चलार्थ की छोटी छोटी मुद्रायें अब भी ढाली जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक होता रहेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) नहीं। सितम्बर १९५४ में हाली सिक्का चलार्थ की छोटी छोटी मुद्राओं का ढालना बंद हो गया था ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : १९५४ में तैयार किये गये हाली सिक्का चलार्थ की कुल राशि कितनी है ?

श्री ए० सी० गुहा : १-४-१९५३ को, जबकि हाली सिक्का चलार्थ को मुद्राओं को वापस लेने के निर्णय को कार्यान्वित किया गया था तो कुल परिचालित राशि ४२,१३,००,००० रुपये थी। अक्तूबर १९५४ में अर्थात् चालू वर्ष में यह राशि ८,६८,००,००० रुपये है। इस प्रकार ३३,४५,००,००० रुपये के मूल्य के सिक्के वापस ले लिये गये हैं । मेरे विचार में ढाले गये सिक्कों का मूल्य १ करोड़ रुपये से ऊपर होगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्योंकि उनके स्थान पर अन्य सिक्के नहीं चलाये गये हैं इस लिये छोटे हाली सिक्कों के परिचालन को जारी रखने का उद्देश्य क्या है ?

श्री ए० सी० गुहा : जैसा मैं बता चुका हूं अब इन सिक्कों की ढलाई नहीं होती है । इस वर्ष के सितम्बर मास से यह कार्य बन्द कर दिया गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इन सिक्कों को वापस लेने के परिणामस्वरूप क्या कुछ मजदूर बेकार हो गये थे ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरा तो विचार ऐसा नहीं है ।

टाटा हाइड्रो एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड को ऋण

*७२९. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या टाटा हाइड्रो एलेकट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड ने अपने प्रस्तावित विकास के लिये ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ चल रही बार्ता के विषय में सरकार ने कोई सूचना भेजी है ;

(ख) क्या उक्त ऋण के सम्बन्ध में विश्व बैंक द्वारा मांगे गये ब्याज की दरें, देश में एकत्रित किये जाने वाले सार्वजनिक ऋणों के लिये दी जाने वाली ब्याज की दरों से ऊंची हैं; और

(ग) देश की सुधारी हुई आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या इसकी सम्भावना है कि टाटा हाइड्रो-एलेकट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड ऋण की अपेक्षित धन राशि को देश में एकत्रित करने का प्रयत्न करें?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) हां ।

(ख) यह ऋण बीस वर्ष में लौटाया जाने वाला है तथा इस पर ४ ३/४ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जायेगा । सरकार ने हाल में इस अवधि पर परिपक्व होने वाला कोई ऋण नहीं लिया है । इसलिये विश्व बैंक के ऋण की ब्याज के दरों की

जनिक ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की दरों से कोई तुलना करना सम्भव नहीं है।

(ग) जैसा कि मैंने ३० नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ का उत्तर देते हुए बताया था, उक्त बैंक के टाटा के थर्मल पावर प्लांट के लिये १६ करोड़ २० लाख डालर का ऋण मंजूर कर चुका है। इस ऋण की आवश्यकता इस परियोजना से सम्बन्ध रखने वाले उस खर्चे के लिये है जो विदेशी मुद्राओं के रूप में किया जायेगा। इसलिये जो ऋण देश के भीतर एकत्रित किया भी जा सकता है वह इस कार्य के लिये अधिक उपयोगी नहीं होगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या ली गई ब्याज की दर में बैंक का कमीशन भी सम्मिलित है ?

श्री बी० आर० भगत : हां।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कमीशन कितने प्रतिशत है ?

श्री बी० आर० भगत : कमीशन की दर एक प्रतिशत है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दर सब सदस्य देशों के लिये प्रायः एक जैसी होती है अथवा उसमें कोई असमानता है; यदि कोई असमानता है, तो उसका कारण क्या है ?

श्री बी० आर० भगत : ब्याज की दर अलग अलग देश के लिये अलग अलग नहीं है वरन् विशिष्ट ऋण के अनुसार ही बदलती है। यह इस पर निर्भर करती है कि ऋण किस प्रकार का है, कितने वर्ष के लिये दिया गया है इत्यादि। इन्हीं बातों के अनुसार ब्याज की दर भी बदल जाती है। परन्तु सामान्यतः एक ही प्रकार के ऋणों के ब्याज की दर, जो समान काल के लिये दिये गये हैं, न्यूनाधिक एक जैसी ही होती है।

रक्षा सम्बन्धी कारख़ाने

*७३२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सम्बन्धी कारखाने तथा संस्थापन, २ अक्तूबर, १९५४ को, इन की निर्माण समितियों के परामर्श के बिना ही बन्द कर दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या थे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). २ अक्तूबर को अनिवार्य वेतन युक्त छुट्टी घोषित की गई थी इस लिये उन ल्संस्थापनों की, जहां कि इसे औद्योगिक कर्मचारियों के लिये वेतन छुट्टियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, निर्माण समितियों से परामर्श करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हुआ। जब स्वतन्त्रता दिवस तथा गणराज्य दिवस अनिवार्य वेतन युक्त छुट्टियों की सूची में सम्मिलित किये गये थे तो निर्माण समितियों से परामर्श नहीं लिया गया था।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: क्या यह सच नहीं है कि वर्ष के आरम्भ में इन निर्माण समितियों से सामान्य रूप से परामर्श लिया जाता है कि वे कितनी दिनों की तथा कौन कौन सी छुट्टियां लेंगी ?

श्री सतीश चन्द्र : छुट्टियों की संख्या विहित होती है और मज़दूरों को केवल इस बात का विकल्प दिया जाता है कि वे दो या तीन विशेष छुट्टियों को चुन लें तथा उतने ही दिनों की छुट्टियों को निकाल दें। इस मामले में २ अक्तूबर की छुट्टी इसमें सम्मिलित नहीं की गई थी जैसी कि रक्षा सम्बन्धी संस्थापनों की पुरानी प्रथा थी। उसके स्थान पर मई दिवस रख दिया गया था। अन्य मज़दूरों द्वारा अभ्यावेदन दिये गये कि २ अक्तूबर को छुट्टी होना चाहिये और सरकार ने भी यही

उचित समझा कि इसे अनिवार्य छुट्टी घोषित कर दिया जाये ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मेरे कहने का मतलब यह है कि वे २ अक्तूबर की छुट्टी चाहते हैं । इस को एक राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में समझा जाना चाहिये और साल में जो १४ दिन की छुट्टियां मिलती हैं उनमें इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिये ।

श्री सतीश चन्द्र : २ अक्तूबर की छुट्टी भी स्वतन्त्रता दिवस तथा गणराज्य दिवस की छुट्टियों की श्रेणी में रखी गई है । इसके लिये काम में लाई गई प्रक्रिया अन्य राष्ट्रीय छुट्टियों के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया से भिन्न नहीं है ।

उत्तर प्रदेश तथा आसाम में कोयले तथा लोहे के निक्षेप

*७३६. **श्री गणपति राम** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में कोयले तथा लोहे के भारी परिमाण में निक्षेप पाये गये हैं; और

(ख) इन निक्षेपों में किस क़िस्म का कोयला पाया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१**]

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि और भी जगहों पर कोई ऐसी खोज हो रही है जहां पर कोयला और लोहा प्राप्त हो सके ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, बिहार और वेस्ट बंगाल में तो हमारे देश के सारे कोयले का ८२ प्रतिशत कोयला पाया जाता है, इनके अलावा और जगहों पर भी मिलता है, लेकिन हमारा विभाग इन्हीं जगहों का अन्वेषण, जहां तक उसके डिटेल्स का सम्बन्ध है, कर रहा है । अगर और जगहों पर सुविधा मिलेगी तो वहां पर भी इस सम्बन्ध में अन्वेषण किया जायेगा । लोहे की खानें बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर और मध्य प्रदेश में अधिकतर हैं और इन स्टेटों में जो लोहा मिलता है वह ज़्यादातर बिहार में बोनाई, मयूरभंज, क्योंझर और सिंगभूमि क्षेत्र में मिलता है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मन्त्री महोदय जैसा कि अभी उन्होंने कहा है अगर कोई सुझाव दिया जायगा तो वह इन पदार्थों की खोज मध्य प्रदेश के बस्तर और दूसरी जगहों पर करेंगे और वहां पर कोयले और लोहे को प्राप्त करने के लिये खोज की जायगी ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, कुछ कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में खोज की जा रही है और हमारे कार्यक्रम में वह शामिल भी कर दिया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश के बिजनौर और गढ़वाल ज़िलों की सरहद पर कोयले के एक बड़े भंडार का पता लगा है, और यदि यह बात सत्य है, तो क्या उसके वास्ते आवश्यक कार्यवाही सरकार की ओर से की जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, बड़े भंडार का तो पता नहीं लगा है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने सूचना दी है कि वहां अब की बरसात में कुछ कोयला बह कर आया हुआ ज़रूर दिखाई पड़ा है उस सम्बन्ध में अन्वेषण किया जायगा ।

शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य अनुदान

*७३८. **श्री के० सी० सोंधिया** : क्या शिक्षा मंत्री इन बातों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में (१) इम्पीरियल इंस्टीट्यूट लन्दन और (२) प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा राष्ट्रीय समिति को अनुदान की कितनी रकम दी गई या दिये जाने की प्रस्थापना है तथा संगीतज्ञों, नृत्यकारों तथा कलाकारों को कितनी आंशिक वित्तीय सहायता दी गई है या दिये जाने की प्रस्थापना है ;

(ख) इम्पीरियल इंस्टीट्यूट लन्दन की क्या गतिविधियां हैं ;

(ग) प्रारम्भिक बाल्यावस्था राष्ट्रीय समिति की स्थापना कहां की गई है और उसके सदस्यों के क्या नाम हैं ; और

(घ) भारतीय शिक्षा में उक्त दोनों संस्थाओं द्वारा क्या विशेष अंशदान दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]**

श्री के० सी० सोंधिया : विवरण में यह बताया गया है कि इम्पीरियल इंस्टीट्यूट एक राष्ट्रमण्डलीय मन्च प्रदान करता है और एक राष्ट्रमंडलीय विचार विनिमय की भांति कार्य करता है तथा राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में परस्पर सद्भावना को बढ़ाता है । मैं जान सकता हूं कि क्या इस संस्था में कोई भारतीय कर्मचारी भी सेवायुक्त हैं ?

डा० एम० एम० दास : इसके लिये मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या उस भारतीय इन्स्टीट्यूट में कोई भारतीय भी सेवायुक्त है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न की सूचना चाहते हैं; वह उत्तर देने में असमर्थ हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा राष्ट्रीय समिति कब बनाई गई थी और उसके मुख्य कार्य क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : बाल शिक्षा की विश्व परिषद् ने हमसे अप्रैल १९४९ में भारत में एक राष्ट्रीय समिति बनाने को कहा था जो उक्त परिषद से सम्बद्ध रहेगी । तब हम ने इस समिति को शिक्षा केन्द्रीय परामर्श दात्री बोर्ड की एक उपसमिति के रूप में स्थापित किया ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या उस समिति द्वारा कोई संकल्प पारित किये गये थे ?

डा० एम० एम० दास : हां, श्रीमान् । समिति की बैठक प्रथम बार २८ और २९ अप्रैल, १९५३ को हुई जिसमें अनेक संकल्प पारित किये गये । सिफ़ारिशों की एक लम्बी सूची है ।

बंगाल में तेल की खोज

*७४०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री ११ मई, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३७३ के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्ता समिति ने तेल कम्पनियों के सभी प्रस्तावों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस समय जो कम्पनी काम कर रही है उसका क्या नाम है और उसने क्या खोज की है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). तेल कम्पनियों के प्रस्ताव अभी भी वार्ता समिति के विचाराधीन हैं।

(ग) कम्पनी का नाम स्टेंडर्ड वेकुअम ऑइल कम्पनी है उस की खोज को प्रकट करना अभी समय से बहुत पहले की बात है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हू कि इस काम में जो विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं उनके नाम तथा राष्ट्रीयतायें क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : कौनसा काम ? मैं समझ नहीं सका।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि सर्वेक्षण का कार्य कितना किया जा चुका है और क्या भूभौतिकीय प्रकार का कोई सर्वेक्षण भी किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मुझे ज्ञात है, यदि माननीय सदस्य का संकेत पश्चिमी बंगाल की तलहटियों के सर्वेक्षण की ओर है, तो इस समय कुछ सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और ये सर्वेक्षंण हुगली नदी के दोनों किनारों पर किये जा रहे हैं और इसके बाद एक तीसरा सर्वेक्षण भूभौतिकीय सर्वेक्षण किया जायगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि इतना समय क्यों लग गया है क्योंकि पिछली मई में माननीय मंत्री ने हमें बताया था कि भूकम्पीय सर्वेक्षण किया जा रहा था ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक लम्बी प्रक्रिया है जिसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा है जहां अनेक प्रयोग किये जाने को हैं और अभी हाल ही में स्टेन्डर्ड वेकुअम ऑइल कम्पनी ने दक्षिण पश्चिमी एशिया के कुछ देशों से अपने औज़ार प्राप्त हुए हैं और तब अपना खोज कार्य प्रारम्भ किया है।

श्री मेघनाद साहा : मैं जान सकता हूं कि क्या कोई भारतीय दल भी इस प्रकार का कार्य कर रहा है ? मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं कि भूतत्वीय सर्वेक्षण में पिछले सात वर्ष से एक भूभौतिकीय विभाग है और मैं समझता हूं कि यह समय किसी भी देश के लिये इस प्रकार के सर्वेक्षण के हेतु विशेषज्ञों के एक दल को बनाने के लिये काफ़ी था।

श्री के० डी० मालवीय : तेल के लिये भू-भौतिकीय सर्वेक्षण तुरन्त ही प्रारम्भ करने का कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है। यह सच है कि हमारा एक छोटा सा विभाग है और इस विभाग ने जैसलमेर और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में तेल वाली चट्टानों की क़िस्म को खोज निकालने का कुछ कार्य किया है। किन्तु भू-भौतिकीय खोज कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। वह प्रारम्भ किया जायगा।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

ब्रिटिश सेना के लिये गुरखा रंगरूट अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ श्री साधन गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डमडम हवाई अड्डे से २६ नवम्बर, १९५४ को एक ब्रिटिश फौजी वायुयान को ब्रिटिश सेना के लिये गुरखा रंगरूट मलाया ले जाने की आज्ञा दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) कितने सैनिक कर्मचारी इस प्रकार भेजे गये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) से (ग). ब्रिटिश सरकार से हुए हमारे समझौते के अनुसार हम ब्रिटिश प्राधिकारियों द्वारा नैपाल में भर्ती किये गये गुरुखा सिपाहियों को

नागरिकों के रुप में भारत में होकर जाने की सुविधायें देते हैं। इस समझौते के अतिरिक्त भी नागरिकों के रूप में यात्रा करने वाले सभी लोगों को यह सुविधायें उपलब्ध हैं। छुट्टी पर आने वाले यह गुरखा सिपाही साधारणतया कलकत्ते के मार्ग से नैपाल आते हैं, और छुट्टी समाप्त हो जाने पर उसी मार्ग से वापस जाते हैं। कलकत्ते से वे सामान्यतया समुद्री यात्रा प्रारम्भ करते हैं।

१९ नवम्बर को वैदेशिक कार्य मंत्रालय से ब्रिटिश व्यापार आयोग की ओर से एक असैनिक प्रक्रिया वायुयान के सिंगापुरसे कलकत्ते और वापस कलकत्ते से सिंगापुर तक उड़ाने की अनुमति मांगी गई थी। यह बताया गया था कि यह वायुयान छुट्टी पर आये ५५ गुरखों को नागरिकों के रूप में ले जायेगा और इतने ही गुरखों को उनकी छुटटी समाप्त होने पर वापस भी ले जायेगा। यह बात ब्रिटिश सरकार के साथ हुए हमारे समझौते के अनकूल थी और इस कारण अनुमति दे दी गई थी। जिस वायुयान को काम में लाया गया वह एक असैनिक वायुयान था और उससे जिन यात्रियों ने यात्रा की वह नागरिकों के रूप में आये और गये थे। मै यह भी बता दूं कि ५५ गुरखे आये थे और ५८ वापस गये, इन ५८ गुरखों में १८ पुरुष थे और ४० औरतें तथा बच्चे थे।

श्री साधन गुप्त : मै जान सकता हूं कि क्या नागरिकों के रूप में जाने की इस शर्त का अर्थ केवल यही है कि ये गुरखे फ़ौजी वर्दी में नहीं जायेंगे किन्तु वे मलाया जा कर सैनिकों के रूप में कार्य कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या उन के नागरिकों के रुप में जाने का अर्थ केवल यही है कि वे वर्दी पहन कर नहीं जायेंगे। आरोप यह है कि वे मलाया में सैनिक की हैसियत से भेजे गये थे।

श्री जवाहर लाल नेहरू : जी हां। वे भेजे गये थे। वे मलाया से आये थे। जब मलाया से भारत आने वालों को यात्रा सुविधायें दी जाती हैं, तो वे छुट्टी पर आते हैं और वापस चले जाते है। यात्रा सुविधायें देने का यही उद्देश्य है, अन्यथा ऐसी सुविधाओं का कोई अर्थ ही नहीं होगा ? क्योंकि माननीय सदस्य ने वर्दी आदि के बारे में पूछा है, यह सच है कि वे सैनिकों के रूप में नहीं जाते हैं बल्कि वैयक्तिक रूप में जाते हैं और अपनी वर्दियां नहीं पहनते हैं। परन्तु कभी कभी होता यह है कि यह वर्दी तो पहनते नहीं पर उनके पास वस्त्र कम होते हैं अतः वे कभी कभी कोई पुराना कोट इत्यादि पहन लेते हैं जो किसी बाहर वाले को वर्दी जैसा मालूम होता है।

श्री साधन गुप्त : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि इस बार ये गुरखे, जिनके फोटो प्रकाशित हुए हैं, वास्तव में खाकी फौजी वर्दी में गये थे और संख्या में वे ६८ पुरुष थे स्त्रियां और बच्चे नहीं थे ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : कौन आये और कौन गये ?

श्री साधन गुप्त : ये जो २६ को मलाया गये।

श्री जवाहर लाल नेहरू : वास्तव में मैंने कल ही कलकत्ते के उप आयुक्त से एक और पूछताछ की है और उसने मुझे सूचित किया है कि २५ तारीख को गुरखा सैनिकों का एक जत्था, अपनी पत्नियों और बच्चों समेत, और जिनकी कुल संख्या ५८ थी आया था और अगले दिन सिंगापुर चला गया था। इनमें १८ गुरखा सिपाही थे और ४० स्त्रियां तथा बच्चे थे। कुल संख्या ५८ थी। उन्होंने बताया है कि य सभी व्यक्ति मुफ्तियां पहने हुए थे और कोई भी व्यक्ति वर्दी पहने यात्रा नहीं कर रहा था। जैसा कि मैंने निवेदन किया,

माननीय सदस्य ने उनको कोई पुराना कोट पहने देखा होगा और उसी को वर्दी समझ लिया होगा। इसे वर्दी नहीं समझा जाता है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अब अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं देना चाहता हूं। मैं स्थगन प्रस्ताव को लेता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कुंजरू समिति का प्रतिवेदन

*६९०. { **श्री डी० सी० शर्मा** :
श्री धुलेकर :

क्या रक्षा मंत्री २० सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित इन संख्या ११११ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुंजरू समिति ने, जिसे शिक्षण की अवधि में अधिकारी सेवा छात्रों के अस्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिये नियुक्त किया गया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं। समिति के प्रतिवेदन के स मास के अन्त तक प्राप्त होने की प्रत्याशा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

आय-कर की बकाया

*६९१. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों की आय-कर की बक़ाया कितनी है ; और

(ख) कितनी रक़म वसूल की गई है और कितने कर-दाताओं के विरुद्ध देयधन का भुगतान न करने के कारण कार्यवाही की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) (क) सन् १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ के अन्त में आय-कर तथा अधिकर की बक़ाया क्रमशः १३१·६, १५९·३ और १६९·६ करोड़ रुपये थी।

(ख) इस बकाया में से सन् १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ (३० सितम्बर तक) में वसूल की गई रक़म क्रमशः २९·२, ३०·० तथा १२·८ करोड़ रुपये थी।

जिन कर-दाताओं के विरुद्ध देय रक़म की गैर अदायगी के कारण दंड देकर कार्यवाही की गई थी उन की संख्या १९५१–५२ में १३,२४७ और १९५२–५३ में १९,१७४ थी।

सन् १९५३–५४ में जिन मामलों में ऐसी कार्यवाही की गई है उन की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है। की गई अन्य कार्यवाहियों जैसे प्राप्ति प्रमाण पत्रों तथा धारा ४६ (५क) के अन्तर्गत नोटिसों के जारी किये जाने, के आंकड़े तत्काल ही उपलब्ध नहीं हैं।

गांजे का तस्कर व्यापार

*६९३. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष भारत में अन्य देशों में बहुत अधिक परिमाण में गांजा चोरी छुपे लाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाहियां की गई हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). यह आशंका की जाती है कि भारत-नेपाल सीमा पर गांजे का थोड़ा बहुत तस्कर व्यापार किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती राज्यों तथा नेपाल सरकार ने सीमा पर होने वाले गांजे के इस अवैध यातायात को रोकने के लिये विशेष कार्यवाहियां की हैं।

उड़न तश्तरियां

*६९४. **श्री गिडवानी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर, कि हाल ही में दो बार बम्बई के ऊपर एक 'उड़न तश्तरी' देखी गई थी, आकर्षित किया गया है ; और

(ख) क्या बम्बई स्थित ऋतु विज्ञान विशारदों ने भी उसे देखा है और उसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

संश्लिष्ट रक्त प्ररस

*६९८. **डा० रामा राव** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोशाला में रक्त प्ररस (प्लाज़मा) का कोई स्थानापन्न बनाया गया है ;

(ख) क्या उक्त वस्तु से कोई प्रयोग किये गये हैं : और

(ग) यदि हां, तो उन के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सशस्त्र बल मैडिकल कालिज, पूना के सहयोग से कुत्तों पर विस्तृत परीक्षण किये गये हैं।

(ग) परीक्षणों से ज्ञात होता है कि धक्कों का उपचार करने के लिये यह उत्पाद एक परिमिश्रण द्रव (ट्रान्सफ्यूज़न फ्लूइड) की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

पुरातत्व सम्बन्धी विशेषज्ञों का विदेशी प्रतिनिधि मण्डल

*७००. **श्री इब्राहीम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान, ईरान और अन्य मध्यपूर्वी देशों के समान पड़ौसी देशों में भारतीय पुरातत्व सम्बन्धी विशेषज्ञ भेजने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका वहां मुख्य कार्य क्या होगा ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). यह मामला अनुसन्धानावस्था में है।

केन्द्रीय शिक्षा तथा मिट्टी के पात्र सम्बन्ध गवेषणा संस्था

*७०१. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शीशा तथा मिट्टी के पात्र सम्बन्धी गवेषणा संस्था, कलकत्ता में की गई गवेषणा के फलस्वरूप, शीशे का पामान बनाने और मिट्टी के बर्तन बनाने के

काम में आने वाले कच्चे माल का कोई देशी संसाधन मालूम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वे संसाधन क्या हैं; और

(ग) इन उद्योगों के लिये उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३]** ।

शुष्क क्षेत्र गवेषणा सम्बन्धी मंत्रणा समिति

***७०४. श्री बहादुर सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शुष्क क्षेत्र गवेषणा सम्बन्धी यूनेस्को की मन्त्रणा समिति के आठवें अधिवेशन में, जो अक्तूबर १९५४ में नई दिल्ली में हुआ था, जिन देशों ने भाग लिया था, उनके क्या नाम हैं ; और

(ख) उस अधिवेशन में किन किन विषयों पर चर्चा हुई थी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६४]**

राष्ट्रीय योजना ऋण

***७०६. श्री नानादास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में विभागों के प्रशासकीय अध्यक्षों द्वारा राष्ट्रीय योजना ऋण एकत्रित करने के लिये जनता पर दबाव डाला गया है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : नहीं, श्रीमान् ।

इंजीनियरी सम्बन्धी गवेषणा बोर्ड

***७०७. श्री राधा रमण :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग सम्बन्धी गवेषणा बोर्ड द्वारा हाल ही में किये गये सर्वेक्षण से यह पता चला है कि देश में मशीनरी सम्बन्धी इंजीनियरिंग का न तो पर्याप्त विकास हुआ है और न ही इस सम्बन्ध में पर्याप्त गवेषणा हुई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में बोर्ड ने कुछ सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५]**

पुस्तकालयों का विकास

***७१३. ठाकुर युगलकिशोर सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित रूप में पुस्तकालय विकास योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस विषय में कितनी प्रगति की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६]**

भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुनर्संस्थापन निधि

*७१८. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुनर्संस्थापन निधि में से वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की है ;

(ख) प्रत्येक शीर्ष के अधीन कितनी कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ग) १९५४-५५ के लिये इस निधि से कितनी कितनी राशि और किन योजनाओं के लिये मंजूर हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ६७३०३ पये ११ आने ३ पाई।

(ख) सन् १९५३–५४ में विभिन्न शीर्षों के अधीन इस प्रकार खर्च हुआ है :

३५९ भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्संस्थापन तथा शिक्षा के लिये अनुदान और ऋण . .	५६८४३ रुपये ४ आने ३ पाई।
क्वीन मेरी टेक्निकल स्कूल, किरकी में प्रशिक्षुओं के व्यय के लिये अनुदान	२३८७ रु० १२ आने।
पोषण के लिये अमरावती, यवतमाल तथा पंचमढ़ही में स्थित भूतपूर्व सैनिकों के क्लबों को अनुदान . .	३१९३ रुपये ७ आने
विविध	९९३ रुपये ४ आने
सह सचिव का यात्रा भत्ता	१०४६ रुपये
सह सचिव का भत्ता .	२,६०० रुपये
क्लर्क का भत्ता .	२४० रुपये
कुल	६७३०३ रुपये ११ आने ३ पाई।

(ग) उक्त (ख) भाग के उत्तर में वर्णित नामों के लिये, १ अप्रैल १९५४ से ३१ अक्तूबर १९५४ तक की अवधि के लिये इस विधि में से ९५८१० रुपये ७ आने की राशि मंजूर की गई है। इस राशि में ३५००० रुपये की वह राशि भी सम्मिलित है जो बिलासपुर में भूतपूर्व सैनिकों के क्लब एवं ज़िला सैनिकों के कार्यालय, नाविकों तथा विमान चालकों के बोर्ड की इमारत के निर्माण के हेतु पी० डबल्यू० डी० को अग्रिम दी गई है।

मुद्रा

*७१९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने राज्य हैं जहां अभी तक भूतपूर्व देशी राज्यों की मुद्रा चल रही है;

(ख) क्या पुरानी मुद्राओं को बदलने के फलस्वरूप कुछ हानि हुई है ; और

(ग) जो मुद्राएं अब नहीं चलतीं क्या सरकार उनके नाम और उनका ब्योरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) इस समय केवल हैदराबाद राज्य में ही वहां की पुरानी स्थानीय मुद्रा उस राज्य के अन्तर्गत विधिमान्य रूप में चल रही है।

(ख) वापिस ली गई मुद्राओं के अंकित मूल्य और उनके धातु मूल्य के बीच अन्तर होने के कारण जो हानि हुई वह केन्द्रीय सरकार द्वारा सहन की गई है। परन्तु वापिस ली गई मुद्राओं को बदल कर जो भारतीय मुद्राएं प्रचलित की गई थीं, उनके अंकित मूल्य और धातु मूल्य के बीच अन्तर होने से जो लाभ उठाया गया, उससे इस हानि की पूर्ति हो जाती है। चालू मुद्राओं को सामान्यतया जारी करने और वापिस लेने में भी इतनी हानि और लाभ का उपबन्ध किया ही जाता है।

(ग) भूतपूर्व देशी राज्यों की जो मुद्राएं वापस ली जा रही हैं, उनके नाम और ब्योरा बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७]

विदेशों में बैंकों की शाखायें

*७२०. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री ६ अप्रैल १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६१९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग समवाय संशोधन अधिनियम १९५० के अधीन, भारत से बाहर शाखायें खोलने के लिये बैंकों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की आधुनिकतम संख्या क्या है; और

(ख) कितने मामलों में अनुमति दी गई थी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १८ मार्च १९५० से ३१ अक्तूबर १९५४ तक, रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने, बैंकों से भारत से बाहर ३५ ब्रांचें खोलने की अनुमति प्राप्त करने के प्रार्थनापत्र प्राप्त किये हैं।

(ख) भारत से बाहर १२ देशों में २९ ब्रांचें खोलने की अनुमति दी गई थी।

पौण्ड पावना

*७२७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ के अन्तर्गत अब तक किस प्रकार पौण्ड पावना का उपयोग किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : भारत के वैदेशिक लेखा के समूल घाटे को पूरा करने के लिये पौण्ड पावना का उपयोग किया जाता है। मार्च १९५४ की समाप्ति और नवम्बर १९५४ की समाप्ति के बीच लगभग ३२ करोड़ रुपये की लागत का पौण्ड पावना निकाला गया है। ३० जून १९५४ को समाप्त होने वाली त्रैमासिक अवधि के प्रारम्भिक आंकड़ों से पता चलता है कि भुगतान-सन्तुलन में चालू लेखा में १७ करोड़ रुपये तक का घाटा पड़ा है। ३० जून १९५४ के पश्चात् के भुगतान-सन्तुलन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

निवृत्ति वेतन

*७२८. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि निवृत्ति प्राप्त सरकारी पदाधिकारियों को दिए जाने वाले निवृत्ति-वेतन का निर्णय करने में अत्यधिक विलम्ब लग जाया करता है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में ऐसे कितने मामले थे जिन के बारे में निवृत्ति वेतन के रूप में दी जाने वाली राशि का निर्णय करने में तीन वर्ष से अधिक समय लगा है ; तथा

(ग) यदि ऊपर पूछे हुए भाग (क) का उत्तर हां में है तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ग). यह सत्य नहीं है कि निवृत्ति प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के निवृत्ति-वेतन की मंजूरी देने में प्रायः इतना विलम्ब लग जाता है। कुछेक मामले ऐसे भी हैं जिनमें निवृत्ति प्राप्त सरकारी कर्मचारियों की गत सेवाओं के ब्योरे की जांच करने मे कठिनाई आने के कारण कुछ विलम्ब हो गया है। ऐसे मामलों में जहां अधिक विलम्ब लग जाने की आशा होती है, प्रायः कठिनाई से बचने के लिए एक अस्थायी आधार पर कोई प्रत्याशित निवृत्ति-वेतन मंजूर कर दिया जाता है।

निवृत्ति-वेतनों की मंजूरी के कार्य में शीघ्रता लाने के लिए, ऐसा निर्णय किया गया है कि पदाधिकारी अपनी निवृत्तिकी तिथि

से एक वर्ष पूर्व अपने निवृत्ति-वेतन का आवेदन पत्र भेज दें ताकि उनके निवृत्ति-वेतन के पत्रों के निबटारे से सम्बन्ध रखने वाले आवश्यक उपचार तथा जांच पड़ताल आदि निश्चित तिथि से पूर्व ही पूर्ण हो जायें।

(ख) अपेक्षित जानकारी सम्पूर्ण देश में से निवृत्ति-वेतन की मंजूरी देने वाले विभिन्न प्राधिकारियों से एकत्रित करनी पड़ेगी। ऐसा विचार किया जाता है कि ऐसा करने में परिश्रम और समय, प्राप्त होने वाले परिणाम की दृष्टि से समुचित न होगा।

कर्मचारी समितियां

*७३०. **पंडित डी० एन० तिवारी:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों में कर्मचारी समितियां स्थापित की जा चुकी हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इनके सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) बहुत से मन्त्रालयों में कर्मचारी समितियां स्थापित की जा चुकी हैं। अन्य मन्त्रालयों ने भी इस प्रश्न को लिया है, और वहां भी शीघ्र ही समितियां स्थापित हो जायेंगी।

(ख) जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८] प्रत्येक कर्मचारी समिति में एक अध्यक्ष और उसके साथ सरकारी प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि हों हैं। सरकारी प्रतिनिधि मन्त्रालय द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं, और कर्मचारियों के प्रतिनिधि कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

कल्याणवाला समिति की सिफ़ारिशें

*७३१. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या रक्षा मंत्री कल्याणवाला समिति की सिफ़ारिशों से सम्बन्ध रखने वाले ३० अगस्त १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर के सम्बन्ध में उन में से प्रत्येक सिफ़ारिश से लाभ उठाने वाले कर्मचारियों की संख्या, तथा उन पर आने वाले कुल खर्चे का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): जानकारी अभी प्राप्य नहीं है और इसे एकत्रित करने में अत्यधिक परिश्रम और समय लगेगा और प्राप्त होने वाली जानकारी से अपेक्षाकृत इतना लाभ न होगा।

नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम, १८७६

*७३३. **डा० रामा राव:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास उच्च न्यायालय में हाल ही में घोषित इसका निर्णय की ओर दिलाया गया है कि १८७६ नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम की धारा ६ मान्य नहीं है ; तथा

(ख) क्या सरकार अब इस अधिनियम का संशोधन अथवा निरसन करेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी, हां।

(ख) ऐसी कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों को अनुदेश

*७३४. **श्री एन० एस० जैन:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को क्लबों और पार्टियों में मद्यपान से बचने तथा

इस प्रकार के उत्सवों और आमोद प्रमोद के आयोजनों से, जिनमें इस प्रकार का मद्यपान होता है, बचने के लिए कोई अनुदेश जारी किए हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या इस प्रकार के अनुदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) भारत सरकार ने इस प्रकार के कोई अनुदेश जारी नहीं किए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चोरी छिपे माल का लाया और ले जाया जाना

*७३७. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्तुओं के चोरी छिपे लाये ले जाए जाने की रोकथाम के लिए पंजाब में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर विद्यमान चौकियों की संख्या कितनी है ;

(ख) १९५२–५३ और १९५३–५४ में सीमा पर इस प्रकार के चोरी छिपे माल लाने ले जाने के कितने मामले पकड़े गए हैं ;

(ग) इन वर्षों में पकड़ी गयी वस्तुओं का कुल मूल्य क्या है ; तथा

(घ) प्रायः किस प्रकार की वस्तु चोरी छिपे लाई ले जाई जाती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) भारत और पाकिस्तान की सीमा के पंजाब विभाग पर ८ तो भूमि सीमा-शुल्क चौकियां हैं और १६ भूमि सीमा-शुल्क निवारक जांच चौकियां हैं।

(ख) सीमा के इस विभाग पर १९५२–५३ और १९५३–५४ में चोरी छिपे माल लाने ले जाने के क्रमशः १९६ और १९२ मामले पकड़े गए हैं।

(ग) सीमा के इस विभाग पर १९५२–५३ और १९५३–५४ में पकड़ी गयी वस्तुओं का कुल मूल्य क्रमशः १,०३,६७५ रुपये और १,६६,२७० रुपये है।

(घ) इस सीमा से चोरी छिपे लाई ले जाई जाने वाली पकड़ी गई वस्तुओं में मुख्य रूप से सोने और चांदी के धागे, बनावटी रेशम, मलमल का कपड़ा, काली मिर्च, इलायची, लवंग, सोना, चांदी तथा चांदी के सिक्के हैं।

पंजाब में निःशुल्क शिक्षा

*७३९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए पंजाब सरकार को कोई निदेश भेजा गया है ; तथा

(ख) क्या इस प्रकार के अनुदेश अन्य राज्यों को भी जारी किए गए हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

भारत का भूतत्वीय परिमाप

*७४२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ में आज तक भारत-भूतत्वीय परिमाण के द्वारा किन्हीं नवीन क्षेत्रों का भी परिमाप हुआ है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या पैट्रोल तथा अन्य बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति की कोई नवीन आशा प्रतीत होती है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने

वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस०-४६३/५४]

सीमा शुल्क विनियम

*७४३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या वित्त मंत्री १९५४ में अभी तक सीमा शुल्क विनियमों के उल्लंघन के मामलों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : १९५४ में अभी तक सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गई सीमाशुल्क तथा सम्बद्ध विनियमों में होने वाले उल्लंघनों के मामलों की कुल संख्या २६,४९४ है। इन मामलों में समुद्र बहि:शुल्क अधिनियम तथा अन्य अनेकों सम्बद्ध अधिनियमों और विनियमों के उल्लंघन के मामले भी सम्मिलित हैं।

जहाज़ी गोदियों के कर्मचारियों की हड़ताल

*७४४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो अक्तूबर १९५४ को बम्बई में होने वाली जहाज़ी गोदियों के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण क्या थे; तथा

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) रक्षा स्थापनाओं में दो अक्तूबर १९५४ को महात्मा गांधी के जन्म दिन के कारण छुट्टी घोषित की गई थी। अतः उस दिन हड़ताल का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भी कुछेक कर्मचारियों ने तीन अक्तूबर को, इस बात के विरुद्ध हड़ताल कर दी, कि उन्हें रविवार के दिन आधा दिन काम करने के लिए बुलाया जाता रहा है। उन्होंने यह भी मांग की कि २२ सितम्बर १९५४ को काम के घंटों में कप्तान अधीक्षक के कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन में भाग लेने के कारण उन पर जो अधिरोपण लगाया गया था, उसे रद्द कर दिया जाए।

(ख) तत्पश्चात् दोषारोप-पत्र रद्द कर दिए गए, क्योंकि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने, इस दुर्घटना पर लिखित रूप में शोक प्रकट किया और प्रतिज्ञा की कि वे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में अपना पूरा प्रभाव डालेंगे।

सरकारी कर्मचारियों को अनुदेश

*७४५. **श्री एन० एस० जैन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को उद्योगपतियों, व्यापारियों, भूतपूर्व राजाओं और ज़मींदारों आदि धनवान लोगों से सवारी, भवनों आदि के प्रयोग के रूप में आतिथ्यों और अनुकम्पाओं को स्वीकार करने से रोकने के लिए कोई अनुदेश जारी किए हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या उन अनुदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). प्रश्न के भाग (क) में संकेतित निबन्धनों के बारे में कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किये गए हैं। तथापि "सरकारी कर्मचारी आचार नियम" सरकारी कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार का कोई भी उपहार, उपदान, अथवा पुरस्कार स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध करता है। उन नियमों में एक ऐसा उपबन्ध भी है जो गज़ेटिड पदाधिकारियों को प्रशासकीय प्राधिकार के सम्बन्ध में, अथवा निवास या भूमि अधिकार या अपने प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में व्यापार चलाने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से धन-सम्बन्धी आभार ग्रहण करने से प्रतिषिद्ध करता है।

युद्ध निवृत्त सैनिकों का विश्व संघ

*७४६. **श्री एस० एन० दास :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध निवृत्त सैनिकों के विश्व संघ के परिषद् की बैठक में जो कि हाल में वीएना में हुई थी, भारत को प्रतिनिधित्व प्राप्त था और यदि हां, तो किस प्रकार से;

(ख) उसमें किस प्रकार के विषयों की चर्चा की गई थी और क्या निर्णय किए गए थे विशेषकर भारत के सम्बन्ध में; और

(ग) इस संगठन में भाग लेने से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं और क्या वित्तीय या अन्य प्रकार के दायित्व पड़ते हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) विश्व युद्ध निवृत्त सैनिकों के विश्व संघ के परिषद् की बैठक में, जो कि २७ नवम्बर १९५४ को वीएना में हुई थी, भारत का प्रतिनिधित्व श्री डी० एस० ठाकुर, अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संस्था के महा सचिव ने किया था।

(ख) चूंकि परिषद् की बैठक २७ नवम्बर को ही हुई थी, इस लिए यह जानकारी प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सका।

(ग) संघ के दो उद्देश्य युद्ध निवृत्त सैनिकों तथा युद्ध पीड़ितों के हितों की उन से सम्बद्ध विधानों के सम्बन्ध में आपस में जानकारी का आदान प्रदान कर के हर प्रकार के वैधानिक तथा संवैधानिक उपायों से रक्षा करना और युद्ध के कारण अंगहीन सैनिकों के पुनर्वास के लिये कार्यक्रम बनाना है।

इस लिए हमें इन दो दिशाओं में लाभ होने की आशा है। एकमात्र वित्तीय दायित्व लगभग १५०० रुपये की सदस्यता फीस है, जो सम्मिलित होने वाली प्रत्येक संस्था को प्रतिवर्ष देनी पड़ती है।

दिल्ली पुलिस

*७४७. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में दिल्ली के पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) कितने मामलों में जांच की गई है ; और

(ग) कितने मामलों में जांच के परिणामों के बाद कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :

	१९५३	१९५४ (२०-११-५४ तक)
(क)	४३	३३
(ख)	४३	३३
(ग)	२२	९

विदेशी सहायता

५२७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९५४ के अन्त तक विभिन्न योजनाओं के अधीन भारत को विदेशों से कितनी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता तथा ऋण (रुपयों में) प्राप्त हुए हैं ;

(ख) ये राशियां कितनी किश्तों में वापस की जानी हैं ;

(ग) १९५४-५५ में कितनी राशि वापस की जानी है ; और

(घ) अन्तिम किस्त कब दी जानी है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (घ). ३१ मई, १९५४ तक विभिन्न विदेशी सहायता कार्यक्रमों के अधीन भारत में सामान तथा स्टोर के रूप में जो सहायता वस्तुतः प्राप्त हुई है उसका मूल्य लगभग ३७.८ करोड़ रुपय है। चूंकि यह सहायता

अनुदान के आधार पर प्राप्त हुई है, इसलिए प्रश्न के भाग (ख) और (घ) उत्पन्न नहीं होते।

ऋण के सम्बन्ध में, भारत ने ३१ मई, १९५४ तक, अमेरिकन सरकार से गेहूं ऋण लेने के अतिरिक्त, निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, वाशिंगटन से पांच ऋण लिये थे। ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। **[देखिये** परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६९]

विधि पदाधिकारी

५२८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महान्यायवादी और सालिसिटर जनरल के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के अधीन कितने वरिष्ठ विधि पदाधिकारी हैं ;

( ) ऐसे पदाधिकारियों के नाम क्या हैं और वे किन पदों पर नियुक्त हैं ;

(ग) क्या इनमें से कोई पदाधिकारी भर्ती से पहले सालिसिटर का व्यवसाय कर रहा था ; और

(घ) इन पदों के लिए सेवा की शर्तें क्या हैं ?

विधि मंत्री (श्री बिस्वास) : प्रश्न में आने वाले "वरिष्ठ विधि पदाधिकारी" इन शब्दों का अभिप्राय नहीं समझा गया। यह मान लेते हुए कि सदस्य महोदय उन विधि पदाधिकारियों के बारे में जानकारी चाहते हैं जो विधि मंत्रालय के प्रशासनीय नियन्त्रण के अधीन , उत्तर ये हैं :—

(क) दो।

(ख) सर्व श्री एच० के० मंडल और बी० पी० सेठना, जो क्रमशः कलकत्ता और बम्बई में केन्द्रीय सरकार के सालिसिटर हैं।

(ग) जी हां, दोनों व्यवसाय करने वाले सॉलिसिटर थे और अब भी हैं।

(घ) (१) इन सॉलिसिटरों को कलकत्ता और बम्बई में केन्द्रीय सरकार का वह व्यावहारिक विधि सम्बन्धी कार्य, जो उन्हें दिया जाये और जिसमें न्यायालयों के मुकद्दमे भी सम्मिलित हैं, करना पड़ता है। उन्हें इन स्थानों पर स्थित केन्द्रीय सरकार के विभागों को परामर्श भी देना पड़ता है और इन विभागों का स्वत्वान्तर-लेखन काम भी करना पड़ता है। वे इन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के विभागों के परामर्श सम्बन्धी आपराधिक कार्य के लिए भी उत्तरदायी हैं।

(२) प्रत्येक सॉलिसिटर को १००० रुपये मासिक अनुरक्षण-शुल्क दिया जाता है, जिसमें सरकारी काम के लिए, दिया जाने वाला प्रकीर्ण या लाभ व्यय भी सम्मिलित होता है। वसूल हो जाने वाली सॉलिसिटर की फीस के सम्बन्ध में व्यावहारिक मुकद्दमों में केन्द्रीय सरकार को दिये गये सब व्यय को भी वे रख सकते हैं। कलकत्ता में स्थित सॉलिसिटर को अनुरक्षण फ़ीस के अतिरिक्त १५० प्रतिमास का कार्यालय भत्ता भी दिया जाता है।

(३) सॉलिसिटर निजी व्यवसाय कर सकते हैं किन्तु उन्हें किसी राज्य सरकार से अनुरक्षण शुल्क लेने या उन मामलों में जिनका भारत सरकार पर प्रभाव पड़ता हो, किसी पक्ष की ओर से उपस्थित होने या कार्यवाही करने या उसे परामर्श देने की अनुमति नहीं है।

(४) सॉलिसिटरों को निवृत्ति-वेतन या वेतन सहित छुट्टी का अधिकार नहीं है।

सामाजिक कल्याण मंत्रणा बोर्ड, पश्चिमी बंगाल

५२९. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में कोई राज्य सामाजिक कल्याण मन्त्रणा बोर्ड स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बोर्ड ने कोई कल्याण विस्तार परियोजना शुरू की है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। अब तक पांच परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं।

पुस्तकालयों को सहायता

५३०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने १९४७ से अगस्त १९५४ तक कितने पुस्तकालयों को सहायता दी है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय पटल पर रख दी जायेगी।

साहित्यिक कार्य के लिये सहायता

५३१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने १९४७ से अगस्त १९५४ तक किन किन लेखकों को उनकी विपन्नावस्था में सहायता दी है;

(ख) इसी समय में किन किन लेखकों को अपनी साहित्यिक गतिविधि बनाये रखने के लिये वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) भाग ( ) में उल्लिखित लेखकों की पुस्तकों के नाम, मूल्य और उन के प्रकाशकों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय पटल पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम

५३२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** १५ सितम्बर, १९५४ को पूछ गय अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में, एक विवर पटल पर रखने की कृपा करेंग कि जिस म उन विभिन्न आविष्कारों और तरीकों के नाम बतलाय गये हों, जिनका अब तक वाणिज्यक और औद्योगिक रूप से प्रयोग किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न] है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०

सैनिक सामान के कारखाने

५३३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अब तक सैनिक सामान के कारखानों में कितने मूल्य का असैनिक कार्य किया गया है ; और

(ख) इसी अवधि में सैनिक सामान कारखानों में अन्य सरकारी विभागों के लिये कितने मूल्य का माल तैयार किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिसमें बताया गया है कि जनवरी १९५४ से अगस्त १९५४ तक आर्डनेंस कारखानों में असैनिक ग्राहकों और सरकारी विभागों के लिये कितने मूल्य का काम किया गया है, पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१]। सितम्बर से आगे के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

स्त्रियों का विक्रय

५३४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५३-५४ में सरकार का ध्यान स्त्रियों के विक्रय की किन्हीं घटनाओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें ये घटनाएं हुई हैं ;

(ग) इस प्रकार कितनी स्त्रियों को बेचा गया है ; और

(घ) इस प्रकार के विक्रय के सामान्य कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). इस प्रकार की किसी घटना की ओर भारत सरकार का ध्यान नहीं दिलाया गया ।

भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

५३५. श्री डी० सी० शर्मा : क्या रक्षा मंत्री २५ अगस्त, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य की भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि में कितनी राशि जमा की गई ;

(ख) उसके पश्चात् इस निधि में से अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) इसे किस प्रकार व्यय किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) रु० १५७८०१२७/८/६ ।

(ख) ३० सितम्बर, १९५४ तक रु० ३५२३७८५/१२/२ ।

(ग) यह रुपया भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियों पर, भूतपूर्व कर्मचारियों को शिल्पिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, फौजी सरायों व पुस्तकालयों के निर्माण पर, क्षय रोग और दूसरे नाशक रोगों से पीड़ित लोगों को चिकित्सा को सहायता देने पर, अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों को और उन भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को जिन्हें निधि से सहायता मिलती थी सीने की मशीनें खरीद कर देने, भूतपूर्व सैनिकों को भूमि-बस्तियों पर बसाने, यातायात सहकारी समितियों और निधि के प्रशासन के लिये स्थापना भारों पर व्यय किया गया है ।

गांजा

५३६. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष १९५२-५३ और १९५३-५४ में कितनी मात्रा में गांजा पैदा किया गया ;

(ख) उपरोक्त काल में कितना गांजा निर्यात किया गया और भारत में इसकी कितनी खपत हुई ;

(ग) उपरोक्त काल में गांजा का निर्यात करने के अनुज्ञा-पत्र कितने व्यक्तियों के पास थे ; और

(घ) उपरोक्त काल में भारत में गांजे का तस्कर व्यापार करने के कितने मामले पकड़े गये ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १९५२ और १९५३ के पत्री वर्षों की मात्रा क्रमवार ४३६३ मन एक सेर और २३९९ मन २० सेर थी ।

(ख)

निर्यात

गांजे के अलग आंकड़े बताना सम्भव नहीं क्योंकि गांजे और भंग दोनों का निर्यात "भंग" शीर्ष के अन्तर्गत किया जाता है ।

१९५२-५३ और १९५३-५४ में भंग निम्नलिखित मात्रा में निर्यात की गई :

१९५२-५३ . . .	शून्य
१९५३-५४	१३ मन २५ सेर

खपत

१९५२-५३	२१५१ मन ३६ सेर
१९५३-५४	२०५५ मन ७ सेर

१९५२-५३ के आंकड़ों में हिमाचल प्रदेश और कच्छ के बारे में जानकारी सम्मिलित नहीं है और वर्ष १९५३-५४ के आंकड़ों में बम्बई, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कुछ राज्यों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि गांजा निर्यात करने वालों का ब्यौरा राज्य उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है ;

(घ) १९५२-५३ और १९५३-५४ के वर्षों में गांजा के तस्कर व्यापार के पकड़े गये मामलों की संख्या निम्न है :—

वर्ष	**मामलों की संख्या**
१९५२-५३	८६०४
१९५३-५४	८६२६

दिल्ली में हत्यायें

५३७. { **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :**
श्री एल० जोगेश्वर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३ में और १९५४ में सितम्बर तक दिल्ली में कितनी हत्यायें हुई ;

(ख) कितने मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया ; और

(ग) कितने मामलों में अभियुक्तों का पता नहीं चला ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) वर्ष १९५३ में और १९५४ (३० सितम्बर १९५४ तक) में क्रमवार ५९ और ५३ हत्यायें हुई ।

	१९५३	१९५४ (३० सितम्बर १९५४ तक)
(ख)	३६	३१
(ग)	२३	१८ (४ मामलों की जांच की जा रही है) ।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्संस्थापन

५३८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्संस्थापन के लिये उत्तर प्रदेश में मनुनगर स्थान पर एक बड़ी बस्ती बनाने का काम पूरा हो गया है ; और

(ख) पुनः जीवन कार्य आरम्भ करने में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता की और क्या योजनायें हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) अभी नहीं । ३०० एकड़ भूमि को अभी कृषि योग्य बनाया जाना है, ३० निवास गृह, ४ प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूल और एक मिडिल स्कूल अभी बनाये जाने हैं ।

(ख) उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनि की सहायता की अन्य योजनायें निम्नलि हैं :

(१) ज़िला बिजनौर, अफ़ज़लगढ़ बस्ती में भूमि पर बसाना ।

(२) सरकारी, प्राईवेट सेवाओं में नौकरी दिलाना ।

(३) व्यावसायिक शिल्पिक प्रशिक्षण ।

आयकर का परिहार

५३९. **ंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अन्तिम निर्धारण के पश्चात् आय-कर आयकर्ता उन लोगों को आय-कर से मुक्त कर देते हैं जो इस के भुगतान की असमर्थता प्रकट करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार १९५२–५३ और १९५३-५४ में कितने लोगों को मुक्त किया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) नहीं, श्रीमान्; वैध रूप से अन्तिम निर्धारण हो चुकने के पश्चात् कर दाता के असमर्थता प्रकट करने पर उसे मुक्त करना आय-कर आयुक्त की शक्ति में नहीं;

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीयों की विदेशों में लगी पूंजी

*५४०. **श्री गिडवानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दोहरी करारोपण विधियों के कारण भारतीय लोगों द्वारा विदेशों से भारत में पूंजी लाने में अड़चन पैदा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों को पूंजी आयात करने की खुली छट देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि वे उसे वांछित रूप से लगा सकें ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। भारतीय आय-कर अधिनियम के अधीन केवल उन लोगों को जो भारत में रह रहे हैं लाभ भेजने पर ही कर देना पड़ता है। क्योंकि विदेशों में रहने वाले लोग भारत निवासी नहीं होंगे इस लिये भारत भेजे गये धन पर उन्हें कर नहीं देना पड़ता ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सशस्त्र सेनाओं में मितव्ययता

५४१. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वर्ष १९५४ में सब प्रकार की सशस्त्र सेनाओं के लिये मितव्ययता के किन साधनों का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया गया है और उन से वास्तव में कितनी बचत की गई है ; और

(ग) क्या इसके अनुसार कुछ कर्मचारियों की छंटनी करने का सरकार का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). रक्षा सेवाओं पर व्यय का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है और जब कभी सम्भव होता है उन में बचत की जाती है । उदाहरणतः आने जाने, संचार, कार्य सेवाओं, खाद्य वस्तुओं, पेट्रोल और मशीनी तेल, सामान और भंडारों में बचत की गई है। आयुधागार की गुण-प्रकार घटा कर और वेतन कम करके और फालतू वस्तुओं को किसी और ढंग से उपयोगी बना कर बचत की जा रही है । सामग्री को बांधने और उसे रक्षित रखने, भंडारों के रूपाकंन और उनकी मरम्मत और फालतू वस्तुओं को उपयोगी बनाने में भी काफ़ी सुधार किया गया है । इन साधनों से ठीक ठीक कितनी बचत हुई है यह बताना कठिन है परन्तु कुल ६ करोड़ आवर्तक और ४·५० करोड़ मूल बचत का प्रस्ताव किया गया है जिसका कुछ भाग सम्भवतः चालू वितीय वर्ष में प्रकट न हो ।

आर्थिक उत्पादों और औद्योगिक गवेषणा का शब्द कोष

५४२. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक आर्थिक उत्पादों और औद्योगिक गवेषणा के शब्द -कोष के कितने खंड प्रकाशित हो चुके हैं; और

(ख) क्या सारा काम समाप्त हो चुका है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) "वैल्थ आफ़ इंडिया" (भारतीय कच्ची सामग्रियों और औद्योगिक उत्पादों का शब्द-कोष) के निम्नलिखित खंड और भाग अब तक प्रकाशित हुये हैं :—

कच्ची सामग्री	खंड १ (ए-बी)
कच्ची सामग्री	खंड २ (सी)
कच्ची सामग्री	खंड ३ (डी-ई)
औद्योगिक उत्पाद	भाग १ (ए-बी)
औद्योगिक उत्पाद	भाग २ (सी)
औद्योगिक उत्पाद	भाग ३ (डी-ई)।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

समाज कल्याण बोर्ड

५४३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण बोर्ड के कार्यकर्त्ताओं में कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में ऐसे राज्य सहायता प्राप्त संगठनों में पुरुष-बहुलता है या स्त्रीबहुलता ; और

(ग) जनवरी से सितम्बर १९५४ तक के समय में बोर्ड ने कितना व्यय किया और कितने व्यक्तियों की सेवा की ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित) इस प्रकार है :

पुरुष	६३
स्त्रियां	२३

(ख) सहायता प्राप्त संगठनों में कितने कर्मचारी" हैं इसकी सूचना प्राप्त नहीं है । यदि "कर्मचारियों" से माननीय सदस्य का अभिप्राय सदस्यों से है, तो उनमें बहुसंख्या स्त्रियों की है ।

(ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तो स्वेच्छा से कार्य करने वाले समाज कल्याण संगठनों को अनुदान देता है व्यक्तियों को नहीं । जनवरी से सितम्बर, १९५४ तक बोर्ड ने कुल १७,११,३८० रुपये ६ पाई व्यय किये ।

राजस्थान में हवाई अड्डे

५४४. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत विश्व युद्ध में रक्षा मंत्रालय ने राजस्थान में कितने हवाई अड्डे बनाये थे ;

(ख) उन में से कितने अच्छी हालत में हैं ; और

(ग) नाल (बीकानेर) हवाई अड्डे पर कितने मकान बनाये गये थे और उन में से अब कितने अच्छी हालत में हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ६।

(ख) ४ ।

(ग) नाल का हवाई अड्डा वायु बल के लिये तत्कालीन बीकानेर सरकार के जनवास्तु विभाग द्वारा बनाया गया था । हवाई अड्डे पर कितने मकान बनाये गये थे इस की सूचना वह विभाग नहीं दे सकता है क्योंकि उसके पुराने अभिलेख सरलता से प्राप्त नहीं हैं । वह हवाई अड्डा मई १९४८ में राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर दिया गया था और १९५०-५१ में उसे २६ मकानों सहित, जो अच्छी दशा में थे भारतीय वायु सेना द्वारा वापस ले लिया गया था :

प्रविधिक शिक्षा

५४५. **श्री इब्राहीम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विद्यार्थियों को जो भारत में प्रविधिक शिक्षा प्राप्त करते हैं ऋण देने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों के दिये जाने की क्या शर्तें हैं ; और

(ग) १९५२-५३ और १९५३-५४ में इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों की राज्य वार संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :

(क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

सूर्य-तापक

५४६. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अक्टूबर १९५४ के महीने में भारत में निर्मित सूर्य-तापक को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन के टेलीविजन विज्ञान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शित किया गया था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : हां श्रीमान् ।

पिछड़े वर्गों (मैसूर) को छात्रवृत्तियां

५४७. **श्री केशवैयंगार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में पिछड़े वर्गों तथा हरिजनों को छात्रवृत्तियां देने के हेतु मैसूर राज्य को केन्द्र द्वारा कुल कितनी रक़म दी गई ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : अनुसूचित जातियों, अनसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां देने की भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधि में से राज्यों को कोई रकम आवंटित नहीं की जाती है । १९५२-५३ से मैसूर राज्य के अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियों पर हुये व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२]**

कोरापुट जिला (उड़ीसा) में कच्चा लोहा

५४८. **श्री संगण्णा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा के कोरापुट जिले के अमरकोट क्षेत्र में कच्चा लोहा प्राप्य है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई प्रतिवेदन मांगा गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). प्राप्त सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३]**

उज्जैन में खुदाई का काम

५४९. **श्री राधेलाल व्यास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष उज्जैन में पुरा-तत्व सम्बन्धी खुदाई के लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना के लिये कितनी रक़म स्वीकार की गई है ; और

(ग) यह कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) १०,००० रुपये ।

(ग) जनवरी १९५५ में ।

समाज कल्याण संगठनों को सहायता

५५०. **श्री राम दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में देश में सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य करने वाले समाज कल्याण संगठनों को ऋण अथवा अनुदान के रूप में कितनी रक़म दी गई ; और

(ख) इन संगठनों के नाम राज्यवार क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]

सेना में पदोन्नतियां

५५१. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या रक्षा मंत्री २२ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९५४ से पूर्व 'पदोन्नति परीक्षा' में अनुत्तीर्ण हुये अफसरों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इस तारीख से पहले उत्तीर्ण न हो सकने के कारण क्या कैप्टिन और मेजर श्रेणी के किन्हीं अफसरों को सेवामुक्त कर देना पड़ा था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ३२२.

(ख) कोई नहीं ।

युवक कल्याण

५५२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में युवक-कल्याण की सहायता करने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने क्या सहयोग दिया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : संयुक्त राष्ट्र का प्रत्यक्ष रूप से तो कोई अंशदान नहीं है किन्तु नवम्बर १९५१ में शिमला में हुई संयुक्त राष्ट्र युवक कल्याण की शिक्षा गोष्ठी में युवकों की समस्याओं तथा युवक कल्याण सम्बन्धी कार्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे ।

उत्पादन-शुल्क विभाग का मोटर पोत

५५३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४७ में भारत सरकार के उत्पादन-शुल्क विभाग का "मेरी" नाम का एक मोटर पोत (लांच) मरम्मत के लिये नारायणगंज भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह वापस आ गया है और कब वापस आया ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसे वापस ले लेने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) उक्त मोटर पोत का अनुमानित मूल्य कितना है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग) सम्बन्धित मोटर पोत, (लांच), जिसकी १४९७ म कलकत्त में मरम्मत की जा रही थी, मरम्मत के लिये नारायणगंज नहीं भेजा गया था बल्कि वह १९४७ में अविभाजित भारत की आस्तियों और दायित्वों का विभाजन होन पर पाकिस्तान को सौंप दिया गया था।

(घ) मोटर पोत का अनुमानित मल्य १,४० ००० रुपये था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८— १९५४

(१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
31-4-92
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

सेवा में

विषय सूची

खण्ड ८, अंक १ से १५--१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

अंक १--सोमवार, १५ नवम्बर, १९५४

श्री रफी अहमद किदवई तथा श्री नाडिमुत्तु पिल्ले का निधन. १-६

अंक २--मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . . ७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७-९

टिन की चादरों के धारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . ९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (१३२) / ५४, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५४ . . ९

विहित कालावधि के भीतर कतिपय दस्तावेज पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का विवरण ९

मोटर गाड़ी लीफ-स्प्रिंग उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . १०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)-टी० बी०/५४, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ . . . . १०

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ११

विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनेक बांट के बारे में याचिका ११-१२

स्थगन प्रस्ताव--आन्ध्र सरकार के बारे में . . . १२-१४

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपा गया १४-६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त . . . ६८-१०६

अंक ३—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग भारत अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ १९ . १०७–१०८

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . १०८

दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के बारे में याचिका . . १०८–१०९

सभा का कार्य—

सत्र में पुरःस्थापन के लिये— प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय . १०९–११०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिये समय नियतन . ११०–१११

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १११–१८४

अंक ४—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . १८५

सभा का कार्य—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों के लिये समय का बटवारा १८७–१८८

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १८९–२७५

सभा का कार्य २७६

अंक ५—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–२७९

सभा का कार्य २७९–२८०

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत २८०–३३४

	स्तम्भ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३३५
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३३५–३६८
विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—असमाप्त . .	३६९–३७०

अंक ६—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर की स्थिति	३७१–३७४
सभा का कार्य—	
समय नियतन	३७४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७५–४२८
चाय पर बढ़ाये गये निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	४२९–४४५
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४४५–४५६

अंक ७—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज	४५७–४५९
दिल्ली परिवहन सेवा	४५९–४६१
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	४६१–४६५
संशोधनों की ग्राह्यता	४६५–४७८
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४७४–५३८

अंक ८—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५३९–५८४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त.	५८४–६०७

स्तम्भ

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ६०७–६०८

अंक ९—गुरूवार, २५ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन, प्राधिकार (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय अधिसूचना . ६०९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . . ६०९–६१०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६१०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६१०–६७८
खण्ड २ से १५
खण्ड १६ से १९

अंक १०— शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया . . ६७९

समिति के लिये निर्वाचन—
प्राक्कलन समिति ६७९–६८०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार–असमाप्त ६८१–७१९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ७१९–७२८

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—विचार स्थगित ७२८–७३३

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५३ का रखा जाना)—
पुरःस्थापित ७३४

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ७३४–७७२

स्तम्भ

११—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध . . . ७७३–७७४

ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान क्षेत्र का उपयोग . ७७४–७७६

हायक प्रादेशिक सेना विधेयक—वापस लिया गया . . . ७७६–७७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त ७७८–८५४

खंड २०से २४ . . . . ८१९–८२०

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८२०–८५४

अंक १२—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

टल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन . . ८५५

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का प्रतिवदन ८५५–८५६

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण ८५६–८५७

लवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ८५७

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ८५७–८५८

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खडों पर विचार—असमाप्त ८५८–९३१, ९३२–९४०

नये खंड २१क, २२क और २४क ८५८–८६५

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८६५–९२१

खण्ड २६ से ३८ . . . . . ९२१–९३०, ९३२–९४०

आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरःस्थापित ९३१–९३२

१३—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

टल पर रखा गया पत्र—

साहित्य अकादमी और उस की गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण . ९४१

र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ९४१

स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारिवृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी ९४२–९४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त—

खंड २६ से ३८ . . . . . ९४४–१००९

खंड ३९ से ६० . . . . . १००९–१०१४

अंक १४—गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १०१५

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . १०१५–१०१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में मैदा की कमी १०१६–१०१७

सभा का कार्य—

सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय-नियतन . . १०१७–१०२३

दिल्ली जल तथा नाला-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित १०२३

आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत

डा० काटजू १०२३–२९, १०६०–६४

श्री पाटस्कर १०२९

श्री रामचन्द्र रेड्डी १०३०–१०३३

श्री ए० के० गोपालन १०३३–१०३९

डा० लंका सुन्दरम् १०३९–४६

श्री रघुरामैया १०४६–५०

डा० जयसूर्य १०५०–५२

श्री एस० एस० मोरे १०५२–५५

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी १०५५–५७

श्री गाडिलिंगन गौड़ १०५८

श्री राघवाचारी १०५८–५९

श्री लक्ष्मय्या १०५९

श्री यू० एम० त्रिवेदी १०५९–६०

	स्तम्भ
खंड १ से ३	१०६४–७०
संशोधित रूप में पारित—	
श्री एच० एन० मुखर्जी	१०७७–८०
डा० लंकासुन्दरम्	१०८०
पं० ठाकुर दास भार्गव	१०८०–८२
श्री जी० एच० देशपांडे	१०८३
डा० काटजू	१०८३–८८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त—	
खंड ६१ से ६५	१०८८–९८
दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१०९८–११००
अंक १५—शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन	११०१–११०८
पटल पर रखे गये पत्र—	
जिप फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प . .	११०८–११०९
चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना	११०९
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	११०९
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	१११०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—छठा प्रतिवेदन —उपस्थापित	१११०–११
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	१११९
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . .	१११९–१११२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त —	
खंड ६१ से ६५	१११२–५४

स्तम्भ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ११५४–५५

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ११५५–१२०२

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये समविहित निकाय के बारे में संकल्प—असमाप्त १२०२–१२०४

लोक-सभा

शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

स्थगन प्रस्ताव

मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन

अध्यक्ष महोदय: श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी का स्थगन प्रस्ताव। डा० काटजू को तथ्यों का विवरण देना था।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): संसद् सदस्य श्री रिशांग किशिंग तथा मनीपुर का प्रजा समाजवादी दल राज्य में विधान सभा तथा उत्तरदायी मंत्री मंडल की स्थापना के लिए कुछ समय से मांग करते रहे हैं। जब भाग 'ग' में के राज्य अधिनियम १९५२ में पारित हुआ था तब विभिन्न भाग 'ग' में के राज्यों में विधान मंडल तथा उत्तरदायी मंत्री मंडल स्थापित किए गए थे। कच्छ, त्रिपुरा तथा मनीपुर के सम्बन्ध में अपवाद क्रिया गया था। ये राज्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और भारत की सीमा पर स्थित हैं। वहां की जनता अब भी राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है और इन राज्यों में प्रशासनिक यंत्र कमजोर है। अतः भाग 'ग' में के राज्य अधिनियम के अधीन, इन राज्यों में तुरन्त विधान मंडल और मंत्रिमंडल स्थापित करना उपयुक्त नहीं समझा गया था। सलाहकार नियुक्त किए गये थे। अब राज्य पुनस्संगठन आयोग नियुक्त किया गया है और आशा की जाती है कि छः मास की अवधि के भीतर वह सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। हम अभी इस बात की पूर्व कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उक्त आयोग राज्यों की सीमाओं में किन परिवर्तनों की सिफारिश करेगा और कौन से परिवर्तन का न्वित किये जायंगे। अतः जब श्री रिशांग किशिंग मेरे पास तथा प्रधान मंत्री के पास मनीपुर में तुरन्त विधानमंडल और मंत्रिमंडल की स्थापना के सम्बन्ध में पहुंचे तो उन्हें धैर्य रखने और राज्य पुनस्संगठन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने तक प्रतीक्षा करने की सलाह दी गयी। उन से कहा गया कि जब राज्यों का भविष्य स्पष्ट हो जायगा, तो विधान मंडल स्थापित करने के प्रश्न की परीक्षा की जायेगी। फिर भी श्री रिशांग किशिंग और प्रजा समाजवादी दल धैर्य न रख सके और उन्होंने १५ नवम्बर १९५४ से सत्याग्रह आन्दोलन चालू करने का निश्चय किया।

मनीपुर में प्रजासमाजवादी दल सत्याग्रह ने जुलूस निकालने तथा प्रतिदिन सार्वजनिक सभा करने का रूप धारण किया है। कभी कभी छात्र और महिलायें भी जुलूस

[डा० काटजू]

में सम्मिलित हो जाती हैं। प्राधिकारियों ने जुलूस में या सभाओं में या संकल्प पारित करने में ज़रा भी हस्तक्षेप नहीं किया है। अतः उन्होंने प्रतिदिन सचिवालय तथा सलाहकार के दफ़्तरों के सामने जन समूह एकत्र करने का निर्णय किया। पहले कुछ दिन जन समूह कार्यालयों में घुस गया और बड़ी कठिनाई से उसे कमरों से और आहाते से निकाला गया। तब लोग फाटकों पर जमा होने लगे और सरकारी कर्मचारियों को तथा सलाहकारों को सचिवालय में तथा अपने कार्यालयों में प्रवेश करन से रोकने का प्रयत्न करने लगे। उन का आशय यह स्पष्ट था कि सलाहकारों को काम करने से रोका जाय तथा मंत्रणा परिषद् को त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य किया जाय। इसे सत्याग्रह कठिनाई से ही कहा जा सकता है। किसी भी हालत में मनीपुर प्रशासन के लिए यह संभव नहीं था कि सचिवालय बन्द कर दे या सलाहकार उपने कार्यालयों में काम करना बन्द कर दें। अतः इन अवसरों पर पुलिस ने भीड़ को बाहर धक्के दे कर तितर बितर करने का प्रयत्न किया ताकि कर्मचारीवर्ग कार्यालयों में आ सकें। इस के लिए यह आवश्यक हो गया कि भीड़ के विरुद्ध पुलिस को कुछ बल प्रयोग करना पड़ा जब कि भीड़ ने तितर बितर होने से इंकार कर दिया और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी का संशोधन, १८ नवम्बर, १९५४ की घटनाओं के सम्बन्ध में है। उस तारीख से पहले पुलिस ने कभी लाठी का प्रयोग नहीं किया था। उस ने केवल सलाहकारों के लिए कार्यालय में जाने का रास्ता साफ करते समय आवश्यकता पड़ने पर भीड़ को धक्के दे कर एक ओर किया था। दूसरी ओर प्रदर्शन कारियों ने सिपाहियों को और एक सब-इंस्पेक्टर को चोट पहुंचायी थी। १८ नवम्बर, को न श्री रिशांग किशिंग और न श्री सुमरेन्द्र सिंह गिरफ्तार किए गए थे। श्री सुमरेन्द्र सिंह २९ नवम्बर को गिरफ्तार किए गए थे। १८ नवम्बर तक केवल एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था और १९ व्यक्तियों के सम्बन्ध में सात मामले न्यायालय में दायर किए गए थे। केवल एक गिरफ्तार व्यक्ति दंडित हुआ है और उसे तीन महीने का साधारण कारावास दंड दिया गया है। १८ नवम्बर को यह स्थिति थी कि केवल छः प्रदर्शनकारियों को पुलिस के साथ झगड़ा करने के कारण साधारण चोट आयी थी। उस तारीख तक किसी को गहरी चोट नहीं आयी थी। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस सब इन्स्पेक्टर पर आक्रमण किया था। परिणाम स्वरूप अनेक पुलिस सिपाहियों को हलकी चोटें आयीं।

सर्वप्रथम लाठी प्रहार २५ नवम्बर को हुआ। उस दिन करीब २०० व्यक्तियों ने सलाहकार के कार्यालयों पर एकत्र होकर सलाहकारों को कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया। इस पर वहां उपस्थित दंडाधिकारी ने भीड़ को अवैध जमाव घोषित किया और पुलिस ने उसे तितर बितर करने का प्रयत्न किया। इस पर भीड़ ने क्रुद्ध हो कर पुलिस पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। तब दंडाधिकारियों ने पुलिस को बांस की छड़ियों का उपयोग करने का आदेश दिया। पुलिस ने इन छड़ियों का उपयोग किया और भीड़ को तितर बितर कर दिया। यहां यह बताया जा सकता है कि मनीपुर पुलिस के पास जो बांस की छड़ियां ऐसे अवसर पर होती हैं वे उस प्रकार की नहीं होती हैं जैसी कि उत्तर भारत में काम में लायी जाती हैं। वे खोखले बांस की लकड़ियां होती हैं और

उस तरह ठोस और नीचे धातु की कील लगी हुई नहीं होतीं हैं। जैसी कि देश के इस भाग में पुलिस के पास होती हैं।

मुख्य आयुक्त से प्राप्त नवीनतम सूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि इन सभी घटनाओं में कुल ७३ प्रदर्शनकारी आहत हुए हैं जब कि २४ पुलिस सिपाहियों को भी चोट आयी है। ज्ञात हुआ है कि मनीपुर के छात्रों ने प्रजा समाजवादी दल के इस आन्दोलन से अपना समर्थन वापस ले लिया है और अब कार्यालयों के फाटकों पर प्रतिदिन लगभग पांच या छः प्रदर्शनकारी ही होते हैं। अतः २७ तारीख के बाद से इन प्रदर्शनकारियों पर कभी बल प्रयोग करने का अवसर नहीं आया है। जब छात्रों ने एक सभा कर के आन्दोलन से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया, तब तारीख २७ से कोई घटना नहीं हुई है। यही आज तक की स्थिति है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): मेरा यह निवेदन है कि यह सरकारी सूचना विश्वसनीय नहीं है। वह एकांगी और पक्षपातपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को प्राप्त तारों अथवा सूचनाओं से कहीं अधिक विश्वसनीय यह सूचना है। मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य निराधार समाचारों को फैलाने के लिए इस सभा का उपयोग करें। इसीलिए मैं प्राप्त सूचनाओं पर विचार नहीं कर सकता हूं। यह बिलकुल गलत है कि निराधार सूचनाओं को फैलाने के लिए सभा का उपयोग किया जाय।

श्री अशोक मेहता (भंडारा): मेरा यह निवेदन है कि हमारे ही एक सहयोगी, जो इस सभा के सदस्य हैं इस में सम्बन्धित हैं।, हमें उन से सूचनायें प्राप्त हुई हैं अतः हम अवश्य ही उन के शब्दों पर उसी प्रकार विश्वास कर सकते हैं जिस प्रकार कि हम माननीय गृहमंत्री के शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह तो साक्ष्य को तौलने का प्रश्न है। निहित हितों से प्राप्त सूचनाओं को में अधिक महत्व नहीं देता हूं।

श्री अशोक मेहता: वह सभा के सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय: वह सभा के सदस्य हो सकते हैं। जहां तक दलों के हित का सम्बन्ध है, उस से कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: सरकार का भी तो हित है।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना उस का कर्तव्य है। उस का इस में या उस में किसी में हित नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): क्या यह लोकतंत्र है?

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी हो, मैं इस विषय पर कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि वह चाहें तो मेरे कक्ष में मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं।

श्री राघवाचारी: वह निजी बातचीत का विषय नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय: अब कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। वह मेरे साथ कक्ष में चर्चा कर सकते हैं।

श्री राघवाचारी: क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार न्यायसंगत नहीं है ?

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): आप औचित्य प्रश्न को किस प्रकार नियम बाह्य घोषित कर सकते हैं ? हम इसे अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम अपनी आपत्तियों को यहां प्रकट करें और हमें उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री द्वारा बताये तथ्यों के आधार पर में इस स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति देने को तैयार नहीं हूं ।

श्री एस० एस० मोरे: क्या मैं जान सकता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत कोई सदस्य जो औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता है, आप से निजी तौर पर कक्ष में मिले, क्योंकि सभा को यह अधिकार है कि औचित्य प्रश्न सुना जाय ?

अध्यक्षम होदय: मैं इस में किसी औचित्य प्रश्न का आधार नहीं देखता हूं । मैं यह देखना चाहता हूं कि वास्तव में कोई औचित्य प्रश्न है भी जिस से माननीय सदस्यों द्वारा सभा का समय लेना न्याय संगत हो । कार्य-वाही संचालित करने की यह रीति नहीं है । अब अगला विषय सभा पटल पर रखे गये पत्र लिया जायेगा ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानुर): हमारी यह धारणा है कि इस निर्णय के बाद और उस व्यवहार के बाद जो, हमारे प्रति दिखाया गया है और विशेष कर उस संसद् सदस्य के प्रति, जो इस में शामिल हैं और जिन्होंने कुछ जानकारी भेजी है जिसे अध्यक्ष महोदय सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं, हमारा यहां उपस्थित न रहना ही अधिक अच्छा है ।

अध्यक्ष महोदय: जैसी सदस्यों की इच्छा । मैं दबाव की नीति के आगे नहीं झुक सकता हूं ।

पटल पर रखे गये पत्र

जिन फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो): मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन इन पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

(१) जिस फासनर उद्योग, १९५४ को संरक्षण जारी रखने संबंधी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एस—४५७/५४].

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या ६३(१)-टी०बी०/५४ दिनांक १ दिसम्बर, १९५४ ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एस—४५७/५४].

(३) प्रशुल्क आयोग पत्र संख्या टी पी/आई० डी०/ई०/८२—आर, दिनांक, ६ सितम्बर, १९५४, अपने १० सितम्बर, १९५४ के पृष्ठांकन के साथ ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस—४५७/५४]

(४) सिलाई मशीन उद्योग, १९५४ को संरक्षण जारी रखने संबंधी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एस ४५८/५४]

(५) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्पसं ख्या १८(५)-टी० बी०/५४ दिनांक, १ दिसम्बर, १९५४।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एस–४५८/५४]

(६) पिकर्स उद्योग, १९५४ को संरक्षण जारी रखने संबंधी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एस–४५९/५४]

(७) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संरक्षण संख्या २६(१)—टी० बी०/५४ दिनांक १ दिसम्बर, १९५४।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एस—४५९/५४]

चलचित्र (विवेचन) नियमों, १९५१ में अग्रतर संशोधन करने वाली अधिसूचना

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : मैं चलचित्र अधिनियम–१९५२ की धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन, चलचित्र (विवेचन) नियमों, १९५१ में कतिपय अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४७४ दिनांक १७ नवम्बर, १९५४ की एक प्रति पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एस—४६०/५४]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ में प्रविष्ट, समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अधीन, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या ८७ और ११८ क्रमशः दिनांक २१ अगस्त और ९ अक्तूबर, १९५४ में से प्रत्येक की क प्रति पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एस—४६१/५४]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन, इन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या ३६, दिनांक ३१ अगस्त १९५४।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एस—४६२/५४]

(२) अधिसूचना संख्या ३८, दिनांक ३ सितम्बर, १९५४।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस—४६२/५४]

(३) अधिसूचना संख्या ४१, दिनांक १५ अक्टूबर, १९५४।

[पुस्तकालय में रखी गयी ।देखिए संख्या एस—४६३/५४]

(४) अधिसूचना संख्या ४२, दिनांक १ नवम्बर, १९५४।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एस—४६२/५४]

आपकी अनुज्ञा से, मैं यह बताना चाहता हूं कि सभा को यह जानने में चि होगी कि अंतिम अधिसूचना भूतपूर्व फ्रांसीसी प्रदेशों के भारत के साथ संयोजन के सम्बन्ध में है। मेरे विचार से उस प्रकार की वह पहली अधिसूचना है जो सभा पटल पर रखी गयी हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति

[श्री आल्तेकर]

सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक १९५४

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल--रक्षित-अनसूचित जातियां) : मैं अस्पृश्यता बदलने अथवा उस से उत्पन्न कोई निर्योग्यता थोपने के लिए दण्ड विहित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थित करता हूं ।

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय में वृद्धि

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये निश्चित किए गए समय को ३१ मार्च, १९५५ तक बढ़ा दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी वर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए निश्चित किए गए समय को, ३१ मार्च १९५५ तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर खंड वार तथा उन के सम्बन्ध में रखे गए संशोधनों पर विचार करेंगे ।

खंड २२ के सम्बन्ध में पांच संशोधन रखे गए थे और उन के नियमानुकूल होने के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गई थीं ।

प्रश्न यह है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या ३६९ तथा श्री आर० डी० मिश्र के संशोधन संख्या ५३ तथा २८७ जो मूल अधिनियम की धारा १६१ के सम्बन्ध में है नियमानुकूल हैं या नहीं ।

कहा यह जाता है कि वर्तमान विधेयक धारा १६२ का संशोधन करना चाहता है और यह संशोधन उस से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित "परस्पर सम्बद्ध" तथा "विशेष रूप से सम्बन्धित" है । यह भी कहा गया है कि संशोधित धारा १६२ में धारा १६१ का विशेष रूप से हवाला दिया गया है ।

मेरा विचार है कि धारा १६१ का विषय धारा १६२ के विषय से बिल्कुल भिन्न है । धारा १६१ हमें बताती है कि गवाहों का बयान कौन सा पुलिस अधिकारी ले सकता है । उस की जांच का विषय क्या होगा, जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछे जायें उस पर उत्तर देने का दायित्व होगा, तथा इसी प्रकार की अन्य बातें बताता है । परन्तु धारा १६२ का सम्बन्ध इस से है कि इस प्रकार लिखे गए

बयानों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। इसलिए धारा १६२ का संशोधन करने के लिए धारा १६१ का संशोधन करना आवश्यक नहीं है।

धारा १६२ हमारे लिये एक प्रकार की कसौटी है जिस के द्वारा हम जान सकते हैं कि किसी गवाह का कथन कहां तक विश्वास करने योग्य है। अब जो संशोधन किया जा रहा है उस के द्वारा अभियोक्ता पक्ष को यह अधिकार दिया जा रहा है कि यदि न्यायालय आज्ञा दे तो वह भी अपने गवाहों के बयान का प्रतिवाद करने के लिए इन बयानों का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार धारा १६१ के बयानों के सम्बन्ध में जो अधिकार अभियुक्त को प्राप्त था वही अभियोक्ता पक्ष को दिया जा रहा है। परन्तु इस का अर्थ यह तो नहीं है कि धारा १६२ तथा धारा १६१ का विषय एक ही है।

इसलिए संशोधन संख्या ३६९, ५३ तथा २८७ स्पष्ट रूप से विधेयक के क्षेत्र के बाहर हैं इस लिए नियम के प्रतिकूल हैं।

संशोधन संख्या ३७२, जिस का सम्बन्ध मूल अधिनियम की धारा १७२ से है, स्पष्ट ही विधेयक के क्षेत्र से बाहर है। इसी प्रकार संशोधन संख्या ३८० जिस में सुझाव दिया गया है कि मूल अधिनियम की धारा '१९७ क' हटा दी जाये वह भी इस विधेयक के क्षेत्र के बाहर है।

श्री पाटस्कर का संशोधन संख्या ५३७ यद्यपि संशोधन करने वाले विधेयक के क्षेत्र में, नहीं आता है फिर भी इस के द्वारा उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है जिस के लिए संशोधन संख्या ३६९, ५३, २८७ तथा ३७२ रखे गये हैं।

मैं यह कहना तो भूल ही गया कि श्री पाटस्कर के संशोधन तथा उन के संशोधन के संशोधनों पर कुछ वाद-विवाद करने की आज्ञा देने को मैं ने कहा था परन्तु चूंकि जिन सदस्यों ने उस संशोधन में संशोधन करने की सूचना भेजी थी उन में से एक दो सदस्य उपस्थित नहीं हैं इस लिए इस पर बाद में विचार किया जा सकता है।

खण्ड ६१ से ६५

श्री वेंकटरामन्: खंड ६१ से ६५ तक का सम्बन्ध अभियुक्त की जांच करने से है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

धारा ३४२ में दो बातें हैं एक तो यह कि मुकदमे की सुनवाई के मध्य किसी भी समय अभियुक्त से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दूसरी यह कि अभियोक्ता पक्ष के प्रमाण स्माप्त हो जाने के बाद तथा अभियुक्त से निर्दोष होने के प्रमाण मांगने के पहले अभियुक्त से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोनों अवसरों पर अभियुक्त से जो प्रश्न पूछे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जायें वे ऐसे ही प्रश्न हो सकते हैं जिन का अभिप्राय यह हो कि यदि परिस्थितियों के वर्णन में कोई बात अभियुक्त के विरुद्ध आई हो तो वह उस के सम्बन्ध में अपनी बात बता सके। वर्तमान संहिता के उपबन्धों के अनुसार अभियुक्त से सामान्य प्रश्न नहीं किये जा सकते हैं। परन्तु संयुक्त समिति ने अब जो संशोधन किया है उस के अनुसार तो न्यायालय को इतना अधिकार दिया गया है कि वह अभियुक्त से एक प्रकार से जिरह भी कर सकता है जो आपराधित न्याय-शास्त्र के सभी ज्ञात नियमों के विरुद्ध है। इस लिए मेरा सुझाव है कि संहिता के अनुसार जैसी स्थिति अभी तक थी उस को रहने दिया जाये और यह खंड निकाल दिया जाये, अर्थात् अभियुक्त से जो प्रश्न पूछे जायें वे केवल ऐसे ही प्रश्न हों जिनका उद्देश्य यह हो कि यदि परिस्थितियों के

[श्री वेंकटरामन]

वर्णन में कोई बात अभियुक्त के विरुद्ध आई हो तो उस के सम्बन्ध में उसे अपनी बात कहने का अवसर मिल सके। उस से केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न न पूछे जायें, चाहे वह जानकारी उसके विरुद्ध हो या उस के पक्ष में हो। इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन संख्या ६२२ तथा इसी प्रकार के और संशोधन माननीय मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिए जायें। प्रवर समिति के सभापति मुझ से इस सम्बन्ध में सहमत नहीं हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उन का क्या विचार है।

हमारे संविधान के अनुछेच्द २०(३) के अनुसार किसी अपराध में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। परन्तु धारा ३४२ (२) के उपबन्धों के अनुसार यदि कोई अभियुक्त न्यायालय के प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा तो न्यायालय तथा ज्यूरी को (यदि कोई हो) ऐसे इनकार या उत्तरों से ऐसा निष्कर्ष निकालने का अधिकार होगा जैसा कि वह उचित समझे। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि मुकदमें की सुनवाई जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके न कि अभियुक्त की स्थिति जैसी कि अभी है उस से भी खराब कर दी जाये। इस के अतिरिक्त यह खंड हमारे संविधान के अनुच्छेद २०(३) के भी विरुद्ध है। इसलिए यह खंड निकाल दिया जाये।

खंड ६२ एक बिल्कुल नये प्रकार का प्रयोग है। अभियुक्त से यह कहना कि वह अपने को गवाह के रूप में प्रस्तुत करे एक बिल्कुल नई बात है जिस का हमें कोई अनुभव नहीं है विभिन्न राज्य सरकारों का मत है कि चूंकि अभियुक्त अधिकांशतः निरक्षर होते हैं। इसलिये यह प्रयोग संभवतः सफल नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ऐसा अधिकार अभियुक्त के वकील को ही दिया जाना चाहिये। यदि वह देखे कि कोई ऐसी बात है जिस का प्रमाण अभियुक्त ही दे सकता है तो संभवतः वकील उस को गवाह के रूप में पेश होने का परामर्श देगा, और यदि अन्य साक्षियों के प्रमाण से वह बात सिद्ध की जा सकती है तो अभियुक्त का वकील उसे गवाह के रूप में पेश होने का परामर्श नहीं देगा। जब अभियुक्त को इस प्रकार का विकल्प दिया जाये तभी अभियुक्त को इस से कुछ लाभ हो सकता है।

एक बार आई० एन० ए० (भारतीय राष्ट्रीय सेना) वालों की ओर से मुझे सिंगापुर के एक न्यायालय में उपस्थित होने का अवसर मिला था। मलाया में इंगलिस्तान की प्रक्रिया प्रचलित है और अभियुक्त को अपने को गवाह के रूप में पेश करने का अधिकार दिया गया है। बहुत सोच विचार के पश्चात् हम ने भी अभियुक्त को गवाह के रूप में पेश होने का निर्णय किया और हमारा प्रयोग बहुत सफल हुआ। इस लिए मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि हम अपने देश में ऐसा प्रयोग करें। इस लिये मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं।

इस खंड के उप खंड (ख) में "adverted to or" ["संकेत न किया जायेगा अथवा"] शब्दों को निकाल देने के लिए जो संशोधन माननीय मंत्री श्री दातार द्वारा रखा गया है वह बहुत उचित है। इस लिए मैं स का स्वागत करता हूं।

प्रशम्य अपराधों (कम्पाऊंडेबिल आफैंसेज) के सम्बन्ध में जो खंड रखा

गया है, उस में बहुत से गंभीर अपराधों को सम्मिलित कर लिया गया है जैसे धारा ३७९, ३८१, ४०६, ४०७ तथा ४०८ के अपराध। इस के सम्बन्ध में मैं ने पांच संशोधन रखे हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि छोटे मामलों में ही समझौता दाखिल करने की छूट दी जाये जैसे ५० रुपये के मूल्य की चोरी या आपराधिक न्यासभंग। यदि अधिक मूल्य की सम्पत्ति हो तो ऐसा करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार के अपराध जैसे क्लर्क या नौकर के द्वारा मालिक के माल की चोरी केवल उस व्यक्ति के ही विरुद्ध नहीं किए गए हैं जो इस से सम्बन्धित हैं वरन् समाज के लिए भी घातक हैं। एक आदमी बीस बार चोरी करता है और इक्कीसवीं बार जब पकड़ा जाता है तो उतनी ही या उस से दुगुनी राशि दे कर छूट जाता है। यह बहुत ही अनुचित है इसी प्रकार आपराधिक न्यायसभंग है। यह अपराध ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं जैसे कम्पनियों के बन्ध संचालक। जब तक वे पकड़े नहीं जाते माल खाते रहेंगे। और जब पकड़े जायेंगे तो चूंकि वह कम्पनी के बड़े भागीदार हैं और कम्पनी पर उन का नियंत्रण है इस लिए वे कम्पनी को इस बात के लिए राजी कर लेंगे कि कम्पनी समझौता कर ले। यह बहुत ही अनुचित है और ऐसे अभियुक्तों को इस प्रकार दण्ड से बच निकलने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से इस अपराध को इस के अन्तर्गत नहीं लाया जाना चाहिये था। मैं ने अपने संशोधनों में उपबन्ध किया है कि यदि चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य १,००० रुपये से कम है, तो उस मामले में समझौता कर लिया जाये। यदि मामला अधिक रुपये का हो तो न किया जाये। पकड़े जाने पर अभियुक्त समझौता दंड से न बच सके।

श्री वेंकटरामन्: इस से उसे भविष्य में प्रोत्साहन मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: वह दुगनी रकम चुकाता रहेगा और चोरियां करता रहेगा।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): रकम चुकाना इतना सरल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: अपराध आखिर अपराध है। आग चाहे छोटी हो या बड़ी वह आग ही है।

श्री वेंकटरामन्: मेरे माननीय मित्र श्री माडगोल के कथनानुसार केवल अदालत की आज्ञा से समझौता हो सकेगा। यदि कोई अदालत इस परिणाम पर पहुंचे कि किसी मुकदमें में बहुत समय लग जायेगा और समझौते के द्वारा वह जल्दी समाप्त हो सकता है तो समझौता करना श्रेयस्कर है।

मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक मामले में ऐसा किया जाये। मैं ने तो अपने संशोधनों में यहां तक दिया है कि १,००० रुपये से ऊपर के मामलों में जहां चोरी या धोखा या अन्य कोई अपराध किया गया हो वहां समझौते की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, किन्तु छोटे छोटे मामलों में ऐसा किया जा सकता है। मैं ने परसों ही एक पत्र में पढ़ा था कि एक व्यक्ति को १ रुपया ४ आने चुराने के अपराध में एक महीने का कारावास दंड दिया गया। यह सर्वथा अवांछनीय है।

अन्त में, मैं खंड ६५ के बारे में यही कहूंगा कि यह उपबन्ध सुन्दर है। अभियोग को नये रूप में पुनः प्रारम्भ करने के अधिकार को हटाया जा रहा है। इस से फैसले जल्दी हो सकेंगे।

श्री दातार: मैं यह बता देना चाहता हूं कि खंड ६१ के बारे में मेरे माननीय मित्र

[श्री दातार]

ने कहा है कि वह धारा ३४२ को पूर्ववत् चाहते हैं किन्तु खंड ६१ के उपखंड (४) में यह लिखा है कि "जब अभियुक्त की धारा (१) के अन्तर्गत गवाही होगी तब उसे शपथ नहीं दिलायी जायगी"। धारा ३४२ में तो केवल यह शब्द हैं "अभियुक्त को किसी भी स्थिति में शपथ नहीं दिलाई जायगी।" धारा ३४२ के साथ साथ हम धारा ३४२क को रखना चाहते हैं जिस के अन्तर्गत जब अभियुक्त लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद गवाही देने को तैयार हो जायगा तब उसे शपथ अवश्य दिलायी जायेगी। मेरा यही निवेदन है कि यदि माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकृत हो जाता है, तो मूल धारा को पुनः रखना पड़ेगा।

श्री वेंकटरामन्: मेरा संशोधन तो केवल १२ से २१ तक की लाइनों को निकाल देने का है।

श्री दातार: तो क्या आप सहमत हैं कि खंड ६१ में २४ और २५वीं लाइन रखी जा सकती हैं?

श्री वेंकटरामन्: जी हां।

श्री एन० सी० चटर्जी: (हुगली) मैं अपने माननीय मित्र श्री वेंकटरामन् के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। अभी धारा ३४२ का जो रूप है उसे यदि प्रस्तावित रूप के अनुसार बदल दिया गया तो अभियुक्त की दशा बड़ी शोचनीय हो जायेगी। नये संशोधन के अनुसार अभियुक्त को बिना कोई चेतावनी दिए अदालत जब चाहे उस से पूछताछ कर सकती है। भारत के लगभग सभी उच्च न्यायालयों का यही मत है कि अभियुक्त से यदि कोई पूछताछ की जाये तो वह केवल परिस्थिति विषयक किसी सन्देह को दूर करने के लिये ही की जाये। अतः नवीन संशोधन न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। जहां तक कि हमारे संविधान में भी यह दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अपना अपराध बताने के लिये मजबूर नहीं किया जायगा।

इस संशोधन से वे अभियुक्त बड़ी मुसीबत में पड़ जायें जो बेपढ़े हैं। दंडाधिकारी उन्हें अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ कर चक्कर में डाल देंगे। उच्चतम न्यायालय ने भी हाल ही के एक मामले में जो फैसला दिया है वह मेरे कथन के पक्ष में है। अतः मैं माननीय गृह-मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस उपबन्ध को वापस ले लें। साथ ही मैं उन के नये उपबन्ध धारा ३४२क की शंसा करता हूं जिस में यह कहा गया है कि अभियुक्त यदि चाहे तो मामले में गवाही दे सकता है। ऐसा करने से बहुत से सन्देह दूर हो सकेंगे, क्योंकि अभियुक्त स्वयं घटना का अच्छा साक्ष्य दे सकता है और न्याय की फरियाद कर सकता है। खंड ६३ के बारे में मुझे यही कहना है कि इसमें जो उपबन्ध किया गया है वह प्रशंसनीय है। इस से फैसले जल्दी होने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इस सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे भी विचारणीय हैं। मैं इस प्रणाली को पसन्द नहीं करता कि एक दिन में केवल एक गवाह का बयान लिया जाये। मैं तो यह चाहता हूं कि मामले जितनी जल्दी तय हो सकें उतना ही अच्छा है।

अन्त में मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि धारा ३४२ को अपने मूल रूप में रखा जाय। केवल जो भाग और जोड़ा गया है वही संयुक्त किया जाये। ऐसा करने से अभियुक्त के साथ अन्याय नहीं हो सकेगा।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला): दंड प्रक्रिया संहिता में इतनी काटपीट की गई है कि वह एक मज़ेदार खिचड़ी बन गई है।

श्री वेंकटरामन्: इसके लिये आप भी जिम्मेदार हैं।

श्री टेकचन्द: धारा ३४२ के नये संशोधन पर बड़ा गर्व किया जा रहा है। फैसले जल्दी करने पर तना ज़ोर दिया जा रहा है कि न्याय का विषय गौण हो गया है। इस नये संशोधन का क्या परिणाम होगा इस पर अधिक विचार नहीं किया गया है। न्याय शास्त्र के अनेक विद्वानों का यही मत है कि अभियुक्त को कभी परीक्षण की स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिये, अन्यथा न्यायालय उस के साथ क्रूरता और अन्याय का आचरण करने लगेगा। प्रत्येक दंडाधिकारी अपने आप को महाधिवक्ता समझने लगेगा। निर्धन और बेपढ़े अभियुक्त जो पहले ही घबराये हुए रहते हैं और भी तंग किये जायेंगे। प्रथम तो धारा ३४२ ही विधि के प्रतिकूल है क्योंकि जब कभी अभियुक्त से प्रश्न किया जाता है तो उसे चेतावनी दी जाती है कि उसे किसी बात को बताने के लिये विवश नहीं किया जा रहा है। इस नये उपबन्ध से स्थिति और भी बिगड़ गई है। दंडाधिकारी के ऊपर किसी प्रकार अंकुश तो है नहीं जो वह अभियुक्त से मुख्य प्रश्न न पूछे। वह सब कार के प्रश्नों का उत्तर अभियुक्त से प्राप्त करना चाहेगा। इलाहाबाद, बम्बई, और कलकत्ते के वकील-संघों ने भी धारा ३४२ का विरोध किया है और बताया है कि इस से अभियुक्त ऐसा फंस जायेगा कि चाहे वह माने या न माने अनेक बातें उस से कहला कर उस का अपराध उस पर थोप दिया जायगा।

इस के अतिरिक्त धारा ३४२क के उपबन्ध के पश्चात् मैं समझता हूं कि धारा ३४२ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि अभियुक्त गवाह के रूप में बयान देने से इनकार कर दे तो उसे धारा ३४२ के अन्तर्गत सब कार के इन इच्छानुसार पूछ पूछ कर खदेड़ना नहीं चाहिये। इसी प्रकार धारा ३४२क के बारे में भी मेरी यही धारणा है कि भारत में निरक्षरता अधिक होने के कारण इतनी जल्दी इस प्रकार का उपबन्ध करना उचित नहीं है। इंगलैंड में १८९८ में यह उपबन्ध लागू किया गया था। उस समय वहां इस का घोर विरोध हुआ था। सब से बड़ी बात तो यह है कि जो भी अभियुक्त गवाह के रूप में प्रस्तुत होने से इनकार कर देगा उस के विरुद्ध दंडाधिकारी को आदि से अन्त तक सन्देह बना रहेगा और यदि कोई गवाह के रूप में प्रस्तुत हुआ भी तो यह निश्चित है कि सरकारी अभियोजक तथा दंडाधिकारी के उलटे सीधे सवाल जवाब से वह इतना घबरा जायगा कि निरपराध होते हुए भी उस के अपराधी सिद्ध हो जाने की आशंका है।

अब मैं खंड ६४ को लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री कितना समय चाहते हैं?

श्री दातार: लगभग पन्द्रह मिनिट।

उपाध्यक्ष महोदय: यह चर्चा एक बजकर पचास मिनिट पर समाप्त हो जानी चाहिए।

श्री दातार: किन्तु मतदान ढाई बजे के बाद ही प्रारम्भ हो सकेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: ये महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं और तीन घंटे का समय पहले ही बच गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझ से कहने का क्या प्रयोजन है। अध्यक्ष महोदय के सामने तो माननीय सदस्य मौन धारण किए रहते थे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उन के स्थान पर अब आप विराजमान हैं। आप को भी अधिकार प्राप्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष महोदय ने समय निश्चित कर दिया है तो उस का पालन होना ही चाहिए। चर्चा का प्रथम स्तर १–५० पर समाप्त होगा और द्वितीय स्तर २–३० पर समाप्त होगा और उस के पश्चात् गैर सरकारी कार्यवाही प्रारम्भ होगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हमें स्थिति के अनुसार समय की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सरकार मेरे माननीय मित्र श्री वेंकटरामन् का संशोधन स्वीकार कर रही है। अतः जहां तक धारा ३४२ का सम्बन्ध है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। संभवतः इस से चर्चा कुछ कम हो जायेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि यह पहले ही बता दिया गया होता तो यह सब समय बच जाता।

श्री टेकचन्द : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव का समर्थन करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। खंड ६४ को ही लीजिए। इस के द्वारा धारा ३४५ में परिवर्तन किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो मैं भी जानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय ह। समय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

श्री टेकचन्द : धारा ३४५, जो कि समझौता करवाने के सम्बन्ध में है, उसके बारे में विधेयक निर्माताओं ने बड़ी असावधानी की है। अपराधों के बारे में समझौता करवाने के सम्बन्ध में ब्रिटिश कानून यह है कि यदि कोई अपराध लोक हित से सम्बन्धित हों, तो ऐसे अपराध का समझौता अनुचित एवं अवैध है ; और यदि कोई निजी मामला है, तो कतिपय परिस्थितियों में समझौता कराने की अनुमति दी जा सकती है। दया दिखाना तो ठीक है, परन्तु दया का सौदा करना उचित नहीं। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, और उस की स्वीकृति पाये बिना बहुत बड़ी संख्या में अपराधों का समझौता कराने का परिणाम यह होगा, कि अभियुक्त को दया का सौदा करना पड़ेगा।

मैं खण्ड ६४ के सम्बन्धित अपराधों को चार श्रेणियों में रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने तथा सभा के स्पष्टीकरण के लिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस वर्गीकरण के पीछे कोई सिद्धांत निहित है? क्या ऐसा महसूस किया जाता है कि इस के बाद से संपत्ति सम्बन्धी कोई अपराध नहीं होने चाहिएं।

श्री दातार : इस प्रकार नहीं। यदि आप चाहते हैं, तो मैं इस को स्पष्ट कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्यथा, बात का समझना असंभव है।

श्री दातार : खंड ६४ का सम्बन्ध, चोरी अथवा विश्वासघात जैसे कुछ अपराधों से है। जिन का सार्वजनिक रूप होने के साथ साथ व्यक्तिगत रूप भी होता है। कतिपय मामलों में वादी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह मामला संधित कर सके और अभियुक्त से, जो चाहे प्राप्त कर सके। हमें उस में निहित सामाजिक रूप का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें वादी की उन

कठिनाइयों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जोकि न्यायालय के अन्तिम निर्णय पर निर्भर रहने से उस को हो सकती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता कि वह अर्थदण्ड लगा दे और उस का कुछ भाग वादी को दे दे ?

श्री दातार : कभी कभी अर्थदण्ड समय पर वसूल नहीं होता । पैसा वसूल करने में काफी देर लग जाती है । उदाहरणतः यदि वादी को किसी प्रकार उससे पैसा लेने का प्रलोभन दे दिया जाये, तो उन दोनों में मैत्री की बहुत कुछ संभावना हो जायेगी । ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि सभी मामलों में इस से ऐसे अपराध बढ़ेंगे ही । सीलिए सरकार ने सोचा कि कुछ मामलों में वादी को भी न्यायालय की अनुमति से अपराधों को संधित कराने का अधिकार मिलना चाहिए; आप धारा ३४५ में देखेंगे कि संधित होने योग्य, अथवा न होने योग्य मालों में विभेद रखा गया है । कुछ अपराध केवल न्यायालय की अनुमति से ही संधित हो सकेंगे । इन मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप तथा उस की अनुमति से सामाजिक प की काफी रक्षा हो सकेगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : धारा ४९४ भी सम्मिलित की गई है ।

श्री टेकचन्द : खंड ६४ के संशोधन में उल्लिखित अपराधों को मैं ने चार भागों में बांटा है । लगभग १३ ऐसे मामले हैं, जिन में वादी के साथ धोखा और जालसाजी की जा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, शान्ति भंग तथा चोरी ऐसे अपराध हैं, जिन्हें न्यायालय की अनुमति से भी संधित कराने योग्य अपराधों में सम्मिलित नहीं कराना चाहिए ।

श्री दातार : यह दृष्टिकोण बहुत से लोगों का है, और सरकार इस पर विचार कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटरामन् ने सीमाओं के सम्बन्ध में भी कोई सुझाव नहीं दिया है ।

श्री दातार : श्री वेंकटरामन् ने बताया कि एक रुपये की चोरी के सम्बन्ध में एक आदमी को न्यायालय में एक महीने तक जाना पड़ा । बहुत से छोटे छोटे अपराध होते हैं जिन का अधिकतर व्यक्तिगत रूप होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : भारतीय दंड संहिता की धारा ८९ में अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य धारा में यह कहा गया है कि छोटे छोटे मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए । उस के अनुसार एक रुपये के मामले की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था । गरीबों की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए मैं इस प्रस्थापना को मान सकता हूं ।

श्री दातार : श्री वेंकटरामन् ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है और सरकार सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार कर रही है । उन के संशोधन का सार यह है कि ऐसे मामलों में, जहां गबन की रकम १,००० रुपये से अधिक हो, तो उस में कोई समझौता नहीं कराना चाहिए ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : १,००० रुपये बहुत हैं ।

श्री दातार : इस से कम होने पर न्यायालय की अनुमति स अपराध संधय हो सकेगा । यह बात नहीं भूलनी चाहिए ।

श्री टेक चन्द : अब माननीय गृह उपमंत्री कृपया मुझ को बोलने का अवसर दें ।

श्री दातार : उपाध्यक्ष द्वारा पूछे गये प्रश्नों का ही मैं ने उत्तर दिया है। मैं ने उन के वक्तव्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

श्री टेक चन्द : जैसा मैं ने कहा कि, अपराधों के चार वर्ग हैं। पहला वर्ग जाल-साजी और धोखे संबंधी अपराधों का है। इन अपराधों को संधेय नहीं बनाना चाहिए। पहले वाली दण्ड प्रक्रिया संहिता में इन को संधेय नहीं रखा गया था। अब न्यायालय की स्वीकृति के बिना ही उन को संधेय बनाया जा रहा है। आप की सूची में लगभग १३ अपराध गबन, विश्वासघात, वंचना, धोखा और जाली सिक्के बनाया इत्यादि हैं।

श्री वेंकटरामन् : नहीं नहीं।

श्री टेक चन्द : धारा ४८३ का सम्बन्ध किसी और द्वारा प्रयोग किए जाने वाले व्यापार या सम्पत्ति चिन्ह को जाली बनाने से है और उसे संधेय बनाना जा रहा है।

श्री दातार : माननीय सदस्य कृपया इस ओर ध्यान दें कि हम ने केवल उन सब अपराधों का पुर्नवर्गीकरण किया है जो अनुज्ञा द्वारा संधेय थे। हम ने उन सब अपराधों के बारे में कोई परिवर्तन नहीं किए। हम ने केवल उनमें कुछ और बढ़ा दिए हैं।

श्री टेकचन्द : अस्तु, मुझे यह बताया गया है कि वे न्यायालय की अनुज्ञा द्वारा संधेय हैं। ये संधेय अपराध कम से कम तेरह हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : धारा ३४५ में दो उपधारायें हैं। हम केवल दूसरी उप-धारा की बात कर रहे हैं जिन में उन मामलों में परिवर्तन कर दिया गया है जिन में न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है।

श्री दातार : क्या माननीय सदस्य धारा ३४५ की उपधारा (२) को देखेंगे ? दो विभाग कर दिए गए हैं धारा ३४५(१) और ३४५ (एस)। माननीय सदस्य कृपया उपधारा (१) को देखें।

श्री टेकचन्द : मुझे इस का पता है। मैं केवल वह सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जहां प्रचलित प्रथा हों वहां अपराध को संधेय नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इस से जिस व्यक्ति के पास साधन होंगे वह उसे खरीद लेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले ही न्याया-लय की अनुज्ञा द्वारा संधेय हैं। धारा ३४५ की उपधारा (१) का सम्बन्ध उन मामलों से है जिन में अपराध संधेय हैं। उसे सदा दूसरे पक्ष के साथ संधित किया जायेगा अन्यथा न्यायालय के साथ संधित करना तो घूस देना होगा धारा ४१७, ४१८, ४२० के अधीन अपराध पहले ही संधेय हैं। माननीय सदस्य का तर्क क्या है ?

श्री टेकचन्द : मुझे केवल यह आपत्ति है कि धारा ४८३ के अधीन ऐसे कुछ नए अपराध हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : धारा ४८३ तो पहले से ही है। यहां उन अपराधों पर चर्चा हो रही है जो पहले न्यायालय की अनुमति द्वारा संधेय नहीं थे। जैसा कि धारा ३७९ के अधीन अपराध हैं।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्द-शहर) : एक औचित्य प्रश्न है। हम पहले ही इस विधेयक का खंड ११४ पारित कर चुके हैं जिस की धारा ३४४, ३७९, ३८१, ४०६, ४०७ इत्यादि के अधीन अपराध न्यायालय की अनुमति से संधेय हैं। क्या अब उन अपराधों के सम्बन्ध में धारा ३४५ पर पुनः चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ११४ का सम्बन्ध केवल धारा ५००, ५०१ और ५०२ की प्रविष्टयों से है।

श्री वेंकटरामन्: सभा ने धारा ५००, ५०१, ५०२ से सम्बन्धित खंड ११४, अनुसूची को पारित कर दिया है। उस के उपखंड (ख) और (ग) को पारित नहीं समझना चाहिये। हम ने सम्बन्धित चर्चा के लिए कतिपय धाराओं को एक वर्ग में रख लिया है और यदि हम ने उपखंडों में से एक के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है तो इस का यह अभिप्राय नहीं कि अन्य उपखण्डों को पारित समझा जाए।

श्री आर० डी० मिश्र: मैं ने खण्ड ११४ के उपखण्ड (ख), (ग) और (घ) में संशोधन रखे थे और उन्हें सभा ने रद्द कर दिया था। अतएव सभा ने खण्ड ११४ के उपखण्ड (ग) पर पहले ही निर्णय दे दिया है और अब हम धारा ३४५ के अधीन उस पर चर्चा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: हम ने केवल खण्ड ११४ की अनुसूची से सम्बन्धित अपराधों के बारे में उसे पारित किया था।

यदि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों को सभा ने अनजाने में नियम विरुद्ध घोषित कर दिया था तो मैं उन्हें अब भी क्रम-पत्र में रखने की अनुमति देता हूं।

श्री टेकचन्द: मेरा निवेदन है कि पशुओं के अंगहीन करने, या मारने और मनुष्य को अनधिकृत रूप से पकड़े रखने और धारा ५०९ के अधीन लिखित किसी महिला से अशिष्ट व्यवहार करने के अपराधों को संधेय नहीं बनाना चाहिए।

अन्त में खंड ६५ के अधीन नये सिरे से अभियोग परीक्षा के बारे में मेरा यह निवेदन है कि यदि उस व्यक्ति को बयान देने वाले साक्षियों को सुनने और देखने का अवसर न दिया जाये जो अन्तिम निर्णय देता है तो न्याय की ठीक व्यवस्था नहीं होगी। अभियुक्त प्रायः नई अभियोग परीक्षा नहीं चाहता जब तक वह पहले दंडाधिकारी के व्यवहार से ही स्पष्ट न हो। अतः नए सिरे से अभियोग परीक्षा नये दण्डाधिकारी की बजाय अभियुक्त की इच्छा पर ही छोड़ देनी चाहिये।

दिन प्रति दिन की सुनवाई से सम्बन्धित खण्ड ६३(ख) में यह परन्तुक दिया गया है कि जब साक्षी उपस्थित हों तो उन के बयान लिए और उस की जांच किए बिना सिवाय उन विशेष कारणों से अभियोग स्थापित नहीं किया जा सकता जिन कारणों का अभिलेख रखना होगा। मैं समझता हूं कि "विशेष" शब्द की आवश्यकता नहीं है और इस से उलझन पैदा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या ऐसे मामले नहीं हो सकते जिन में साक्षी भी इस के लिए आग्रह करें? क्या ऐसे मामले नहीं होते जिन में अभियुक्त को कुछ और समय की आवश्यकता होती है?

श्री टेकचन्द: व्याख्या के लिए यह देखना होगा कि साधारण कारणों की तुलना में विशेष कारण क्या हो सकते हैं। इस कारण यह कहना अच्छा है कि वह कारण उचित और अच्छे हों।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं माननीय उपमंत्री को इस बात पर बधाई देता हूं कि उन्होंने धारा ३४२ के सम्बन्ध में श्री वेंकटरामन् के संशोधन को स्वीकार कर लिया है।

न्यायालयों ने यह निर्णय दिया है कि यदि न्यायालय अभियुक्त से कितपय अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो अभियुक्त के बयान को उस के विरुद्ध नहीं समझा जयेगा। इस के साथ न्यायालयों का यह निर्णय है कि यदि अभियुक्त से कतिपय महत्त्वपूर्ण

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

प्रश्न नहीं पूछे जाते तो तत्सम्बन्धी साक्ष्य को उस के विरुद्ध नहीं समझा जायेगा। तरन्तु अधिपत्र के मामलों में अभियुक्त के आने पर आप तुरन्त उस की जांच आरम्भ कर देते हैं। इस संशोधन को स्वीकार करने पर अन्य उपबन्धों में भी संशोधन करना होगा क्योंकि अभियुक्त की जांच केवल उन परिस्थितियों के सम्बन्ध में की जा सकती हैं जो साक्ष्य द्वारा ज्ञात हुए हों।

उपाध्यक्ष महोदय: इसीलिए उन्होंने परिवर्तन किया है और वह केवल उन विषयों तक सीमित नहीं है जो साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए हों।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: जब तक साक्ष्य न हों अभियुक्त की परीक्षा नहीं की जा सकती। परीक्षा साक्ष्य से पूर्व नहीं उस के बाद होनी चाहिए। अन्यथा हम विधि का पालन नहीं करेंगे। धारा ३४२ इसलिए अधिनियमित की गई थी कि अभियुक्त को अभियोक्ता पक्ष के गवाहों के परीक्षण का अवसर मिल सके। यह बात समन वाले मुकदमें में भी थी। वास्तव में धारा ३४२ अधिपत्र वाले मुकदमों और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के मुकदमों के लिए ही अधिक उपयुक्त है। इसलिए मैं माननीय गृह उपमंत्री से प्रार्थना करता क वह दोनों का समन्वय करे और इसी दृष्टिकोण से अभियुक्त के परीक्षण सम्बन्धी उपबन्धों को रखें।

मैं धारा ३४२ के बारे में श्री चटर्जी और श्री टेकचन्द जी के वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। अंग्रेजी विधि के अनुसार तो यह ठीक हो सकता है, किन्तु हमारे देश के लिए यह धारा कोई बुरी नहीं है। यह धारा अभियुक्त के लाभ के लिए है और उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य की व्याख्या करने का अवसर मिलता है। वास्तव में इस से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और मैं समझता हूं कि वास्तव में यह बात बहुत ही ठीक की गई है।

खंड ६२ के सम्बन्ध में मैं पहले वक्ताओं से सहमत हूं। मैं यह निर्णय नहीं कर रहा हूं कि इस खंड का समर्थन करूं, अथवा विरोध। मैं माननीय उपमंत्री से कहना चाहता हूं कि घूसखोरी इत्यादि सम्बन्धी अधिनियम में एक ऐसा ही उपबन्ध हमारे यहां है। उस के द्वारा अभियुक्त साक्षी के रूप में साक्ष्य दे सकेगा। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या यह उपबन्ध अभियुक्त के लिए लाभकारी रहा है अथवा नहीं। मुझे इस सम्बन्ध में बड़ा भय है कि हमारे अशिक्षित देश में अभियुक्त को इस से कहीं हानि ही न पहुंचे। पर मेरी इस सम्बन्ध में आशंका तो है, किन्तु मैं परीक्षण से घृणा नहीं करता। आखिरकार, हमें ये सब प्रगतिशील बातें अपनानी ही हैं।

खंड ६३ के बारे में, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। श्री टेक चन्द जी ने बताया है कि वहां 'विशेष' ('special') शब्द है। यह तो ठीक है कि खंड का प्रयोजन तो स्पष्ट है, किन्तु वैसे यह बात पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। जब एक बार साक्षी आ जाते हैं तो यह आवश्यक है कि उन्हें वापस जाने के लिए न कहा जाये, क्योंकि साक्षी सैकड़ों मीलों से आते हैं। इस सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि 'साक्षी' शब्द का प्रयोग किया गया है। अब दोनों पक्षों के साक्षियों के लिए इसका प्रयोग होता है और हो सकता है कि दोनों आ जायें। श्रीमान्, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि अधिपत्र वाले मुकदमों में जिरह सम्बन्धी जो संशोधन आप ने स्वीकार कराया

है, उसे हम लोग न करा सकते थे। अब कल्पना कीजिए कि जिरह किसी और दिन के लिए रख दी जाती है। जिरह के बाद बचाव पक्ष के साक्षी भी बुला लिए जाते हैं और ऐसा न करने के कोई नियम भी नहीं हैं।

यह हो सकता है कि अभियोक्ता पक्ष के साक्षी समाप्त होने के बाद बचाव पक्ष के साक्षी बुला लिए जायें। किन्तु अभियुक्त को साक्षियों को दोबारा बुलाने का अधिकार है--तो उस परिस्थिति में क्या होगा ? इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता में कई ऐसे मुकदमें हैं जिन में पेशियां आवश्यक हैं। इसलिए इस खंड में ऐसा कोई उपबन्ध आवश्यक रूप से होना चाहिए था। समस्त साक्षियों का साक्ष्य लेना आवश्यक नहीं होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि एक समर्पण के मुकदमें में अनावश्यक साक्षी आ जाये, तो क्या उन का भी अवश्य परीक्षण किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: छोड़ दिया जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: परन्तु अब जो शब्द रखे गए हैं उन के अनुसार उन लोगों की आवश्यक परीक्षा करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि अभियोक्ता पक्ष न भी चाहे तो भी ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: इस में लिखा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय: किन्तु अभियोक्ता पक्ष कहेगा कि हम इन की परीक्षा नहीं करना चाहते।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: अभियोक्ता पक्ष तो यह कहेगा किन्तु यह खंड कहता है कि उन की परीक्षा आवश्यक होगी। केवल न्यायालय ही न कर सकता है। हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो स्पष्ट हो।

उपाध्यक्ष महोदय: यह 'विशेष' कारणों के अन्तर्गत आ जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: इस का सम्बन्ध (ख) से है (क) से नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: तब तो ये कारण अभिलिखित होंगे। वे पर्याप्त रूप में विस्तृत हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: अब मैं खंड ६४ पर आता हूं जो मेरे विचार में महत्त्वपूर्ण है। चोरी के सम्बन्ध में यह कहना कि एक न्यायालय एक रुपये की चोरी के लिए तीन मास का दंड देगा गलत है। उन्हें केवल चेतावनी दे दी जाती है। और इस सम्बन्ध में धारा ५६२ है।

उपाध्यक्ष महोदय: उस पर अर्थदंड भी हो सकता है। क्या यह दंड संहिता में है कि चोरी के मुकदमों में कारावास का ही दंड मिलेगा।

श्री वेंकटरामन्: कारावास या अर्थदण्ड अथवा दोनों।

उपाध्यक्ष महोदय: इस लिए इस के बारे में कहने का कोई लाभ नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: अर्थ दंड उस व्यक्ति को दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि किसी मामले में वह समझौता करने से इन्कार कर दे और एक पाई की चोरी के लिए १ मास का दंड दे दे तो दंड प्रक्रिया संहित उस के मार्ग में अड़चन नहीं उत्पन्न कर सकती।

श्री वेंकटरामन्: ऐसे छोटे छोटे मुकदमों में तो समझौते की आज्ञा देना युक्तियुक्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु संहिता में इस समय दो धारायें हैं। उसे चेतावनी दे कर या अर्थदण्ड कर के छोड़ा भी जा सकता है। धारा ५६२ है। किन्तु दूसरे पक्ष का यह कहना है कि यह अपराध तो लोक विरोधी है। हम इसे वैयक्तिक रूप में नहीं लेते। इसलिए जब तक इस विषय में एक सामान्य नीति नहीं अपनायी जाती, तब तक कोई निर्बन्धन होना ही चाहिए। वास्तव में यह लोक विरोधी अपराध है और इस बात पर माननीय मंत्री को विचार करना चाहिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्री वेंकटरामन् का प्रारंभिक संशोधन छोटे छोटे मुकदमों के बारे में था अर्थात् जब कोई व्यक्ति भूख आदि से तंग आ कर चोरी करे। उन्होंने ५० रुपये की राशि रखी थी। किन्तु सरकार संभवतः इस पर सहमत नहीं है उन्होंने इस राशि को १,००० रुपये तक कर दिया है। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि चोरी आदि अपराधों को कम किया जाना आवश्यक है; अतः १०० रुपये तक की राशि रखी जाये, क्योंकि १,००० की राशि बहुत अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे डर है कि फिर तो सरकारी डिपुओं और स्टोरों से माल योंही उड़ने लगेगा और जब किसी को पकड़ा गया तो फिर वह आधा मूल्य दे कर छूट जायेगा।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : उन्हें दुगनी कीमत देनी पड़ेगी। आधी क्यों ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: एक पहलू और भी है। कल्पना कीजिए कि एक क्लर्क ५० रुपये ले जाता है और कल जब वह वापस आता है तो कोई उस से ५०० रुपया मांग सकता है और कह सकता है क अन्यथा समझौता नहीं होगा। दोनों प्रकार से यह आपत्तिजनक है।

डा० काटजू: आप श्री वेंकटरामन् के संशोधन पर कुछ संशोधन कर रहे थे—वह क्या है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं यह कह रहा था कि यदि यह अनिवार्य है तो रकम कम कर दी जाये।

डा० काटजू: क्या ५०० रुपये पर्याप्त होंगे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: श्री वेंकटरामन् ने ५० रूपये कहा था।

डा० काटजू: मैं आप का कहना मानने को तैयार हूं। चलो चाहे ५०० रुपये हो अथवा ३०० रुपये, जैसा भी, आप चाहें। आपने २५० रुपये कहे थे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं ने कहा था २५० रुपये अथवा २०० रुपये।

डा० काटजू: अच्छा, २५० रुपये ही सही।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: श्रीमान्, मैं धारा ४२९ के बारे में कह रहा था। यह धारा पशुओं की हत्या अथवा उन्हें अंगहीन करने से सम्बन्धित है। श्री टेक चन्द जी ने बड़ी सुन्दरता से इस सम्बन्ध में तर्क प्रस्तुत किए हैं।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमारी सभ्यता ही पशुओं पर दया दिखाने पर आधारित है। पहले इस में न्यायालय की सहमति से भी समझौता नहीं किया जा सकता था। अब धारा ४२५ में यह लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति अथवा अपने किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो वह लोक विरोधी अपराध करता है। यदि मैं अपने ही घोड़ों की हत्या करना चाहूं तो मैं नहीं

कर सकता । वर्तमान विधि यह है । अतः मैं धारा ४२९ के सम्मिलित किए जाने का विरोधी हूं। मैं इस धारा ४२९ में एक विधयक प्रस्तुत करके संशोथन कराना चाहता हूं । मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करुंगा कि .....

डा० काटजू: इस में समझौते की आज्ञा नहीं होनी चाहिए ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: इस धारा ४२९ में नहीं । आखिर, सब का जीवन पवित्र है ।

इस के बाद मैं धारा ४९४ पर आता हूं । अभी हम ने एक विधि बनाई है कि बहु-विवाह ठीक नहीं है । यह इस प्रकार विवाहित पति या पत्नी से समझौता कराने के सम्बन्ध में है ।

श्री दातार: यह तो पहले से ही है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: तब यह नई दंड प्रक्रिया संहिता बनाने का क्या लाभ है । पहले से ही एक संहिता तो थी ।

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई नई बात नहीं लाई जा रही है । यह तो पहले से ही इस में है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: श्रीमान्, यह जो नई दंड प्रक्रिया संहिता हम बना रहे हैं यह न्यायिक सुधारों के लिए है ।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य ने कोई संशोधन रखा है कि धारा ४९४ नहीं रहनी चाहिए । अब केवल इस का क्षेत्राधिकार विस्तृत किया जा रहा है । पहले भी इस में समझौता हो सकता था ।

डा० काटजू: बहु-विवाह में पुलिस समझौता नहीं करा सकती थी केवल पति कर सकता था ।

उपाध्यक्ष महोदय: उन में, न्यायालय में आये बिना भी समझौता हो सकता था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: हम अब हिन्दु विवाह अधिनियम बना रहे हैं और बहु विवाह उस स्थान में रखा गया है । पहले यह नहीं था, अतः जो भी बात हम करें वह लागू होनी चाहिए ।

डा० काटजू: मैं यह नहीं कह रहा, कि इसे लागू नहीं किया जायेगा । इसे हस्तक्षेप बनाइये । यदि पति अथवा पत्नी अभियोग न चलायें तब क्या होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: तब "पति और पत्नियां" रखिये ।

श्रीमान् अब मैं खंड ६५ पर आता हूं । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इस विधि में परिवर्तन करना पूर्णतया गलत है । धारा ३५० को देखने से पता चलता है कि जब किसी अभियोग की अपील होती थी तो न्यायालय को यह देखने की शक्ति थी कि कहीं दंडाधिकारी के परिवर्तन से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा और वह न्यायालय स्वयं ही अपील स्वीकार कर के अभियोग वापस कर सकता था । श्रीमान्, कई अभियोगों में, नये दंडाधिकारी का भिन्न दृष्टिकोण होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब क्या अपीलीय न्यायालय अभियोग वापस नहीं कर सकता । यदि अपीलीय न्यायालय को साक्ष्य पर्याप्त प्रतीत न हो तो अब भी उसे अभियोग वापस करने से कोई रोक नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मेरा आशय यह है कि नया दंडाधिकारी, यदि चाहे तो साक्षियों को बुला सकता है । जहां तक अभियुक्त का सम्बन्ध है, वह कुछ नहीं कर सकता । सारा मामला न्यायालय के स्व-

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

विवेक पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए कि मैं एक अभियुक्त हूं। और एक दंडाधिकारी, मेरे विरुद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास नहीं करता और मुझे मुक्त होने की आशा है। किन्तु उस के स्थानान्तरण के बाद, नया दंडाधिकारी आता है, जो साक्षियों का साक्ष्य पढ़ कर संभवतः मुझे दंड देना चाहे क्योंकि वह साक्षियों को दोबारा बुलाने की आज्ञा नहीं देता। वह दंडाधिकारी तो केवल साक्ष्य को पढ़ेगा ही। इसलिए पहली धारा ३५० अच्छी थी। और अभियुक्त के अधिका छीने नहीं जाने चाहियें। जब तक नया दंडाधिकारी दोबारा साक्षियों को बुला कर परीक्षण नहीं करता तब तक न्याय नहीं हो सकता। अतः मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि अभियुक्त का यह अधिकार न छीना जाये। इसलिए अभियुक्त के लाभ के लिए यह बात नितान्त आवश्यक है।

डा० काटजू: और इसे लम्बा करते जायें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: लम्बा कर ने की बात नहीं है। हमें यह सोचना चाहिए कि यदि हम अभियुक्त के स्थान में हों तो क्या करें

डा० काटजू: मैं भी रह चुका हूं और आप भी रह चुके हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: क्या दंडाधिकारी का स्थानान्तरण हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में हम ने कभी उस बारे में रुचि नहीं रखी।

डित ठाकुर दास भार्गव: वे कभी बचाव नहीं करना चाहते थे

डा० काटजू: माननीय मित्र जानते हैं कि अपीलीय न्यायालय भी न्याय करते हैं और वे कभी किसी साक्षी को नहीं देखते।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: वह चाहते हैं, कि प्रथम न्यायालय तो किसी व्यक्ति को जेल भेज दे और फिर अपीलीय न्यायालय न्याय करे।

डा० काटजू: मैं तो इसे सस्ता बनाने के लिए उत्सुक हूं, मैं नहीं चाहता कि पत्नी के कंगन ही बिक जायें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: माननीय मित्र नहीं जानते कि जब नया दंडाधिकारी आता है, तो वकील नया शुल्क नहीं मांगते।

डा० काटजू: आप गलती पर हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: अभियुक्त तो सारे अभियोग के लिए ही शुल्क देता है। यह बात गलत है कि शीघ्रता के नाम पर विधि के लाभकारी सिद्धांतों का बलिदान कर दिया जाये।

मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बात पर विचार किया जाय और हमें अभियुक्त के साथ न्याय करना चाहिए।

श्री दातार: एक लम्बी चर्चा के बाद और सरकार द्वारा पर्याप्त रियायतों के बाद, बहुत थोड़ी सी बातें रह जाती हैं और उन दो या तीन बातों के बारे में, मैं सभा में यह कहना चाहूंगा कि सरकार भी इस बात के लिए उत्सुक है कि जो नये उपबन्ध पुरःस्थापित किए गए हैं उन को अभियुक्त के हितों के लिए भी लागू किया जाए।

एक बात यह कही गयी थी कि, किसी भी परिस्थिति में, अभियुक्त साक्षियों के कटघरे में न जाये। सभा को पता होगा, कि यह सच है कि इंगलैंड में भी, जब दंड प्रक्रिया

संहिता लगभग १८९९ में लागू की गई थी, और जैसा श्री टेक चन्द जी ने बताया है, वहां भी कतिपयः विचारणीय परिस्थितियों में अभियुक्त के परीक्षण के बारे में विरोध हुआ था। किन्तु ध्यान रहे कि सन् १८९९ या १९०० के लगभग अभियुक्त को साक्षियों के कटघरे में जाने के विकल्प को अंग्रेजी विधि ने भी स्वीकार किया था और उस की आज्ञा दी थी और तभी से, जब भी इसकी आवश्यकता होती है इस का प्रयोग किया जा रहा है।

श्री टेकचन्द : बहुत कम।

श्री दातार: कभी कभी, अपराधों के मामले में, ऐसी कतिपय परिस्थितियां उठ खड़ी होती हैं जहां केवल व्याख्या दी जानी ही संभव है और यदि अभियुक्त वह व्याख्या देता है, तो वह दोषमुक्त होने के अधिकार का हकदार है। इसलिए, इस बात को स्पष्टतः समझ जाना चाहिए कि अभियुक्त को दिया जाने वाला यह वैकल्पिक अधिकार उस के हित में ही है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जिन की व्याख्या अभियुक्त के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। मुझे प्रसन्नता है कि केवल कतिपय सदस्यों के विरोध के अतिरिक्त, इस नये उपबन्ध ३४२ क को सभा के सभी भागों ने स्वागत किया है। यह बात भी विचार करने की है कि उसे लिखित आवेदन करना पड़ेगा। मूल विधेयक में, हम ने यह कहा था कि यदि अभियुक्त की इच्छा हो, तो वह साक्षियों के कटघरे में जा सकता है। संयुक्त प्रवर समिति ने यह विचार किया कि ऐसे मामलों में उसे न्यायालय को लिखित आवेदन देना चाहिए जिस से कि अभियुक्त अथवा उस का वकील, उस विषय पर प्रत्येक प्रकार से अथवा विचारित संकटों के सम्बन्ध में, विचार कर सके, अतः यह नयी वृद्धि की गयी है, और सब मामलों में इससे अभियुक्त के हितों का संरक्षण होता है।

जहां तक ३४२(क), उपखंड(ख) का सम्बन्ध है, मैं ने एक छोटा संशोधन रखा है। जो शब्द प्रयोग किए गए थे "कि ध्यान नहीं दिलाया जायगा" ("shall not be adverted to"), यदि ये शब्द रखे जाते हैं, तो बचाव पक्ष के वकील के लिए भी, उस के परीक्षण अथवा साक्षियों के कटघरे में न जाने की बात की ओर निर्देश करने की आज्ञा नहीं होगी। इस लिये मैं ने संशोधन प्रस्तुत किया है कि ये शब्द नहीं रहने चाहिये और शेष सभी शब्द रहें। इस के लिए एक संविहित दायित्व है कि उस की साक्षियों के कटघरे में न जाने या भल के लिए कोई प्रतिकूल टिप्पण नहीं दिया जायगा। इसलिए, विभिन्न संरक्षणों के अधीन, हम ने एक नया उपबन्ध पुरःस्थापित किया है, यह एक नई चीज़ है, और मैं कहना चाहता हूं कि अन्ततोगत्वा यह अभियुक्त के लिए लाभ दायक ही होगा।

श्री अमजद अली (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां) : क्या वह भूल जाते हैं कि न्यायाधीश भी मनुष्य होता है ?

श्री दातार : मामले के न्यायाधीश के सम्मुख आने से पहले अभियुक्त और उस का वकील आवेदन करने या लिखित प्रार्थना करने से पूर्व सारी परिस्थितियों पर विचार करेंगे ? वे सारी परिस्थितियों पर विचार करेंगे, जैसा कि मैं ने कहा है, यदि कोई जोखिम होगा तो उस का भी ध्यान रखेंगे। अतः सभा से मेरी प्रार्थना है, कि जो भी अभियुक्त के हित के संरक्षण हैं इस में सम्मिलित कर लिए गए हैं, अतः यद्यपि यह उपबन्ध नवीन प्रतीत होता है, फिर भी इसे अभियुक्त के हितों के लिए आवश्यक समझा जाये।

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा—उत्तर पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व) : और न्यायाधीश मनुष्यों से ही व्यवहार करेगा ?

श्री दातार : यद्यपि वह मनुष्य है, किन्तु वह न्यायाधीश भी होता है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो वह ज्यूररों को विशेष रूप से कहेगा अथवा वह स्वयं इस बात का ध्यान रखेगा कि उस पर कोई प्रतिकूल टीका टिप्पणी न हो। मेरी प्रार्थना है कि खंड ६२ पूर्णतया उचित है।

जहां तक खंड ६३ का सम्बन्ध है, यह आवश्यक है। अन्यथा यह होता है, बहुत से वकीलों के सामने ऐसे मामले आये होंगे जिन में सारे विषय पर खंडशः थोड़ा थोड़ा विचार होता है और एक साक्षी का परीक्षण भी पूरा नहीं हो पाता। कभी मुख्य परीक्षण की समाप्ति हो जाती है, तो जिरह चलती रहती है, और वह भी लगातार नहीं, वह भी विभिन्न समयों पर होती रहती है और इस प्रकार जिरह का सारा उद्देश्य समाप्त हो जाता है। व्यवहार न्यायालयों में एक प्रथा है कि जब किसी वाद की सुनवाई होती है, तो यह लगातार चलता है, जब तक कोई विशेष कारण इस में परिवर्तन न करने का नहीं होता। 'विशेष' ('special') शब्द जान-बूझकर रखा गया है, और उस का उद्देश्य यह है कि साधारणतः अभियोग स्थगित नहीं होना चाहिये और तुरन्त ही साक्ष्य अभिलिखित हो जाना चाहिए, तथा मौखिक साक्ष्य के अभिलिखित हो जाने पर केवल अभियोग को ही स्थगित करना चाहिए।

श्री टेकचन्द : आप 'साधारण' कारणों और 'विशष' कारणों में कैसे भेद करते हैं।

श्री दातार : यह मामला पूर्णतः न्यायाधीश के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। वह देखगा कि क्या कोई विशेष कारण है। मैं समझता हूं कि हमारी न्यायपालिका यह अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि साधारण कारण कौन से हैं और विशेष कारण कौन से। 'विशेष' शब्द इसलिए रखा गया है क्योंकि साधारणतया हम चाहते हैं कि अभियोग के मध्य उसे बार बार स्थगित न किया जाये और इसी उद्देश्य से यह शब्द रखा गया है।

जहां तक खंड ६४ का सम्बन्ध है, इस पर पर्याप्त विवाद चला। पहले जो हम ने किया है, वह यह है कि खंड ६४ द्वारा हम ने वास्तव में मूल धारा ३४५ को दोबारा ही लिखा है। हमारी आलोचना केवल नवीन उपबन्धों के लिए ही नहीं की गई, अपितु इस सम्बन्ध में हमारी आलोचना की गई है क्योंकि धाराओं के मूल उपबन्ध, न्यायालय, की आज्ञा से समझौते के योग्य बना दिए गए हैं। इन में से अधिक के सम्बन्ध में, कोई भी संशोधन नहीं थे। मैं, जो नये अपराध बढ़ाये गये, उन के सम्बन्ध में कहूंगा। २८ में से हम ने केवल १२ अथवा १३ ही बढ़ाये हैं। अतः यह वृद्धि बहुत कम ही है। बढ़ाये गये अपराधों का वर्गीकरण किया जा सकता है। एक तो गलत हिरासत के सम्बन्ध में है। कतिपय मामलों में, कुछ समय तक की गलत हिरासत के मामले में समझौता किया जा सकता है। हम ने गलत हिरासत की अवधि को तीन दिन से बढ़ा कर १० दिन तक कर दिया है। जहां तक इस वर्ग का सम्बन्ध है, इस में सिद्धांत का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। जिस सिद्धांत के सम्बन्ध में आप ने और दूसरों ने कहा है वह यह है कि क्या धोखे, विश्वासघात अथवा गबन के अपराधों में, कतिपय परिस्थितियों के अधीन शिकायत करने वालों और अभियुक्त को समझौते

का अवसर दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। पहला संरक्षण जो हम ने रखा है, वह यह है कि वास्तव में ये मामले समझौते योग्य नहीं हैं। केवल न्यायालय की आज्ञा से ही इन में समझौता किया जा सकता है, और जहां तक न्यायालय की आज्ञा का सम्बन्ध है, न्यायालय सारी बातों का ध्यान करेगा, और जैसा कि आप ने कहा था, वह मामले के विशेष सामाजिक पहलू को भी देखेगा कई पहलुओं पर विचार किया जाता है, और मैं मानूंगा कि चोरी और इस वर्ग के अन्य अपराध एक सामाजिक पहलू रखते हैं, किन्तु सामाजिक पहलू के अतिरिक्त, हमें वैयक्तिक पहलू पर भी विचार करना है। कल्पना कीजिए कि यदि एक व्यक्ति ने मेरी कुछ सम्पत्ति की चोरी की है, और यदि वह मुझ से समझौता करना चाहता है, तो साधारणतया और जब तक अधिकतम नैतिक नीचता का मामला न हो, दोनों पक्षों को समझौता करने का खुला अवसर मिलना चाहिए। तब आप देखेंगे कि ऐसे तमाम मामलों में, जहां छोटी रकमों, अथवा कम सम्पत्ति के सम्बन्ध में समझौते होते हैं, तो इस से दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं अथवा होने की संभावना हो जाती है। इसलिए यह सोचा गया था कि कुछ मामलों में, हम सामाजिक तथा लोक हितों के साथ साथ वैयक्तिक तथा निजी हितों पर भी विचार करने की आज्ञा दे दें और सामाजिक पहलुओं का संरक्षण न्यायालय पूर्णतया करेंगे ही। यदि न्यायालय यह समझेगा कि अपराध विकट है, तो यह कभी भी आज्ञा नहीं देगा। जहां तक बेईमानी गबन अथवा विश्वासघात के मामलों का सम्बन्ध है, इन के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है।

श्री वेंकटरामन् ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है और वे चाहते हैं कि इस राशि को १,००० रुपये तक कर दिया जाये, क्योंकि केवल उन्हीं मामलों में समझौता किया जा सके जिन में राशि १,००० रुपये से कम हो।

श्री वेंकटरामन्: मुझे इसे घटा कर २५० रुपये कर देने के सम्बन्ध में अपना संशोधन प्रस्तुत करने दिया जाये।

श्री दातार: अब क्योंकि २५० रुपये की राशि पर सब सहमत हो गए हैं, अतः मैं इस राशि को घटा कर २५० रुपये कर देने को तैयार हूं और श्री वेंकटरामन् के संशोधनों में उपयुक्त संशोधन कर दिए जायें ताकि केवल २५० रुपये या २५० रुपये से कम के सम्बन्ध में किये गये अपराधों के मामलों में ही न्यायालय की अनुमति के बिना ही समझौता किया जा सके। इस से सभा को यह पता लग जायेगा कि हम सभी उचित समझौतों को मानने के लिए तैयार हैं।

धारा ३४५ में जिन अपराधों का उपबन्ध किया गया है उन के सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि किसी हस्तान्तरण सम्बन्धी विलेख को धोखे से निष्पादित किया गया हो तो उस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। आप देखेंगे कि हस्तान्तरण को एक व्यक्तिगत चीज़ होती है। यह तो मेरे और उस व्यक्ति के बीच की बात है जो मुझे धोखा देना चाहता है। ऐसे मामले में यदि वह पक्ष ऐसा निर्णय करे तो अपराधों के विषय में न्यायालय से समझौता कराने की अनुमति मांगने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

चुराई हुई सम्पत्ति को धोखे से उठा लेने के मामले में भी सामाजिक पहलू की अपेक्षा व्यक्तिगत पहलू ही प्रधान होता है।

यह कहा गया था कि शरारत को तो समझौते योग्य बिल्कुल नहीं बनाना चाहिये।

[श्री दातार]

शरारत दो प्रकार की होती है, एक तो जब पशु को मारा जाता है और दूसरे जब पशु को अंगहीन किया जाता है । आप देखेंगे कि गांवों में यदि किसी पशु को जरा सा भी अंगहीन किया जाये या मारा जाये . . .

पंडित ठाकुर दास भार्गव : १० रुपये से कम के मूल्य के पशुओं के लिये धारा ४२८ है ।

श्री दातार : लगभग १० रुपये या इस से अधिक मूल्य के पशु को मारने या अंगहीन करने की घटनायें प्रायः होती रहती हैं । गांवों में ऐसी घटनायें प्रतिदिन होती हैं । ऐसे मामलों में यह स्वामी पर छोड़ देना चाहिये जिसे न्यायालय में अभियोग चलाने की अपेक्षा क्षतिपूर्ति करवाने या पशु को पुनः प्राप्त करने में अधिक रुचि होती है । अन्ततोगत्वा ऐसे अपराधों को छोटे छोटे अपराध ही समझा जाता है । यद्यपि सम्भवतः वे तुच्छ अपराध न हों जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने बताया है । ये छोटे छोटे अपराध होते हैं और यदि इन में हम दोनों पक्षों में समझौते के लिये सहमत हो जायें तो इस से पड़ौसियों में या अपराधी और शिकायत करने वालों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं । अन्ततोगत्वा, हमें, इस पहलू की ओर भी ध्यान देना चाहिये और मेरी सम्पत्ति में यह पहलू भी एक सामाजिक पहलू है । उदाहरणार्थ, यदि किसी के पड़ौसी ने कोई अपराध किया हो और यदि इस प्रकार के उपबन्ध के फल-स्वरुप अन्त में उन में समझौता हो जाये तो आप देखेंगे कि उन दोनों पक्षो में जो मित्रता पूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जायगे उस से न केवल उन दोनों का भला होगा, अपितु समाज का भी भला होगा । पहले दो पक्षों और फिर व्यक्तियों के बीच होने वाले झगड़े के बढ़ने का भय था । अतः समाज का हित भी इसी में है कि उपयुक्त मामलों में दण्डाधिकारी को या न्यायालय को किसी अपराध का समझौता करा देने का अधिकार हो ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि खंड ६५ का सामान्यतया सभी ने स्वागत किया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के सभी मामलों में नये सिरे से अभियोग नहीं होने चाहियें, क्योंकि नये सिरे से अभियोग चलाने की पद्धति बहुत बुरी है । मुझे मालूम है कि कई बार एक ही मामले में चार या पांच बार नये सिरे से अभियोग चलाने के प्रार्थनापत्र दिये गये । इस से सभा को यह पता लग जायेगा कि अधिकाधिक विलम्ब करने के लिये कितनी उत्सुकता होती है । अतः नये सिरे से अभियोग चलाने को कम से कम कर दिया गया है और जिसकी आवश्यकता है उस के लिये पूर्णतया व्यवस्था कर दी गई है ।

यह कहा गया है कि निर्धनों के मामलों में बाद के दण्डाधिकारी को कुछ विशेष प्रकार के साक्षियों को बुलाने का अधिकार होना चाहिए ताकि वह यह जान सके कि किसी विशेष साक्षी ने क्या कहा है । यह इसलिये किया गया है ताकि बाद का मजिस्ट्रेट किसी विशेष साक्षी के व्यवहार को अच्छी प्रकार जान सके । अतः निर्धनों के मामलों में जिरह के बीच जो कुछ बताया गया है उस के अतिरिक्त यदि कोई दण्डाधिकारी किसी साक्षी के व्यवहार को देख कर यह जानना चाहे कि वह कितना विश्वसनीय है, तो वह ऐसा कर सकता है और इस का भी उपबन्ध कर दिया गया है । अतः मैं यह चाहता हूं कि धारा ६५ इसी प्रकार रहे, क्योंकि इस से अभियोग में शीघ्रता भी आ जायेगी और न्याय की हत्या भी न होगी ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि एक एक कर के चार दण्डाधिकारी आयें और चार

या पाच साक्षियों के चार या पांच बार बयान लें तो क्या चौथे के बाद आने वाला अंतिम दण्डाधिकारी सारे मामले का ठीक ठीक निर्णय कर सकेगा ?

श्री दातार: ऐसे मामलों में वह जितने चाहे उतने साक्षी बुला सकता है। यह उपबन्ध पहिले ही है। अन्यथा यदि हम इन सब उपबन्धों को इसी प्रकार रहने दें तो अभियोग बिल्कुल चल ही नहीं सकेगा, और स्थिति और भी खराब हो जायेगी तथा न्याय में शीघ्रता नहीं हो सकेगी। मैं अपने मित्र श्री टेक चन्द जी को फिर यह बताना चाहता हूं कि सरकार सदा न्याय करवाने के पक्ष में रही है और न्याय का बलिदान कर के शीघ्रता नहीं लायी जायेगी।

अतः, मैं कह रहा हूं कि जहां तक अपराधों म समझौता होने का सवाल है, सरकार ने आवश्यक संशोधन स्वीकार कर लिये हैं। कल श्री साधन गुप्त ने धारा ५०९ के बारे में कहा था, और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने, अपनी धारा ४९४ का निर्देश किया है। जहां तक इन अपराधों का सम्बन्ध है, ये मूल विधेयक अथवा प्रवर समिति के द्वारा प्रतिवेदन विधेयक में नये रूप से नहीं बढ़ाये गये हैं। ये पहले से ही हैं, और न्यायालय की अनुमति से सर्वदा समझौते के योग्य है। इन अपराधों का सामाजिक रूप होने के साथ साथ, जिस का हम को ध्यान रखना चाहिए, विवाह इत्यादि मामलों में इन का व्यक्तिगत रूप भी है। उदाहरणस्वरूप हम पति और पत्नी के जीवित रहते हुए पुनर्विवाह की ही बात लें। इस का भी सामाजिक रूप है, किन्तु ऐसे मामलों में, विधान मंडल ने न्यायालय की अनुमति से अपराधों का समझौता करने की अनुमति दे दी। मुझे धारा ५०९ में हस्तक्षेप करने के लिये कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, जोकि संकेतों द्वारा नारी के अपमान करने के सम्बन्ध में है। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं, और जब कभी ऐसे मामले हों, तो पीड़ित पक्ष को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि इस विषय में उस व्यक्ति से चर्चा कर सके, जिस ने किसी नारी का अपमान किया हो। इस को देखते हुए मेरा नम्र निवेदन है कि जो कुछ हम ने किया है, उस की आलोचना नहीं होनी चाहिए। नये सुधारों के सम्बन्ध में तो आलोचना ठीक है किन्तु मुझे खेद है कि उन उपबन्धों के सम्बन्ध में भी हमारी आलोचना की गई है जो कि पहले से ही वर्तमान थे।

उपाध्यक्ष महोदय: किसी स्त्री को शिकायत करने से रोकने के लिए एक धनी व्यक्ति जूरी को कुछ रुपये दे सकता है, और इस के पश्चात् दूसरी औरत से विवाह कर सकता है।

श्री दातार: कभी कभी ऐसा होता है। मुझे ऐसे मामले मालूम हैं, जहां पहली पत्नी ने अपने पति का ही दूसरा विवाह करवाया।

डा० काटजू: मुझे सप्ताह में एक या दो बार प्रथम पत्नियों से ऐसे प्रार्थनापत्र मिलने का ज्ञान है जिन में प्रार्थना की गई है, "कृपया मेरे पति को विवाह की अनुमति दी जाए। मैं अपने कुटुम्ब में बच्चे चाहती हूं"।

उपाध्यक्ष महोदय: संशोधन संख्या २३८ संशोधन संख्या ६२२ के ही समान है। मैं इसी से प्रारम्भ करता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ १७ में, पंक्तियां १२ से २१ तक निकाल दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२, ९३ और ६०९ मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६१, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड ६२ में श्री दातार का एक संशोधन प्रस्तुत करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १७, पंक्ति ३७ और ३८ में "adverted to or" (की ओर निर्देश किया जाये अथवा) ये शब्द निकाल दिए जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड ६२ के अन्य सब संशोधन अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड ६३ पर संशोधन संख्या ६११ और ४८६ मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ६४ में पांच संशोधन हैं तथा उन सब संशोधनों में एक अग्रेतर संशोधन है जिस के अनुसार एक हजार रुपयों के स्थान पर दो सौ पचास रुपये कर दिये गये हैं । मैं अन्तिम रूप में उन्हें प्रस्तुत करूंगा ।

प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ १८, पंक्ति ३८ में "theft" (चोरी) शब्द के पश्चात् "where the value of property stolen does not exceed two hundred and fifty rupees" ("जहां चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य दो सौ पचास रुपये से अधिक न हो", ये शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) प्रश्न यह है :

पृष्ठ १८, पंक्ति ५१ में "master" (स्वामी) शब्द के पश्चात् "where the value of the property stolen does not exceed two hundred and fifty rupees" (जहां चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य दो सौ पचास रुपये से अधिक न हो) ये शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(३) प्रश्न यह है :

पृष्ठ १९, पंक्ति ४ में "trust" (न्यास) शब्द के पश्चात् "where the value of the property does not exceed two hundred and fifty rupees" (जहां सम्पत्ति का मूल्य दो सौ पचास रुपये से अधिक न हो) ये शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(४) प्रश्न यह है :

पृष्ठ १९, पंक्ति ९ और १० में "wharfinger etc." (घाट वाला आदि) शब्दों के स्थान पर "where the value of the property stolen does not exceed two hundred and fifty rupees" (जहां चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य दो सौ पचास रुपये से अधिक न हो) ये शब्द जोड़े जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(५) प्रश्न यह है :

पृष्ठ १९, पंक्ति ११ में "servant" (सेवक) शब्द के पश्चात् "where the value of property does not exceed two hundred and fifty rupees" (जहां सम्पत्ति का मूल्य दो सौ पचास रुपये से अधिक न हो) ये शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड ६४ के अन्य संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड ६५ के सम्बन्ध में दो संशोधन--संशोधन संख्या ६१४ और ६१५ मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री वेंकटरामन् : मैं यह सुझाव रखता हूं कि दूसरा संशोधन संख्या १६२ भी मतदान के लिए रखा जा सकता है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : अभी नहीं; ऐसा करना उचित नहीं है । माननीय अध्यक्ष के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए इस पर विचार स्थगित रहेगा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा १ दिसम्बर, १९५४ को सभा में प्रस्तुत किए गए, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

इन संकल्पों के लिये समय के आवंटन के सम्बन्ध में, सब कुछ पहले ही सभा द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया जा चुका है । केवल एक सिफारिश है कि पिछली बार सभा १५ मिनट पूर्व उठ गई थी और वह समय अब दिया जाना चाहिए ।

श्री दातार : अर्थात् हम ५-१५ बजे बैठक समाप्त कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा १ दिसम्बर, १९५४ को सभा में प्रस्तुत किए गए, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों

[उपाध्यक्ष महोदय]

और संकल्पों सम्बन्धी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा १९ नवम्बर, १९५४ को विधि के पुनरीक्षण और आधुनिकीकरण के लिये एक निधि आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री तिम्मय्या द्वारा पेश किये गये संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी ।

श्री तिम्मय्या अपना भाषण प्रारम्भ करें । वे १५ या २० मिनट ही लें ।

श्री तिम्मय्या (कोलार-रक्षित-अनुसूचित जातियां): वर्तमान विधि पद्धति का परीक्षण करने से पूर्व मैं संक्षेप में इन विधियों के विकास पर प्रकाश डालूंगा ।

१८३३ में लार्ड मैकाले के सभापतित्व में एक विधि आयोग की नियुक्ति हुई और १८३७ में इंगलैंड लौटने से पूर्व लार्ड मैकाले ने एक प्रारूप दण्ड संहिता प्रस्तुत की । १८४२ में अदालती बहस और प्रक्रिया की एक योजना प्रस्तुत कर के यह आयोग भंग हो गया । १८५३ में सर जान रोमिली के सभापतित्व में द्वितीय विधि आयोग की नियुक्ति हुई, जिस ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रारूप तैयार किया, जो कि १८५९ में पारित हुआ, और परिसीमन विधि का प्रारूप तैयार किया, जो कि १८५९ में पारित हुआ । १८६० में उस ने मैकाले आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई भारतीय दण्ड संहिता का पुनरीक्षण किया और उसी साल वह पारित हो गया । १८६१ में, उस ने दंड प्रक्रिया संहिता का एक प्रारूप तैयार किया ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

इन दोनों दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता में ब्रिटिश प्रक्रिया का अनुकरण किया गया था ।

१८६१ में एक तीसरे विधि आयोग की नियुक्ति की गई, जिसने उत्तराधिकार विधि तथा संविदा अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम, परक्राम्य आलेख अधिनियम और सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के सम्बन्ध में प्रारूप तैयार किए । इस आयोग ने एक पुनरीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम भी प्रस्तुत किए । १८७० में इस समिति ने त्याग पत्र दे दिया । १८७९ तक संहिताबद्ध करने का काम विधि सदस्य के सचिव सर जान स्टीफेन के हाथ में रहा, जिन्होंने १८७१ में एक पुनरीक्षण परिसीमन विधि प्रस्तुत की ।

श्री अमजद अली (ग्वालपाड़ा–गारो पहाड़ियां): औचित्य प्रश्न के हेतु, मैं पूछना चाहता हूं कि जब सभा में विधि आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, तो क्या विधि, अथवा गृह मंत्रालयों से सम्बन्धित किसी मंत्री का होना आवश्यक नहीं है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): दस मिनट के अन्दर ही वे आ रहे हैं । मुझ से इस के सम्बन्ध में नोट लेने के लिये कहा गया है ।

श्री तिम्मय्या: पूर्व के आयोगों पर आधारित संशोधनों के साथ १८७२ में उन्होंने एक संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम तथा संविदा अधिनियम प्रस्तुत किये । १८७७ में एक विशिष्ट सहायता अधिनियम

पारित हुआ । १८७५ के बाद से भारत सचिव ने विधि की अन्य शाखाओं को भी संहिताबद्ध करने का आग्रह किया । इस पर भारत सरकार ने पहले से ही तैयार कतिपय विधेयकों के प्रारूपों पर विचार करने के लिये तीन आयुक्त नियुक्त किये । उनके परिश्रमों के फलस्वरूप १९०८ में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के स्थान पर परक्राम्य आलेख अधिनियम, गैर-सरकारी प्रन्यास अधिनियम, सुविधा अधिनियम, संरक्षक तथा संरक्षित अधिनियम प्रान्तीय दिवाला अधिनियम पारित हुए । बाद को मालिक और नौकर के बीच तथा जिन्हों के सम्बन्ध में प्रारूप प्रस्तुत किए गए ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गत शताब्दी में इन आयोगों ने प्रारूप तैयार किए जो बाद को अधिनियमों में परिवर्तित कर दिए गए । अंग्रेजों ने दंड सम्बन्धी आरोपों के परीक्षण की प्रक्रिया अपने यहां की प्रक्रिया के समान ही बनाने की कोशिश की । इन आयोगों के श्रम के परिणामस्वरूप ही दंड प्रक्रिया संहिता, व्यवहार प्रक्रिय संहिता, संविदा अधिनियम, सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, सुविधा अधिनियम, विशिष्ट सहायता अधिनयम इत्यादि बने ।

ये सारे अधिनियम हमारे देश में लगभग ५० वर्ष से लागू हैं । हम ने इतने दिनों में देख लिया है कि इन में क्या क्या दोष हैं । अब हमारे देश की परिस्थितियां बदल गई हैं । राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सभी दृष्टियों से देश में एक महान् परिवर्तन हो गया है । ब्रिटिश काल में पुलिस का राज्य था, परन्तु अब अपने देश में लोक हितकारी राज्य है । अतः अब यह परमाश्वश्यक है कि अपने देश की वर्तमान परिस्थितयों तथा आवश्यकताओं की दृष्टि से विधियों का पुनरीक्षण हो ।

अब में अपने देश की विधि सम्बन्धी पद्धति का विवेचन करूंगा । यह पद्धति ऐसे तत्वों पर आधारित है जिन का परस्पर कोई मेल नहीं है । मुसलमानों ने अपने राज्य-काल में अपनी पद्धति थोपी और अंग्रेजों ने अपनी । एक धर्म निरपेक्ष राज्य की विधि सम्बन्धी पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जो कि सरल हो, एक रूप हो तथा धार्मिक आधार से परे हो ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरा) : परन्तु मनोविज्ञान के बारे में आप का क्या कहना है ?

श्री तिम्मय्या : मुकदमेबाजी वस्तुतः धनी व्यक्तियों का आमोद है । मुदकमेबाजी का खर्चा कम होना ही चाहिए ।

श्री ए० एम० थामस (एरणा कुलम) : यह वकीलों का सहारा है ।

श्री तिम्मय्या : एक साधारण अभियोग के लिये भी चार अवस्था में पार करनी पड़ती हैं । प्रथम् न्यायालय, अपील न्यायालय, द्वितीय न्यायालय और एक तृतीय न्यायालय, संभवतः उच्च न्यायालय । इस प्रकार एक अभियोग में छः साल लग जाना मामूली बात है ।

हमारी विधियों में अनेक भ्रमपूर्ण बातें और दोष हैं । प्रक्रिया सम्बन्धी विधि की प्रविधियों ने मूल विधि के मान्य सिद्धांतों को ही निरर्थक कर दिया है । इस उद्देश्य से कि न्याय सस्ता और सुगम हो, यह परमावश्यक है कि विधि ऐसी हो जिस से विलम्ब की चालें कम हो जायें । सारे मामलों की जांच के लिये एक आयोग की नियुक्ति ही एकमात्र उपाय है ।

निर्णयोत्पन्न विधि के बारे में हम देखते हैं, कि हमारी विधि सम्बन्धी प्रद्धति में परस्पर विरोधी निर्णयोत्पन्न विधियां हैं । विधान मंडल को इस ओर सतर्क रहना चाहिए

[श्री तिम्मय्या]

कि वह समय की आवश्यकताओं को समझते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधार करे। वर्तमान प्रस्थापना से उस को ऐसा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। वस्तुतः हमारे देश की रक्षा विज्ञान तथा शस्त्रीकरण इत्यादि पर ही नहीं निर्भर है, अपितु विधि तथा व्यवस्था पर है। उचित न्याय प्रशासन ही लोकतंत्र का मूलतत्व है।

अपने संविधान के जन्म से विधियों का पुनरीक्षण और भी आवश्यक हो गया है। संविधान में राज्य की नीति के निर्देशकतत्व दिये गये हैं। संविधान की सफलता के लिये यह जरुरी है, कि हम अपनी विधियों का पुनरीक्षण इन निर्देशक तत्वों के आधार पर ही करें और देश में एक नवीन विधि सम्बन्धी पद्धति स्थापित करें। जो भी विधि बनायी जायें, वे लोकहितकारी राज्य की नीति के अनुकूल होनी चाहिए।

न्याय सरल, शीघ्र, तथा प्रभावी हो, इस के लिये यह आवश्यक है कि प्रक्रिया सम्बन्धी विधि में परिवर्तन किया जाये और उस के सिद्धांतों की पुनः घोषणा की जाए। प्रत्येक अभियोग के लिए एक अवधि नियत कर देनी चाहिए, जिस में उस को पूरी तरह से निपटाया जा सके। यह ध्यान रखना चाहिए कि विलम्ब का अर्थ न्याय की उपेक्षा करना है।

दंड विधि में भी इतने अधिक दोश मालूम पड़ते हैं, कि कोई भी विधान मंडल उस को इस अवस्था में नहीं छोड़ना चाहेगा। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना जरुरी है। यह बड़ा विचित्र तर्क है कि अच्छा नाम देने से बुरी चीज अच्छी हो जाती है।

अपील क्षेत्राधिकार पर दृष्टिपात करने पर भी हम यह पाते हैं कि उस में अनेक दोष है और उस का पूर्ण पुरीक्षण आवश्यक ह। इंगलैंड में अभी हाल ही में रेमांड एवरशीट के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त हुई थी, जिस ने मुकदमेबाज़ी के खर्चे में कमी के सवाल पर विशेष रूप से विचार किया था। उस समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका है, और मेरे विद्वान वकील मित्र उस से लाभ उठा सकते हैं।

अन्त में, हमारे देश में कुछ ऐसी विधियां प्रचलित हैं, जो कि अपने संविधान में दिये गये मूल्य अधिकारों से मेल नहीं खातीं। इस दृष्टि से, ऐसी विधियों को मालूम करने के लिये विधि आयोग की नियुक्ति आवश्यक है।

अतः, मैं सभा से निवेदन करता हूं कि देश में विधि सम्बन्धी एक नवीन पद्धति के पुनर्निर्माण के लिये वह एक विधि आयोग की नियुक्ति के लिये सहमत हो जाये।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में दो संशोधन हैं। क्या माननीय सदस्य उन को प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा (हज़ारीबाग पूर्व): जी हां।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा संशोधन श्री साधन गुप्त के नाम में है। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। अतः उस के प्रस्तुत होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नागेश्वर प्रसाद ने संकल्प पर अपना संशोधन प्रस्तुत किया।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एंव रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक विधि आयोग के नियुक्त करन का

सम्बन्ध है हम संकल्प को स्वीकार करते हैं। वास्तव में, हम इस निश्चय पर काफी समय पहले ही पहुंच चुके थे। माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रकार का एक संकल्प पारित किया था। उस के पश्चात्, हम ने इस मामले पर विचार किया और हम इसे करने के लिए सहमत हुए। वास्तव में, अब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाये।

माननीय सदस्य जिन्होंने इस संकल्प का प्रस्ताव किया है, सामाजिक तथा अन्य मामलों पर भली प्रकार विचार कर चुके हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं तो यह कहूंगा कि मैं इस प्रश्न को हल करने के उन के उपाय से भली प्रकार सहमत हूं। पर मैं पूर्णतः विश्वस्त नहीं हूं कि बड़े बड़े वकील भी इस, उपाय के पक्ष में होंगे—कुछ हो सकते हैं मैं ऐसी आशा इसलिए करता हूं कि एक व्यक्ति जितना ही अधिक विद्वान हो जाता है उतनी ही उस की प्रवृत्ति उपायों के सम्बन्ध में रुढ़िवादी हो जाती है, ज्ञान का भार उस की प्रगति में रुकावट डालता है। अभी से मैं यह नहीं बता सकता कि इस के निर्देश-पद क्या और कर्मचारी कौन होंगे? पर विस्तृत रूप से, जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि एक विधि आयोग बना कर उसे सरल, आधुनिक और आधुनिक स्थितियों के अधिक अनकूल बनाने का प्रयत्न किया जाये, मैं उस से पूर्णतः सहमत हूं। ऐसे मामलों में एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब हम एक विधि आयोग की बात करते हैं तो हमारा मतलब एक ऐसे विधि आयोग से होता है जो अपना काम पूरा कर के भंग हो जाये। इस का मतलब एक जारी रहने वाले विधि आयोग से भी है जिस की बैठकें होती रहें और वह पुनरीक्षण करता रहे, यह एक स्थायी या अर्धस्थायी संस्था हो। मैं समझता हूं कि इस समय हमें वर्तमान स्थिति पर विचार करने और संसद् के विचार के लिए अपनी सिफारिशें भेजने के लिये एक स्थायी विधि आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है। विधि आयोग एक स्थायी संस्था बनाने का सुझाव रख सकता है। उस पर भी उस समय विचार किया जायेगा। पर इस समय हम जिस अवस्था में हैं, उस में एक स्थायी संस्था बनाना अवांछनीय होगा।

दूसरे, यह विषय अति विस्तृत है, और वास्तव, में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं के सम्पूर्ण क्षेत्र में व्याप्त है। यदि कोई विधि आयोग सम्पूर्ण क्षेत्र पर विचार करेगा तो वह अपनी सिफारिशों या अपने निश्चयों पर, कई वर्ष बराबर बैठक करते रहने पर भी, अन्तिम निश्चय नहीं कर सकेगा। यह भी अच्छा न होगा। यदि हम बहुत लम्बी-चौड़ी छलांग लगायें तो उस का कभी अन्त न होगा और जो कुछ हम चाहते हैं उस में भी बड़ा विलम्ब हो जायेगा।

माननीय सदस्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि न्याय में विलम्ब होना न्याय से वंचित करना है। वास्तव में, यह स्पष्ट है। संसार की सर्वश्रेष्ठ विधियां भी व्यर्थ हैं यदि अविलम्बता के समुचित मान में उन का प्रयोग न किया जाये या उन्हें क्रियान्वित न किया जाये। फिर, यदि हम एक विधि आयोग नियुक्त करतें हैं जो इस विस्तृत क्षेत्र में कार्य समाप्त करने में बहुत अधिक समय लेता है तो हमें काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और इस के अतिरिक्त भी हमें विचार करना चाहिए कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए; सारे स्वरूप को एक साथ बदल देने के बजाय थोड़ा काम एक बार कर लेना और आगे के सम्बन्ध में विचार करना अधिक उचित होगा। वास्तव

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

में, यदि उस प्रकार का प्रयत्न कर के सम्पूर्ण क्षेत्र को व्याप्त करने वाली कोई बात सभा के सम्मुख संसद् के विचार के लिए रखी जायेगी तो हमारे सामने विधेयक के रूप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ उपस्थित हो जायेगा। कई कई महीने लग जायेंगे और उस का अन्त नहीं हो पायेगा। यह कठिनाई है। जैसा कि सभा को स्मरण होगा, हिन्दू संहिता विधेयक जिसे हम ने पुरःस्थापित किया था, उस विधेयक के गुण-दोषों के अतिरिक्त वह एक बड़ा विधेयक था और उसे पास करना एक कठिन काम था। अतः उसे तोड़ कर, प्रत्येक खंड को अलग अलग लेने, उसे पास करने और फिर अगले खंड को लेने का निश्चय किया गया था। अतः इस मामले में भी यह प्रणाली उपयुक्त होगी कि पूरी योजना को एक साथ न ले कर, खण्डों और टुकड़ों में लिया जाय; यह बात दूसरी है कि बाद में क्या अन्तिम निर्णय होगा। यह बात बिल्कुल सच है कि एक विशेष टुकड़े पर विचार करते समय हमारे सामने उस सम्पूर्ण की विस्तृत कल्पना रहना आवश्यक है अन्यथा आप कुछ ऐसे टुकड़ों को भी ग्रहण कर लेंगे जो अवांछनीय हैं। अतः विधि आयोग को इस सारी बात की एक स्पष्ट कल्पना करनी चाहिए। उस विस्तृत कल्पना को सामने रख कर, आयोग उस के टुकड़ों को कुछ विस्तार के साथ ले और संसद् उन टुकड़ों पर विचार करे और इस प्रकार हम कुछ प्रगति कर सकते हैं।

अतः जो कुछ भी मैं ने कहा है उस के अधीन मैं इस संकल्प को स्वीकार करता हूं।

श्री एस० वो० रामास्वामी (सैलम): मैं माननीय प्रधान मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने विधि आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता स्वीकार की। हमारे देश की न्यायप्रणाली दूषित है और इस कारण न्याय में बड़ा विलम्ब हो जाता है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रारूप ऐसा है कि उस के वास्तविक प्रयोग में विलम्ब होता है और परिणामस्वरूप वादी प्रतिवादी दोनों बरबाद होते हैं।

मुकदमा लड़ने वाले को सालों बाद बड़ी कठिनाइयों से डिक्री मिलती है पर कई मामलों में डिक्री मिलने के बाद भी विधि की रुकावट वाली नीतियों के कारण उस को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। डिक्री प्राप्त व्यक्तियों को न्याय प्राप्त कराने और डिक्री क्रियान्वित करने में विलम्ब में कमी करने के लिये इस संहिता में कोई सुधार, संशोधन या पुनरीक्षण नहीं किया गया।

विधि आयोग नियुक्त हो जाने के बाद सर्वप्रथम व्यवहार प्रक्रिया संहिता की भद्दी धाराओं, आदेशों और नियमों में परिवर्तन करना चाहिए। साथ ही परिसीमन विधि में भी सुधार किया जाना चाहिए।

दण्ड विधियों की ओर ध्यान देते हुए हम देखते हैं कि भारतीय दण्ड संहिता आज से ९५ वर्ष पुरानी है। उस समय की सामाजिक दशा और आज की सामाजिक दशा में बड़ा अन्तर है समाज का दृष्टिकोण बदल गया है। आज दण्ड सम्बन्धी न्याय के दण्ड देने के दृष्टिकोण की अपेक्षा सुधारवादी दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छा समझा जाता है। कुछ धारायें तो आधुनिक समय में बिल्कुल अनुपयुक्त हैं। उन को निकाल देना चाहिए और कुछ धाराओं में सुधार करना चाहिए ताकि वे हमारे आधुनिक सामाजिक प्रयोजन के अनुकूल बन सकें।

मैं ने राजस्व विधियों के पुनरीक्षण और आधुनिकरण का सुझाव भी दिया है। राजस्व

विधियां विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। जहां पर जमींदारी प्रथा थी वहां पर किसानों को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती थीं। जमींदारी उन्मूलन के बाद भी किसानों को कुछ आराम नहीं मिला क्यों कि इन क्षेत्रों में राजस्व सम्बन्धी विधियों में कोई सुधार नहीं किया गया है। न तो वहां का सर्वेक्षण ही किया गया है जिस से किसानों को सभी बातों का ठीक ठीक पता लग सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायालयों के निर्णयों की मात्रा में भी कमी की जाय। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के मतभेदों को तय करने का भी उपाय किया जाना चाहिए। इस से भी विलम्ब में कमी हो जायेगी।

मेरी इच्छा है कि विधि आयोग को प्रथम अवस्था में व्यवहार प्रक्रिया संहिता और परिसीमत विधि सौंपा जाय। मैं समझता हूं कि एक स्थायी विधि आयोग बनाया जाय जिससे संकल्प के अभिप्राय की पूर्ति की जाये।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड सोरठ) : मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने विधि आयोग नियुक्त करने की बात मान ली है। हमें जानना चाहिए कि विधि आयोग क्या कर सकता है और क्या करेगा। पहला काम उसे यह करना है कि न्याय को सस्ता और शीघ्र प्राप्त होने वाला बनाये। इस के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी विधियों में परिवर्तन करना होगा। विधि आयोग को औद्योगिक विधान या हिन्दू विधि ऐसे विधानों में दखल नहीं देना है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, व्यवहार प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम तथा अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी विधियों में ही उसे सुधार करना है। इस प्रकार का एक परिवर्तन करने के लिए वकीलों की अपेक्षा अच्छे न्यायिकों की अधिक आवश्यकता है क्योंकि वही यह काम अच्छी प्रकार कर सकते हैं। जब हम उन सभी बातों के सम्बन्ध में विचार करेंगे, जिन के अनुसार न्यायिक प्रणाली कार्य करे, तो हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा जैसे कि न्यायिक व्यवस्था का अधिक खर्चीला होना, बहुत सी बातों के आधार पर इस में देरी लगना, आदि आदि। देरी प्रायः न्यायालयों के संगठन, वकालत, वकीलों की आय और न्यायिक व्यक्तियों की भर्ती के फलस्वरूप हुआ करती है। अब यह प्रश्न उठता है कि न्यायालयों का संगठन कैसा होना चाहिए, क्या बहुत से अपीलीय न्यायालय बनायें जायें या उन की संख्या सीमित रखी जायें, क्या क्षेत्र सम्बन्धी तथा आर्थिक अधिकार-क्षेत्र बिल्कुल पृथक रूप से विभाजित होंगे जैसा कि आज कल है या उन में कोई अन्तर होगा ?

एक आयोग द्वारा न्यायिक व्यक्तियों की भर्ती की जांच करानी होगी क्योंकि न्याय का खर्चीला होने एवं उस में देरी होने का कारण न्यायालय तथा बैंच का संगठन है। यह आयोग इस सम्बन्ध में भी जांच करेगा कि व्यक्ति कैसे हों, उन की भर्ती कैसे हो, और उन की नौकरी आदि की शर्तें, क्या हों। ऐसा हो जाने के बाद ही कार्य भी जल्दी होगा और खर्च भी कम होगा। वकालत या वकालत से होने वाली आय कितनी और किस प्रकार हो, इस सम्बन्ध में भी विचार करना होगा। न्याय दो बातों के कारण मंहगा पड़ता है एक तो है कोर्टफीस, तथा दूसरा कारण है वकीलों का मेहनताना। डा० काटजू ने कई बार कहा है कि किसी भी राज्य को कोर्टफीस को अपनी आय का साधन नहीं समझना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस कमीशन में वकीलों की अपेक्षा न्यायकुशल व्यक्ति लेने चाहियें जो

[श्री सी० सी० शाह]

विधियों के प्रक्रियात्मक अंश की ओर अधिक ध्यान दें ।

दूसरी बात इस संकल्प में यह कही गई है कि नज़ीरों का परिमाण कम हो । यूरोपीय न्यायिक व्यवस्था में नज़ीरों को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि ब्रिटिश अथवा आंग्ल-अमरीकन व्यवस्था में दिया जाता है । इसलिए आयोग विभिन्न बहुत से देशों की वैधानिक व्यवस्थाओं की भी जांच करे जहां कि न्याय जल्दी होता है । नज़ीरों का बहुत सा परिमाण, जो कि आज-कल हमारे यहां रहता है, न्याय प्रशासन में सहायता करने की अपेक्षा रुकावट ही अधिक डालता है । फिर इन मामलों की सूचना देने के ढंग भी अलग अलग हैं ।

तीसरी बात इन वर्तमान विधियों के संशोधन की है । संशोधन करने से हमारा अभिप्राय यह है कि सर्व प्रथम तो न्याय शीघ्र ही किया जाय और इस पर खर्चा भी कम हो । दूसरे सभी वास्तविक विधियों का, और दंड विधान, हिन्दू विधि, मुस्लिम विधि, का संशोधन हो । यह एक बहुत बड़ा काम है और यह जरूरी नहीं है कि यही आयोग इस कार्य को करे बल्कि दूसरे विभिन्न विधि आयोगों द्वारा धीरे धीरे यह काम किया जा सकता है । इस के अतिरिक्त दूसरी ओर प्रधान मंत्री की इस बात से भी मैं सहमत हूं कि हमारे यहां एक स्थायी विधि आयोग की आवश्यकता है जो नज़ीरों के सम्बन्ध में जानकारी रखेगा क्योंकि विधि बनाना ही आवश्यक नहीं है अपितु यह जानना भी आवश्यक है कि न्यायालय इन विधियों का किस प्रकार से निर्वचन करते हैं और उन को लागू करते हैं । जब हम यह देखते हैं कि किसी न्यायालय का निर्वचन विधि की भावना का हनन करता है, अथवा विधि का कोई टेक्नीकल दृष्टिकोण न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, तो स्थायी विधि आयोग का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सभी न्यायालयों के निर्णयों की जानकारी रखे, और जहां कि विधि की भावना का हनन हुआ है अथवा टेक्नीकल दृष्टिकोण के कारण न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है, वहां यह आयोग तुरन्त ही उन विधियों के संशोधन अथवा पुनर्विचार के लिए सुझाव दे ।

अब हमें यह देखना है कि ये विधियां किस प्रकार बनाई जाती हैं एवं विधि मंत्रा-लय के क्या कार्य हैं ? मेरा यह निवेदन है कि सैद्धान्तिक रूप से विधि मंत्रालय का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह प्रत्येक विधि का दायित्व ले । यह तो ठीक है कि सम्बन्धित मंत्रालय नीति के बारे में निर्णय करे किन्तु अन्य सभी कार्य जैसे विधेयक का प्रारूप तैयार करना, संशोधनों को स्वी-कार या अस्वीकार करना, आदि उसका कार्य नहीं होना चाहिए । बल्कि विधि मंत्रा-लय को ये सभी कार्य करने चाहियें ।

यदि हम चाहते हैं कि न्याय प्रशासन आज की स्थिति के अनुसार हो तो विधि मंत्रालय को अधिक प्रभावशाली रूप से कार्य करना चाहिये । इंगलैंड में विधि मंत्रालय को केवल विधि मंत्रालय ही नहीं अपितु न्याय--मंत्रालय भी नाम देने का विचार कर रहे हैं । न्यायिक व्यक्तियों की भर्ती के मामले को ही लीजिये हमारा विधि मंत्रा-लय यह नहीं अनुभव करता कि यह उस का दायित्व है वह तो समझता है कि यह किसी दूसरे मंत्रालय का ही कार्य है ।

यदि हम यह चाहते हैं कि सम्पूर्ण न्यायिक व्यवस्था में सुधार हो तो विधि मंत्रालय का इस प्रकार से संगठन करना होगा कि वह अपने कर्तव्यों एवं कार्यों को उचित रूप

से करने लगे। वास्तव में तो काम के संबंध में सहयोग और इसे अन्य दूसरे मंत्रालय पर नहीं छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए औद्योगिक विधान को ही लीजिए, यह एक महत्वपूर्ण विधान है, किन्तु यह देखने के लिए कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है अथवा नहीं, श्रम मंत्रालय पर छोड़ दिया गया है। मेरे विचार से विधि मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि अमुक विधि संसद् की वास्तविक भावनाओं की एवं न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करता है अथवा नहीं, इस बात को देखे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस समय हमें दो काम जल्दी ही करने चाहिएं :—एक तो विधि आयोग की नियुक्ति करे जो देश की प्रक्रियात्मक विधियों की जांच करे और न्यायिक व्यक्तियों की भर्ती विधि व्यवसाइयों का संगठन न्यायालयों की रचना, तथा न्यायिक प्रशासन सम्बन्धी अन्य बातों को ध्यान में रख कर न्यायिक व्यवस्था में सुधार करे। और दूसरे विधि मंत्रालय का पुनर्गठन हो जो विधि के प्रत्येक पहलू से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखे।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं बराबर इस बात पर ज़ोर दे रहा था कि विधि आयोग की नियुक्ति होनी चाहिए जो इस बात की जांच करे और अपराधिक न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली वैधानिक पद्धतियों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करे। अपन अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस विधि आयोग की बहुत दिनों से आवश्यकता थी। मैं जानता हूं कि कभी कभी व्यवसाय अथवा आर्थिक दृष्टि से कुछ वकील यह चाहते हों कि न्याय जल्दी न हो, किन्तु कोई भी उत्तरदायी एवं विचारशील वकील यह पसन्द नहीं करेगा। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि 'ट्रेवर हेरिस' समिति की सिफारिशों को यदि क्रियान्वित किया गया तो नैधानिक प्रक्रिया बहुत कुछ अंशों में सरल हो जायेगी तथा न्याय भी शीघ्रता से होने लगेगा।

इंगलैंड में विधि में ही अपितु छोटे छोटे न्यायालयों में विधि का जो विकास होता है उस में विश्वास किया जाता है। फ्रांस में भी, नेपोलियन, द्वारा जिस ने कि विधि आयोग की नियुक्ति की थी, संहिता बनाई गई थी। विधि स्वयं अपने आप बढ़ने वाली नहीं है और न स्वयं प्रगति करती है, न तो इस में सुधार होता है, इसलिए कहा गया था कि विधान बनाने के लिए संसद् से कहने में कोई लाभ नहीं है। इसलिए इसे सामाजिक चेतना के विकास पर ही छोड़ देना अच्छा है।

इस संकल्प के प्रस्तावक ने कहा है कि हमारी विधि इंगलैंड के न्यायाधीशों एवं वकीलों ने बनाई थी किन्तु जैसा कि सभी जानते हैं, और प्रत्येक वकील भी जानता है कि ये विधियां आज पुरानी हो गयी हैं। हमारे संविदा अधिनियम एवं उन के संविदा अधिनियम को ही लीजिए। हमारा संविदा अधिनियम उन के संविदा अधिनियम का पहला संस्करण प्रतीत होता है जब कि उन के यहां बहुत से परिवर्तन हो गये हैं, उस में आप को बिल्कुल ही बदली हुई व्यवस्था मिलेगी। हमारे संविदा भारतीय संविदा से सीमित हैं। इंगलैंड के प्रगतिशील संविदा की अपेक्षा हमारे यहां की विधि १०० वर्ष पीछे है। श्री शाह ने कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता का ही सरलीकरण नहीं करना चाहिए अपितु संविदा अधिनियम आदि को सुधारने का भी कार्य हाथ में होना चाहिए। मैं उन का समर्थन करता हूं।

रैनकिन समिति के प्रतिवेदन के बाद कुछ सुधार हुए और कुछ संशोधन हुए और मध्यस्थ-निर्णय अधिनियम पूरा कर दिया

[श्री एन० सी० चटर्जी]

गया। व्यवहार प्रक्रिया में भी बहुत कुछ अंशों में संशोधन हो गया। किन्तु उसके बाद से फिर कुछ नहीं हुआ है। संविधान के अनुच्छेद १३ में कहा गया है कि भारत के संविधान के लागू होने से पूर्व जो भी विधियां लागू थीं और संविधान की दृष्टि से असंगत थीं वे अव्यवहार्य हो जायेंगी, और किसी भी राज्य की विधान-सभा कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकेगी जो संविधान के विरुद्ध हो अथवा मूल अधिकारों की दृष्टि से किसी भी प्रकार से असंगत हो। २६ जनवरी, १९५० को जब कि संविधान लागू हुआ तो यह घोषणा की गई थी कि भारतवर्ष में कहीं भी यदि कोई संविधि विद्यमान है और किसी भी रूप में वह मूल अधिकारों का विरोध करती है तो वह अव्यवहार्य होगी। इसलिये यह घोषणा की गई थी कि सभी संविधि जो किसी भी रूप में संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध हैं, रद्द समझी जायंगी। किन्तु अब भी कुछ ऐसी संविधि है जो संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा २४क पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित की गई थी और धारा १५३ भी अवैध घोषित की गई थी। इसलिये संसद् का यह कर्तव्य था कि वह शीघ्रही विधि आयोग की नियुक्ति करती और वर्तमान संविधियों को मूल अधिकारों के अनुरूप बनाती। उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का यह कार्य नहीं है कि वे विधानों को रद्द करें किन्तु चूंकि उन्होंने संविधान का पालन करने की शपथ ली है अतः उन्हें ऐसा करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि विधि आयोग की नियुक्ति की जाय जिस को व्यापक अधिकार हों। और इसके सदस्य न्याय कुशल व्यक्ति ही हों। यह किसी दलीय भावना को लेकर न चलाया जाय। और न किसी दल विशेष के लिए ही हो। इस आयोग का उद्देश्य विधियों को समाज की वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुकूल ही बना होना चाहिए। जैसे जैसे हमारे समाज में औद्योगिकरण हो रहा है। कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है और निजी उद्योगों में प्रगति हो रही है वैसे ही हमें इन विधियों को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। पुरानी विधियों में आमूल परिवर्तन हो जाना चाहिए। हमारा संविधान भी यह चाहता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं उन से हम हताश न हों और काम को पूरा करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करें। यह जरूरी नहीं है कि आप सभी काम एक साथ करें। धीरे धीरे करें--इस वर्ष आप संविधा विधि, आदि ले लें और अगले वर्ष कुछ और। इस प्रकार आप काम का विभाजन कर के कार्य को पूरा कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप इस काम को हाथ में लेंगे, और संविधान तथा जनता की भावना के अनुसार एंव जनता की वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करेंगे उतना ही भारत का भला होगा।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : विधि आयोग की अब आवश्यकता है। प्रधान मंत्री ने भी इसे सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इसके बारे में और कुछ कहना समय का अपव्यय करना है। ट्रेवर हैरिल का प्रतिवेदन भी हमारे सामने है। वांचू प्रतिवेदन भी हमारे सामने हैं। डा० काटजू का 'भारतवर्ष में न्यायिक प्रशासन' में सुधार सम्बन्धी ज्ञापन भी है। मेरा विचार हैं कि इन सभी प्रतिवेदनों की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति बनायी जाय। चाहे वह संसदीय सदस्यों की समिति, विधान विशेषों की समिति हो अथवा तदर्थ समिति हो, जो इस प्रश्न की जांच करे, सिद्धांत और नियम बनाये, निबन्धन की शर्तें बनाय,

और विधि आयोग को जो कि बनने वाला है भेज दे। इसी सम्बन्ध में मेरा संशोधन, है और मैं चाहता हूं कि वह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि माननीय प्रस्तावक का विधियों के नवीनीकरण से क्या अभिप्राय है? यह तो ठीक है कि सामाजिक प्रवृत्तियों, समाज के परिवर्तन, सभी वस्तुओं के प्रति आजकल के वातावरण के अनुसार वैसी ही भावना बनाना, आदि के आधार पर नवीनीकरण किया जा सकता है किन्तु सम्पूर्ण विधियों का एक साथ ही नवीनीकरण करना बड़ा कठिन कार्य है। अन्य देशों में इस सम्बन्ध में जो प्रयत्न किये गये हैं उन से पता चलता है कि वे असफल रहे हैं किन्तु संविधियों में जब तब और यहां-वहां संशोधन करने से काफ़ी लाभ हुआ है।

१८७७ के एक अधिनियम ने ही १३०० संविधियों का निरसन किया। इस से प्रकट होता है कि उस सब के होते हुए भी यह पूर्णता से बहुत पीछे हैं और विधानों को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए बहुत कुछ करना होगा। मैं मानता हूं कि इस में कठिनाइयां हैं। इस सम्बन्ध में, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि न्यायाधीश में हरचन्द महाजन का बल है कि संविधि-पुस्तक पर केवल उन्हीं विधानों को रहने दिया जाय जिन्हें समाज के लिए अनिवार्य समझा जाये और उन की भी भाषा सरल बनाई जाय ताकि सर्वसाधारण उसे समझ सकें। अतः मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं और कहता हूं कि विधि आयोग की नियुक्ति के पूर्व विधान-विशेषज्ञों की एक समिति होनी चाहिये जिस का कार्य निर्देश-पद बनाना और उन सारे विषयों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करना हो जिन पर आयोग नियुक्त करने के पूर्व विचार करना है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय: समय सारणी के अनुसार इस संकल्प को २ घन्टे ३९ मिनट लगने चाहिये, परन्तु मैं देखता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री ने भाषण किया है और सम्भव है कि माननीय गृह मंत्री भी बोलें। यदि सभा चाहे तो, मैं महसूस करता हूं कि संकल्प को आधा घन्टा और दिया जाये ताकि हम इस पर विचार-विमर्श कर सकें। और फिर यदि सभा उस पर और वार्ता न करना चाहे तो उस समय मैं उसे सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): मेरा निवेदन है कि आगामी संकल्प के लिए भी कुछ मिनट छोड़ दिये जायें।

सभापति महोदय: मैं भी यही कह रहा हूं। यदि इस पर पर्याप्त वार्ता हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि अब एक भी मिनट नष्ट किया जाये।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (ज़िला प्रतापगढ़ पूर्व): सभापति महोदय, जहां तक ला कमीशन की नियुक्ति आवश्यक समझी जा रही है, मेरी समझ में हमारे इस सदन के अतिरिक्त बाहर भी प्रायः लोगों का यही मत है। जो लोग जरा भी समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में न्याय करने का प्रबन्ध चलाया जा रहा है वह सभी लोग प्रायः यह महसूस करते हैं कि ला कमीशन की नियुक्ति आवश्यक है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त इस की आवश्यकता बताने के लिये बहुत कुछ निवेदन करने की जरूरत है। परन्तु तो भी एक दो बातें निवेदन करना मैं आवश्यक समझता हूं।

हमारे कानून जो बने थे, जिन कानूनों के मुताबिक हमारे यहां आज न्याय किया

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

जा रहा है, वह कानून उस समय बने थे जब इस देश में गुलामी थी। जब हम को कोई अधिकार नहीं था हमारे बनाये हुए कानून यह नहीं है। यहां विदेशी राज्य करते थे, उन्होंने अपने दृष्टिकोण से कानून बनाये थे। और जो कानून इस समय हमारे यहां चल रहे हैं वह प्रायः उन्हीं के समय के हैं। इस में कोई सन्देह नहीं है कि जब कहीं कोई विदेशी राज्य करता होता है तो उस का दृष्टिकोण वहां के रहने वालो के दृष्टिकोण से भिन्न होता है और उस दृष्टिकोण की झलक सब से पहले वहां के कानूनों में आती है। हुकूमत के जो नियम बनते हैं उन में जरुर उस की झलक आती है और कहना तो यों चाहिये कि एक तरीका, एक पद्धति यहा उन के राज्य करने की थी, जो पद्धति कि उन के यहां अपने देश में राज्य करने की थी उसी के आधार पर, उसी पद्धति को रखते हुए, उन्हीं कानूनों के लिहाज से, उन्हीं कानूनों के मातहत, उन्होंने अपना राज्य यहां पर चलाने का एक तरीका अख्तार किया था। सारे संसार में वह यह भी साबित करते थे कि हम ने कानून के जरिये से राज्य करने का तरीका तथा डिमाक्रैसी का अर्थात् प्रजातंत्रात्मक तरीका रक्खा है। जब कोई हुकूमत एक पद्धति के मातहत इस तरह के कानून बना कर शासन चलाती है तो निश्चित रूप से उस का दृष्टिकोण उन्हीं कानूनों के अनुसार होता है क्योंकि उन्हीं कानूनों के मातहत सारे देश का प्रबन्ध, सारी हुकूमत का प्रबन्ध ऐसे शासक लोग करते हैं। इस वास्ते जितने हमारे कानून बने हैं, प्रायः सभी में हमारे विदेशी शासकों का दृष्टिकोण रहा है, और उन के चले जाने के पश्चात् यह आवश्यक हो गया कि हम जितने कानून अपने बनायें या जो संशोधन अपने कानूनों में करें उन को उस दृष्टिकोण से करें जो हमारे देश का दृष्टिकोण हो, जो कि उन का दृष्टिकोण कभी नहीं हो सकता था जो ६, ७ वर्ष पहले हमारे देश के शासक थे। फिर उन शासकों के चले जाने के पश्चात् हमारे समाज में कितना परिवर्तन हुआ, हमारे रहन सहन के तरीकों में कितना परिवर्तन हुआ, हमारी नीति कितनी बदल गई? हमारी नीति जो नीति पहले थी उस से बहुत पलट गई, एक रास्ते पर हम चल रहे थे, अब दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसी हालत में हमारे रास्ते में पुराने कानून से बड़ी अड़चनें पड़ सकती हैं, जो कुछ हम करना चाहते हैं उस के रास्ते में बड़ी कठिनाइयां हो सकती हैं। अगर हम एक आध ही कानून को उठा कर देखें, केवल एक दो कानून जो उन्होंने बनायें हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उन का दृष्टिकोण क्या था। इस वक्त जो गणतंत्रात्मक राज्य हमारे देश में चल रहा है उस के हिसाब से जो एक व्यक्ति है, उस का सब से बड़ा स्थान है, सब से ऊंचा स्थान एक व्यक्ति का है चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो।

यह पद्धति हमारी पहले नहीं थी। यह दृष्टिकोण हमारे शासकों का नहीं था। उन का दृष्टिकोण यह था कि हमारा शासन कैसे सुरक्षित रहे। यह उन का मुख्य दृष्टिकोण रहता था। पहली बात जो उन के दिमाग में आती थी वह यह आती थी कि हमारा शासन कैसे सुरक्षित रहे। जब वह शासन की सुरक्षा सिद्ध कर लेते थे उस के बाद ही वह दूसरी चीज़ों पर जाते थे। और अगर हम उन के कानूनों को देखें तो उन में इस की झलक बहुत साफ है। मैं उन के केवल एक कोड के बारे में आप से निवेदन करना चाहता हूं। उस से आप देखेंगे कि यह बात कितनी साफ है। उन्होंने इंडियन पीनल कोड बनाया। उन्होंने जो अपना

पीनल ला बनाया उस को आप एक मिनट के लिये देखें आप देखेंगे कि उन की उस कानून को बनाने में क्या तरतीब थी। आप देखेंगे कि कानून बनाते वक्त कौन सी बात उन के दिमाग में पहल आयी थी सरकार के खिलाफ जो जरायम हो सकते थे पहले उन के दिमाग में वह आये और उन के लिए उन्होंने प्रावीजन किया। उस के बाद ही कौन सी दूसरी बात उन के दिमाग में आयी। तो दूसरी बात जो उन के दिमाग में आयी वह यह थी कि अमन किस तरह से कायम रहे। वह भी उसी का एक अंग है। जो शासन चलाता है वह अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिये उस को पुष्ट करने के लिए ऐसे कानून बनाता है जिन से शान्ति कायम रहे, कहीं पर कोई बदअमनी न हो। लिहाजा उस के लिए भी उन्होंने कानून बनाया। और फिर जितने अधिकारी हैं उन के लिए कानून बनाये, जैसे कंटेम्प्ट आफ कोर्ट है या कंटेम्प्ट आफ पब्लिक सरवेंट्स है, इस के लिए उन्होंनें प्रबन्ध किया। फिर उन्होंने सिक्कों के बारे में कानून बनाये क्योंकि शासन चलाने के लिये धन की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने सिक्कों के बारे में कानून बनाये। इस के बाद उन्होंने वजन के बारे में कानून बनाये जिस से व्यापार चल सकें। इसके बाद उन्होंने माप के बारे में कानून बनाये। और जो जरायम वजन और मेजर्स से सम्बन्धित हैं उनके बारे में कानून बनाये। इसके बाद उन्होंने इलेक्शन के बारे में भी कानून बनाये क्योंकि वह डिमाक्रेसी की भी एक शक्ल यहां रख रहे थे। और इस प्रकार के शासन को चलाने के लिए यह आवश्यक था कि वह उन कानूनों को बनावें। और इन सब के बाद वह उस व्यक्ति पर आये जो कि आजकल हमारे शासन में मुख्य चीज है। गणतंत्रात्मक राज्य में व्यक्ति प्रधान होता है। आजकल के हमारे शासन में वहां का नागरिक सब से ऊंचा स्थान रखता है। इसलिए अब हम को सब से पहले उस व्यक्ति की रक्षा के लिए कानून बनाने होंगे। अगर उस पर कोई जरर आवे, अगर उस पर कोई हमला हो, उस पर कोई चोट आवे उस के बचाने के लिए हम को अब कानून बनाना चाहिए। तो अब सब से पहले हमारे दिमाग में वह व्यक्ति आवेगा। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पहले शासकों ने व्यक्ति के लिए जो कानून बनाया वह सब से बाद में बनाया। व्यक्ति उन की तरतीब में सब से बाद में आता है। अगर किसी व्यक्ति के चोट लग जाये, ग्रीवस हो या सिम्पिल हो, या किसी का कत्ल हो जाये, इस का कानून उन्होंने बाद में बनाया।

अगर मैं इस सारी तरतीब में जाऊं तो बहुत लम्बा चला जाऊंगा। आप चाहे जिस एक्ट को देखें, चाहे जिस कानून और कायदे को देखें आप को हमारे विदेशी शासक के दृष्टिकोण की झलक साफ दिखलायी पड़ेगी। लेकिन हमारा दृष्टिकोण वैसा नहीं हो सकता। मैं नें तो आप को एक बहुत मामूली सी बात बतलायी है। पेचीदगियों की बातें तो और माननीय सदस्यों ने आप के सामने रखी हैं जिन की वजह से यह आवश्यक है कि जो कानून अब तक चलते रहे हैं वे आगे न चलते रहें। वे हमारे लिए मुफीद नहीं हो सकते, वह हमारे लिए सहायक नहीं हो सकते। जिस तरह का हम समाज बनाना चाहते हैं, जिस तरह की बातें हम करना चाहते हैं, जो तरीका हमने अख्तियार किया है, उस में हम को ये कानून मदद नहीं कर सकते। हम को अपने विकास के लिए ऐसे कानून चाहिए जिन से हम को अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिले, और जिन के द्वारा हम अपने देश को विकसित कर सकें। इस के लिए हम उस कानून पर विचार करें जो कि हमारे देश में प्रचलित

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

हैं । पहले तो विकास का कोई जिक्र ही नहीं था । पहले तो हमारे शासकों को विकास से कोई मतलब ही नहीं था ।

डा० काटजू : विकास से क्या मतलब है ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : डिवेलपमेन्ट ।

डा० काटजू : संविदा दो व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते का परिणाम होता है । उस में विकास क्या है ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : कांट्रेक्ट का कानून है । उस में भी प्रिंसिपल है, एजेंट है, एजेंसी सिस्टम हैं । इन सब के लिए जब आप कानून बनाने बैठेंगे तो प्रधानता किस की होनी चाहिए ? अब तक तो एक कैपीटलिस्ट की ही प्रधानता रही थी । लेकिन अब वह चीज़ बदलती जा रही है । आज बड़ी जायदाद वालों की प्रधानता खत्म हो रही है ।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करूंगा वह ज़मानत के सम्बन्ध में है । कोई चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वह कितनी ही बड़ी हैसियत रखता हो, चाहे वह अपने मुल्क का कितना ही बड़ा लीडर हो, लेकिन अगर वह चाहे कि इस बिना पर वह किसी की ज़मानत कर दे तो ऐसा नही हो सकता । जमानत उस की हो सकती है जिस के पास ट्रांसफरेबिल जायदाद हो, वह उस जायदाद की बिना पर ज़मानत कर सकता है । वैसे आप चाहे जितने बड़े नेता हों, मेम्बर आफ पार्लियामेंट हों, और आप किसी की बेल करना चाहे तो अगर आपके पास जायदाद नहीं है तो दिक्कत होती है । अब तो समय बदल रहा है । शायद अब इतनी दिक्कत न भी पड़े लेकिन कानून अब भी वही है, सिर्फ अधिकारियों का रुख बदल गया है । वह समझने लगे हैं कि क्या होना चाहिए । हमारे कानूनों में कुछ संशोधन भी आ रहे हैं । लेकिन जब हम अपनी पहली हैसियत को आजकल की हैसियत से मिलाते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि हम को अपने कानून बदलने चाहिए ।

इस के पहले हमारे जिन मित्रों ने निवेदन किया उन्होंने बतलाया कि एक मुस्तकिल ला कमीशन रहना चाहिए । मैं निवेदन करूंगा । कि इस के पहले कि कोई ला कमीशन आवे, इस के पहले कि उस का काम शुरू हो, इस बात की बहुत जरूरत है कि यह सोचा जाय कि उस का तरीका क्या हो, किस तरह से चीजें उस के सामने आवें । ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि इस कमीशन के आने के पहले एक कमेटी बनायी जाय जिसके द्वारा वह क्रम निश्चित किया जाय जिस के अनुसार कमीशन काम करे । कमीशन बनने में चाहे कुछ देर भी लग जाय लेकिन यह कमेटी जल्दी से जल्दी बनानी चाहिए, नहीं तो कमीशन आने पर उस का काम टलता जायगा, और मेरा निवेदन यह है कि यह काम ऐसा नहीं है जो कि टलता जाय मेरा निवेदन है कि जब हमारा ला कमीशन आवे तो कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर उस का ध्यान जाना आवश्यक है । और वह बातें वही हैं जो कि उस की आवश्यकता को बढ़ाती हैं, उस की नियुक्ति की आवश्यकता को बढ़ाती है ।

हमारे जो वर्तमान कानून हैं वह बदलें और उन में आवश्यक संशोधन किए जायें लेकिन उस के साथ यह भी आवश्यक है कि जो हमारे मशीनरी है कानून के चलाने के लिए, जो हमारा साधन है ज़रिया है काम करने का उस में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, उस में भी काफी संशोधन करने

की आवश्यकता है । इस के अलावा हमें यह भी देखना है कि हमारा आधार क्या होना चाहिये, किसी कानून का, उस के क्या बैसिक प्रिंसिपल आधारभूत सिद्धान्त उस के पीछे क्या होने चाहियें जिन पर कि वह कानून बने, यह हमारे लिए सोचने की बात है और जैसा कि मेरे और कई मित्रों ने निवेदन किया इसके लिए केवल वकालत करने वाले बड़े बड़े वकील और जूरिस्ट्स ही आवश्यक नहीं हैं, इस कमीशन में ऐसे लोगों को भी लिया जाना चाहिए जो इस को समझ सकते हैं और इस मसले की तह में जा सकते हैं और मेरी समझ में ऐसे लोगों का सहयोग कमीशन को अपना काम पूरा करने में काफ़ी सहायता करेगा । आप किसी एक मसले को लीजिये । आज क्रिमिनल ला में तब-दीली करने की बात बहुत चल रही है, उसी को आप ले लें, आप देखेंगे कि उस के सम्बन्ध में कितनी बातों पर आप को विचार करने की आवश्यकता होती है । मसलन सेशन ट्रायल हो या न हो, कम्पा-उन्डैबुल कोई जुर्म हो कि नहीं, वारेंट केस हो कि नहीं जूरी के साथ ट्रायल हो या नहीं, आनरेरी मजिस्ट्रेट होने चाहियें या नहीं होने चाहियें, एपिलेट पावर्स क्या होनी चाहियें, ट्रान्सफर एप्लीकेशंस किस हालत में होनी चाहियें, ये और इसी तरह के दूसरे सवाल हमारे सामने पेश होते हैं ...

सभापति महोदय: माननीय सदस्य ने तीन मिनट अधिक ले लिये हैं !

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्योंकि कोई काल-अवधि निश्चित नहीं की गयी थी।

सभापति महोदय: संकल्पों के सम्बन्ध में यह नियम है कि प्रस्ताव करने वाले को ३० मिनट तथा अन्य बोलने वाले सदस्यों को केवल १५ मिनट मिलेगा। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उन्हें दो एक मिनट और दे सकता हूं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: मैं केवल दो एक मिनट लूंगा ।

सभापति महोदय: निश्चय ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: मैं निवेदन कर रहा था कि यह कानून में, जो इस तरह के परिवर्तन हैं, उन पर विचार करने के लिये अध्ययन की आवश्यकता होती है और उस अध्ययन के लिए मैं समझता हूं कि अभी से कोई एक मशीनरी कायम हो जानी चाहिए, कोई एक संगठन बन जाना चाहिए जो ला कमीशन के सामने मैटीरियल आना है उस पर अध्ययन कर के और उस को तैयार कर के एक सही शक्ल में कमिशन के सामने रक्खे और यह काम किसी एक कमेटी के बना देने से या किसी एक संस्था के बना देने से नहीं हो सकेगा, बल्कि होना यह चाहिए कि अलग अलग कानूनों के लिए अलग अलग आरगेनाइजेशन अथवा संगठन बना दिए जायें और अगर ऐसा किया जायगा तो इस काम में सहूलियत होगी। मैं अब हाउस का और अधिक समय नहीं लेना चाहता और मैं इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । हमारी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी इस को पास कर दिया है और अब इस में कोई विवाद नहीं रह गया है कि यह बनाया जाये अथवा न बनाया जाय, केवल आवश्यकता उस के लिए तैयारी करने की ओर एक उपयुक्त मशीनरी कायम करने की है ।

श्रीमती इला पाल चौधरी (नवद्वीप): यदि अन्ततोगत्वा सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि एक विधि आयोग बनाया जाये, तो हम आशा करते हैं कि इस में केवल विद्वान अधिवक्ता तथा विधि वेत्ता ही नहीं होंगे, अपितु उस में सामाजिक कार्यकर्त्ता, कल्याण-कार्यकर्त्ता , मनोवैज्ञानिक, और यहां तक कि कुछ चिकित्सक भी सम्मिलित होंगे,

[श्रीमती इला पाल चौधरी]

ताकि वे सब मिल कर इस बात पर विचार कर सकें कि उन्हें हमारी विधियों में क्या हटाना है और क्या सम्मिलित करना है। विशेष कर मैं यह सिफारिश करती हूं कि जब विधि आयोग नियुक्त हो जाये, तब वह तरूण अपचार को एक विशेष व्यवहार प्रदान करेगा। मैं ने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री तथा तरुण अपचारियों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता है। आज-कल ऐसा व्यवहार वास्तव में लज्जाजनक है। उन्हें बुरी तरह डरा दिया जाता है, थानों में ले जाया जाता है और उन से नाना प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कल्याणकारी राज्य में किसी भी विधि के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए, अपितु उन परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए जो उन्हें ये समाज विरोधी कार्य करने पर बाध्य करती हैं। मैं आशा करती हूं कि इस आयोग में सदस्य इन तरुण तथा स्त्री-आपचारियों की सामाजिक पृष्ठ-भूमि की खोज करेंगे, और उन में सुधार करेंगे। निश्चय ही यह विधि निर्माताओं का कार्य है कि वे इस पर ध्यान दें कि उन्हें केवल दण्ड ही नहीं दिया जाय अपितु जब वे विधान के समक्ष उपस्थित हों उन की विचारधारा में परिवर्तन कर दिया जाय ताकि वे फिर अच्छे नागरिकों के रूप में वापस जा सकें।

सेठ अचल सिंह (ज़िला आगरा—पश्चिम) : सभापति जी, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। हमारे देश में बहुत समय से यह मांग चली आ रही है कि समय के अनुसार कानून बनाने चाहियें और इस प्रस्ताव में उस कमी की ओर ध्यान दिलाया गया है और इस हेतु वह स्वागत योग्य है। अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में कानून अपनी सत्ता और अपनी धाक कायम रखने के वास्ते बनाये थे। वर्तमान कानून निहायत ही खर्चीला कानून है और इस के द्वारा न्याय मिलने में काफ़ी समय और खर्चा लगता है। लोग इन कानूनों के कारण परेशान हैं और इन की वजह से भारतवासी कराह रहे हैं और जनता की इसी भावना को ध्यान में रखते हुए जुलाई सन् १९५३ में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आगरे में यह पास किया कि ऐसे कानून बनायें जायें जो देश की जरूरत के अनुसार हों और जिन में कम से कम खर्चा हो और कम से कम समय लगे। इस प्रस्ताव द्वारा आज यह कमी पूरी होती दीख रही है। मैं आप को बताऊं कि जब सन् १९२१ में महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन चलाया था उस वक्त कोर्टस का बायकाट किया गया था, हम ने आगरे में भी उस समय कोर्टस का बायकाट किया था। उस वक्त हम ने आगरा शहर में पंचायतें स्थापित की थीं और हमारा अनुभव यह रहा कि जहां रोज़ाना पहले सैकड़ों मुकदमे दायर होते थे वहां केवल दस, पांच ही दायर होने लगे और जनता बड़ी खुशी से अपने मामले पंचायतों द्वारा निबटा लिया करती थी। हमारा भारतवर्ष एक गरीब देश है और अंग्रेजों से पेश्तर यहां पर इस किस्म की अदालतें नहीं थीं, हर शहर व गांव में पंचायतें हुआ करती थीं और वे वहां के लोगों का मामला निबटा दिया करती थीं और पंचायतों द्वारा निर्णय कराने में कोई खर्च भी नहीं होता था। यह कहावत भी प्रसिद्ध है कि जहां पंच होता है वहां परमेश्वर होता है और वहां पर जनता को पूरा पूरा न्याय मिल जाता है।

वर्तमान न्याय प्रणाली काफ़ी खर्चीली है और उस में समय भी काफ़ी लगता है और देखने में आता है कि जो मुकदमा झूठा होता है वह सच्चा बन जाता है और सच्चा मुकदमा झूठा बन जाता है और अदालतों

में वकील लोग कानूनी बहस चलाते हैं और झुठ को सच और सच को झूठ साबित करते हैं लेकिन जहां पर पंचायतें होती हैं वहां उन में लोकल (स्थानीय) व्यक्ति होते हैं जो सब बातों को स्वयं जानते बूझते हैं और इस कारण वहां ठीक न्याय मिलता है ।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : न्यायाधीश साक्षी है ।

सेठ अचल सिंह : इसलियें पंचायतों द्वारा न्याय दिलाने की प्रथा जो भारतवर्ष में शुरु से रही है वही यहां के लिये उपयुक्त है और इसलिये यह जो प्रस्ताव पेश हुआ है वह बहुत उपयुक्त है और हमारे प्रधान मंत्री पंडित नेहरु ने भी उस के उसूल को मान लिया है । मैं चाहुंगा कि अंग्रेजों ने जितने भी कानून इस देश के लिये बनाये हैं जैसे ताज़ीरात हिन्द, रोशनी हिन्द, और माल के कानून वगैरह उन पर पूरा गौर किया जाय और समय की मांग को देखते हुए और देश-वासियों की इच्छा का आदर करते हुए उन कानूनों को फिर से बनाया जाय अथवा संशोधित किया जाय जिस से जनता को कम से कम समय में और कम से कम खर्च में न्याय मिल सके । मैं, इस प्रस्ताव में जो मांग की गयी है उस का पूरी तौर से समर्थन करता हूं ।

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि जो यह प्रस्ताव है, यह एक नान-आफिशल मेम्बर की तरफ से पेश किया गया है और हमारे नेता ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर के अनुमति दी । हमारे देश में कानून इतने ज्यादा बड़ गए हैं, इतने उन में संशोधन हो रहे हैं कि आज उन कानूनों का पता न तो अदालतों को है कि हमारे देश में क्या क्या कानून हैं और न ही बहुत सारे वकीलों को, सिवाय बहुत बड़े वकीलों के जिन के पास तमाम कानूनों की लाइब्रेरी मिल सकती है । तमाम देश के अन्दर जो मुफसिल कोर्टों के वकील हैं और जो अन्य लोग हैं उन को पता नहीं कि यह कानून क्या हैं और न ही उन के पास कोई लायब्रेरी है । जब कभी उन के पास कोई मुकदमे आते हैं तो वे वकील कहीं से किताब मंगा कर पढ़ लेते हैं और इस तरह से अपना काम चलाते हैं । जजों को भी मालूम नहीं कि यह तमाम कानून क्या हैं और हाई कार्टस वगैरह में तो सब जरुरी रिकार्ड होने की वजह से वहां पर सब कानून मौजूद हैं । लेकिन मुफसिल कोर्टों की अदालतों में कोई अच्छी लायब्रेरी नहीं है । उन जजों को इन कानूनों का पता नहीं । इसलिए यह बहुत जरुरी हो जाता है कि उन को इन तमाम कानूनों का पता हो । मुझे पता है कि बहुत से ऐसे कानून हैं जो कि हाई कोर्टों ने अलट्रा वायरिस (अनियमित) ठहरा दिये हैं लेकिन वह अभी तक हमारी स्टेटूट बुक पर मौजूद हैं । हमारे विधान के पास होने के बाद यह जरुरी हो जाता है कि वह तमाम कानून विधान के अनुसार बदल दिये जायें । लेकिन अभी तक वह तमाम कानून बदले नहीं गये और जब वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कार्ट के सामने जाते हैं तो वहां पर उन को अलट्रा वायरिस डिक्लेयर किया जाता है (अनियमित घोषित किया जाता है) इन के अलट्रा वायरिस डिक्लेयर हो जाने के बाद भी यह कोशिश नहीं की जाती कि उन कानूनों को कानून की दृष्टि से ठीक कर दिया जाये । आज हमारे देश में सब जगह एक ही कानून लागू हैं लेकिन अगर कानून की किताबों को देखें तो पता लगे गा कि एक ही कानून के मुताल्लिक हाई कोर्टों ने अलग अलग रुलिंगज़ दिये हैं । आज हाई कोर्टों के जजों की राय में इख्तिलाफ हैं । जरुरत इस बात की है कि सारे देश के लिए एक कानून बना दिया

[श्री आर० डी० मिश्र]

जाये। अगर एक जगह के लिए एक बात ठीक है तो दूसरी जगह के लिए भी वह ठीक होनी चाहिए। तो सब से बड़ी जरुरत आज देश के अन्दर इस बात की है कि कानून सही हों, ठीक हों, क्योंकि कानून एक ऐसी चीज है जो जनता को मालूम होना चाहिए। आप को वकील होने के नाते मालूम ही है कि कोई मुल्जिम इस बात का ऐतराज नहीं कर सकता कि मुझे यह कानून मालूम नहीं था। इस लिये यह जरूरी हो जाता है कि कानून इतने सीधे और साफ हों कि जनता को आम तौर पर मालूम हों कि क्या कानून हमारे देश में हैं और क्या जुर्म है और क्या जुर्म नहीं हैं। जब हमारे मुल्क के बड़े बड़े व्यक्तियों को, मैजिस्ट्रेटों को और आम वकीलों को तमाम कानून मालूम नहीं, उन की पेचीदगियां मालूम नहीं तो साधारण जनता को वे कैसे मालूम हो सकते हैं यह बहुत बड़ी जरूरत थी इस देश की कि उन तमाम कानूनों को देखा जाये।

मुझे कुछ उम्मीद हुई थी यह देख कर कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन किये जा रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि सवाय दो चार बातों के जो इस संशोधन में अच्छी हैं और जिन के जरिये कुछ सहूलियतें दी गई हैं लेकिन जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं आगे हो जायेगा। मुझे उम्मीद है इस ला कमीशन में अच्छे अच्छे जुरिसट होंगे, अच्छे अच्छे जज होंगे और वह तमाम कानूनों को देख कर जो अच्छे कानून होंगे उन को स्टेट्यूत बुक पर रखने की सिफारिश करेंगे और जो खराब होंगे उन को रद्द करने की सिफारिश करेंगे। यह राय मेरी ही नहीं हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो आज कल चीफ जस्टिस श्री मेहर चन्द महाजन हैं उन की भी यही राय है। यह राय उन की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ऊपर लांगी गयी थी और उन्होंने जो राय दी है वह सफह ३१४ पैरा ५ ग्रुप 'सी' में दर्ज है।

पैरा ५ में इस तरह कहा गया है :—

आज की इस स्थिति के लिये जटिल प्रकार की संविधि पुस्तक में आई विधियां उत्तरदायी हैं। अंग्रेज जब भारत से बाहर गये, उस समय हमारी संविधि पुस्तक अपने प्रकार की विधियों से भरी हुई थी। इधर ५ वर्षों में हम ने भी असंख्य नियम-विनियम बनाये। मेरे विचार से देश की संविधि विधियों में तदर्थ कमी की जाय।

डा० काटजू: क्या आप अपनी राय भी देंगे या दूसरों की राय ही पढ़तेजायेंगे।

श्री आर० डी० मिश्र: मेरी भी यही राय है। सभी प्रकार की माननीय जाति-विधियों के सम्बन्ध में असंख्य विधियों के बनाने से कोई लाभ नहीं है। संविधि पुस्तक की अनेक विधियों का पालन क्या होता है, उन के पालन की अपेक्षा उल्लंघन अधिक होता है। अतः न्याय प्रशासन प्रणाली में कोई भी सुधार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि केवल आवश्यक विधियों को ही संविधि प्रस्ताव में रखा जाय, शेष सभी विधियां निकाल दी जायें। और इन शेष रखी गयी विधियों को भी सरल और आसानी से समझे जाने लायक बना दिया जाय। तभी आप की वर्तमान प्रणाली ठीक प्रकार चल सकेगी

इसलिये इस ला कमिशन का बनना निहायत जरुरी है और मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं। अब तक हमें मालूम नहीं है कि क्या कानून है। मैं यहां पर अपने देश के प्राचीन मंत्रों को जो वेद में दिये

हुए हैं, इस सम्बन्ध में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

प्रात्तर्युजा विवोध्याश्विना वेह गच्छताम्
अस्य सोमस्य पीतये । ऋग् १।२२।१

[इस समता के फल अर्थात् न्याय का उपभोग करने के लिये मौलिक अधिकार तथा उन को कार्यान्वित्त कराने वाले न्याय-अधिकरण का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये]

इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जो कुछ यहां पर दिया हुआ है उस पर अमल किया जाय और इसके लिये जो लाज़ (कानून) बनाने होंगे उन के बारे में हमें क्या करना चाहिए यह दूसरे मंत्र में दिया हुआ है जो इस प्रकार है :—

या सुरथा रथीतमोभा देवा दिति स्पृशा
अश्विना ता हवा महे । ऋग् १।२२।२

[जो दोनों अच्छे न्यायाधीश तथा कुशल शास्त्रज्ञ हों उन को उच्च न्याय-अधिकरण का कार्य करने के लिये आह्वान करना चाहिये ।]

इसलिए हमें अपनी न्याय-प्रणाली के सुधार के लिये विधि आयोग रखना पड़ेगा, और इस के लिये हमें अपने राष्ट्र के सर्व-श्रेष्ठ न्यायाधीशों तथा गणमान्य जूरी-विशेषज्ञों को निमंत्रित करना होगा ।

उस के बाद तीसरे मंत्र में जो तीसरी बात लिखी गई है वह यह है :

'या वां कशा मधुमत्यश्विना
सुनृतावती तया यज्ञं मिमिक्षताम् ।

—ऋग् १।२२।३"

"वह उच्चतम न्याय-प्राधिकारी जो भी विनिश्चय या सिपारिश करें और धार्मिक जीवन-मार्ग के नियम बनायें—जो विधि के न्यायिक निर्वचन से सम्बद्ध हों—उन्हें देश की विधियों का अंग बनाना चाहिये ।"

कितने सुन्दर शब्द हैं ?

जो मुल्क का कानून हो वह कैसा होना चाहिये ? उस के अन्दर जो बड़े बड़े जूरिस्ट और जज़ेज हों उन के जो सुन्दर फैसले हों, जो कानून का सार हो और जिस से आदमी सन्मार्ग के रास्ते पर चल सके, ऐसा कानून बनाना चाहिये । यह जो डाइरेक्टिव (आदेश) हम को दिया गया है यह हमारे वेद मंत्रों की बहुत बड़ी देन है । हमारे देश में ऐसे कानून नहीं बनते थे जैसे कि आज कल बनते हैं । हमारे यहां राइचुअसनेस (सत्य) का राज्य था, अगर हमारे यहां कोई चोरी करता था तो उस को भी सजा मिलती थी । ऋषियों की मिसालें मौजूद हैं वह तक सजा से बच नहीं सकते थे । प्राचीन काल की चोरी के मुताल्लिक़ एक किस्सा है । एक ऋषि के यहां दूसरे ऋषि पहुंचे, उन को बहुत भूख लगी थी और जो दूसरे ऋषि थे वह कहीं संध्या में लगे हुए थे । वक्त खाने का हो गया था । इस पर उस ऋषि ने बगीचे में से कुछ फल तोड़ कर खा लिये । जब दूसरे ऋषि पूजा से फारिग हो कर आय तो उन्होंने खाना तैयार किया और तैयार करने के बाद पहले ऋषि से पूछा : "भाई आ कर खाना खा लो ।" उन्होंने कहा कि मैं तो खा चुका । दूसरे ऋषि ने पूछा : क्या खाया? —उत्तर दिया आप के बागीचे में से फल तोड़ कर खा लिए । तब दूसरे ऋषि ने कहा : "हैं ! तुम ने बिना मेरी आज्ञा के फल तोड़ कर खा लिये ? यह तो चोरी का अपराध हो गया, तुम को इस का प्राय-श्चित करना चाहिये । जब भी हमारे देश में कोई आदमी अपराध करता था तो वह उस का प्रायश्चित करता था । कोई पुलिस नहीं रहती थी , वह खुद धर्म मार्ग पर चलते थे । दूसरे ऋषि ने चोरी करने वाले

[श्री आर० डी० मिश्र]

ऋषि से कहा कि तुम को चोरी का दंड पाने के लिये राज्य के अधिकारी के पास जाना होगा। जब तक राजा तुम को दंड नहीं दे देगा तब तक तुम इस अपराध से नहीं छूट सकते हो, इस के पाप से नहीं छूट सकते हो। चुनांचे वह राजा के पास गया और कहा कि मुझ से इस इस तरह से चोरी हो गई है, इस लिये मुझ को सजा दो। राजा ने कहा कि आप को कैसे सजा दूं, आप तो महात्मा हैं। उस ऋषि ने लौटकर दूसरे ऋषि से कहा कि राजा इस प्रकार कहता है। दूसरे ऋषि ने इसपर कहा कि तुम जा कर राजा से कहो कि अगर तुम राजा रहना चाहते हो तो सजा देनी होगी। तुम को अपराधों के लिये सज़ा देने का अधिकार दिया गया है, अगर तुम दंड नहीं दे सकते तो गद्दी छोड़ो। हमारे देश में ऐसी मिसालें थीं। वह आदर्श हमारा हट गया, अब तो हम दूसरी तरफ को जा रहे हैं। जाब्ता फौजदारी में मैं ने कोशिश की कि गवाहों के बयान के आगे "ट्रूली" का लफ्ज़ बढ़ा दिया जाय, ताकि गवाह तहकीकात में पुलिस अफसर के सामने सच्ची बात कहें, लेकिन वह "ट्रूली" का लफ्ज यहां हार गया। और मेरे मित्र रघुवीर सहाय ने अर्ज किया कि जाब्ता फौजदारी में लिखा है कि मुल्ज़िम झूठा-बयान देगा तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जायेगा, यह चीज़ उस में से निकाल दी जाये। लेकिन इस झूठ को उसमें से नहीं निकाला गया। झूठ की जीत हुई और ट्रूली की अर्थात (सच्चाई की) हार हो गई। इसी तरह कम्पाउंडेबल आफेन्स का मामला है। उस में क्या है? चोरी करने के बाद राजी-नामा, जायदाद बदनीयती से मुत्तकिल करने वाले अपराधों के लिये राजी नामा, यानी जो सोशल क्राइम्स थे उन सब में राजीनामा। कोई भी आदमी चाहे जो जुर्म करे, जुर्म करने वाला दबाव डाल कर या डलवा कर जिस के खिलाफ जुर्म किया गया है उस से राजी नामा कर सकता है। नतीजा यह होगा कि पचास जगह किसी ने चोरी की, एक जगह वह पकड़ा गया तो दूने पैसे मुद्दई को दिये और छूट कर आ गया। किसी औरत को छेड़ दिया, उस के मर्द को पैसे दे दिये और छूट कर आ गया। यह हमारे कानून की हालत हो रही है। जीत हो रही है चोरों की और दूसरे जुर्मों के करने वालों की। झूठ के लिये, या चोरी के लिये या चीटिंग के लिये अब यह हो गया कि मुजरिम मुद्दई को पैसे दे कर राज़ी-नामा कर ले। अब तक कानून इस की इजाज़त नहीं देता था। अब तो सिर्फ डकैती और कत्ल के जुर्म ही बच गये हैं जिन में राज़ीनामा नहीं हो सकता।

डा० काटजू: वेदों में बेनिफिट आफ डाउट के लिये भी कुछ लिखा है?

श्री आर० डी० मिश्र: वेदों में इस तरह की कोई बात नहीं थी। बेनिफिट आफ डाउट तो इंग्लिश ला में है। यह उसी जूरिज्प्रूडेन्स में है जिस को आप फालो करते रहे हैं और हिन्दुस्तान में ला रहे हैं।

मोबाइल कोर्ट (चलती हुई अदालत) इंगलैंड में होते थे, वह अब आप यहां कायम कर रहे हैं। यू० पी० में मोबाइल कोर्ट होते थे उन के सम्बन्ध में शिकायत होती थी, मोबाइल कोर्ट में न्याय नहीं होता था, सब परेशान होते थे इसलिये वे बन्द किये गए, सब जानते थे कि मोवविक्कलों को वकील नहीं मिलेंगे और जो मिलेंगे उन को बहुत पैसा देना होगा और सरकार को भी जजों और उन के अमले के सफ़र खर्च तथा मुल-जिमों को लाने-ले-जाने और पुलिस का

प्रबन्ध करने में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नतीजा यह होगा कि लोग ज्यादा परेशान होंगे और न्याय पाने के लिये मुकदमे नहीं करेंगे। आपने मोबाईल कोर्टस कायम करना ठीक समझा। इस का भी आप तजुर्बा कर लीजिए कि कितना वह कामयाब होंगे।

इस लिये मैं उम्मीद करता हूं कि जब ला कमिशन बनेगा वह हमारे देश की जरूरत और आदर्श के मुताबिक काम करेगा। सत्य की विजय के लिये जिस का आइडियल (आदर्श) हम ने अपने यहां बहुत पहले से रख रक्खा है वह कार्य करेगी। आज जो सत्य का उसूल है उस के मुताबिक आप नहीं चल रहे हैं। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो असत्य का बोलबाला रहेगा। हम ने जो 'सत्यमेव-जयते' का आदर्श आइडियल बना रक्खा है उस से सत्य की विजय अन्त में जरूर होगी ऐसा मैं समझता हूं। इस जाब्ता फौजदारी तथा अन्य कानूनों की जांच के लिए ला कमिशन बनने की बात आ गई है, वह बनेगा और हमारे देश के आदर्श के मुताबिक ऐसे सब कानून बनायगा जिस में कोई बेगुनाह सजा नहीं पावेगा, लेकिन मुजरिम बच कर न जाने पावेगा। अगर ऐसा कानून बन सका तो हमारे देश का आदर्श अच्छा बन सकेगा।

इस शब्दों के साथ मैं इस ला कमिशन बनाने की बात को खुशामदीद कहता हूं, इस का स्वागत करता हूं और गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के आदर्श के मुताबिक अपने देश का कानून बनाये

श्री टेकचन्द : सभापति महोदय, इस संकल्प के रचियता तथा इसे स्वीकार करने के लिए सरकार को मैं हार्दिक शुभकामनायें प्रस्तुत करता हूं। विधि आयोग की नियुक्ति अनिवार्य है, केवल आप की विधियों की जांच करने तथा उन में सुधार करने के लिए ही नहीं अपितु विधि की सहायता के लिए विज्ञान को आमंत्रित करने के लिए भी अनिवार्य है। सदैव ही यह दृष्टिकोण अपनाया जाता रहा कि यदि कोई यह पूछता कि "अपराध का उपचार क्या है ?" तो उत्तर मिलता "कठोर दण्ड दो।" अपराध के लिए दण्ड कोई अच्छा उपचार नहीं है। कारावास वे अन्तिम स्थान हैं जहां कोई अपराधी भेजा जा सकता है। एक महान् न्यायवेत्ता, सर पाल विनाग्रेडोफ, कहा करते थे कि दण्ड के समस्त रूपों में से कारावास का दण्ड सर्वाधिक असन्तोषजनक है। यह खेद का विषय है कि हम जब कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान की सहायता लेते हैं तो न्याय तथा दण्ड, के मामले में विज्ञान और हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार अपराधशास्त्रियों तथा दण्डाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त करें। मेरा सुझाव है कि विधि आयोग इन बातों का अध्ययन करे कि अपराधियों का जन्म क्यो होता है और वे अपराध क्यों करते हैं। किसी को अपराधी बनाने में समाज का कितना हाथ है, और अपराधों को घोर तथा अधिक बनाने के लिए हमारे कारावास कहां तक उत्तरदायी हैं। इस के अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि हमारे देश के कारावासों में वैज्ञानिक तथा मसीविद लोग हों, वे लोग हों जो अंगूठे के निशान से, छोटी छोटी बातों और छोटे छोटे निशानों से यह पता लगा सकें कि अपराधी कौन है। परन्तु हमारी प्रक्रिया सवथा भिन्न है अर्थात् अपराध की स्वीकृति प्राप्त करना, निकृष्टतम उपाय अपनाना अर्थात् उसे डराना, उस के अन्य संबंधियों को इस आशा में पकड़ना कि कदाचित उन में से कोई सत्य बता दे। यदि आप अपराधियों को मिटाना चाहते हैं, तो अपराधी को यह महसूस करना अत्याव

[श्री टेकचन्द]

श्यक है कि अपराध करना कोई लाभदायक व्यवसाय नहीं है, और केवल तब ही हो सकता है जब कि हमारी पता लगाने वाली एजेंसी उत्तम बनाई जाय।

कहा जाता है कि यह आशा की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि का ज्ञान रखता है। अज्ञान का अधिकार केवल न्यायाधीशों को है। यही कारण है कि मूल न्यायालयों की त्रुटियों की शुद्धि के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है।

डा० काटजू: क्या कोई ऐसी पूर्वधारणा है कि न्यायाधीश विधि का ज्ञाता है?

श्री टेकचन्द: मेरी पूर्व धारणा यह है कि न्यायाधीश को विधि का ज्ञान नहीं होता। यदि वह जानता होता तो कोई अपीलीय न्यायाधिकरण न होता।

फिर, हमारे देश में विधि की नजीरें इतनी दी गई हैं कि उसे देखते ही डर होने लगता है। इन नजीरों की संख्या इतनी अधिक है कि प्रत्येक मामले के लिए एक अलग विधि है। विधि आयोग को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि केवल उन्हीं न्यायिक कथनों तथा उदाहरणों को अमरत्व प्रदान किया जाये जो वास्तव में अमरत्व के पात्र हैं। अतः मेरा विचार है कि समस्या अति गूढ़ है और हमारी वैधानिक प्रणाली में किसी प्रकार की खोज तथा प्रयोग की आवश्यकता है। मैं माननीय महिला सदस्य के इस मत से सहमत हूं कि विधि आयोग में न्यायवेत्ता, वैज्ञानिक तथा अन्य व्यक्ति सम्मिलित हों, जिन के विचार विधान के विरोधी होते हैं या जो विधान के सम्पर्क में आते हैं। मैं संकल्प का सहर्ष समर्थन करता हूं।

श्री केशवैयंगार : (बंगलौर उत्तर): इस संकल्प को तैयार कराने तथा सभा में इसे प्रस्तुत करने के लिये मैं अपने माननीय सदस्य को बधाई देता हूं। इस के साथ ही मैं अपने प्रिय नेता का भी; जिन्हों ने इस संकल्प का सिद्धांत स्वीकार किया है, कृतज्ञ हूं। देश में विद्यमान न्याय प्रणाली के बारे में कोई दो मत नहीं हैं: उन में संशोधन की आवश्यकता है। विधि आयोग के सदस्यों के बारे में मैं इस सभा की महिला सदस्य के मत से पूर्णतया सहमत हूं। आशा करता हूं कि सरकार शीघ्र ही विधि आयोग की नियुक्ति के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

डा० काटजू: प्रधान मंत्री के उस बयान के पश्चात् कि संकल्प का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है परन्तु विषय बहुत ही जटिल है और दिये गये उन कुछेक भाषणों से भी यही प्रकट हो गया कि उन में से कई एक दूसरे के विरोधी हैं। विधि आयोग के क्षेत्राधिकार का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना होगा। अभी हम ने श्री टेकचन्द का जो भाषण सुना है उस के एक भाग का आशय यह प्रतीत होता है कि विधि आयोग का कार्य कारावास सुधार आयोग के रूप में कार्य करना होगा, कि बंदियों को कैसे सुधारा जाये, और यह कि इसे खोज करने वाला आयोग भी बनाना होगा——अर्थात् अपराधों का पता कैसे लगाया जाता है। विषय बहुत ही जटिल है क्योंकि सभा को मूल बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये। अंग्रेजी पद्धति के विकास के अधीन विधियां न्यायाधीशों द्वारा ही बनाई हुई हैं क्योंकि वे अधिकतर संहिता में सम्मिलित नहीं थी और संहिता में सम्मिलित न होने के कारण न्यायाधीशों को इस बात का पर्याप्त अवसर मिलता था कि वे उचित व्यवहार समानता, न्याय और एक पीढ़ी, से दूसरी पीढ़ी तथा एक देश से दूसरे देश की सद्भावना सम्बन्धी अपने

निजी स्वतंत्र के विचारों के अनुसार विधान का विकास करते। उदाहरणार्थ, भारत को लीजिए। यह ठीक है कि अंग्रेजी न्यायाधीशों ने विधियां बनाई, परन्तु उन के पीछे उन का कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं था। किन्तु, आप हिन्दू विधि के विषय पर १८११ या १८०० की किसी भी कानूनी रिपोर्ट को लें और १९५० की कोई संविधि-पुस्तक लें, तो आप को विदित होगा कि उस १५० वर्ष की अवधि में, वह सारा न्यायाधीश द्वारा बनाया गया विधान है। वे मनु हैं, आलोचक हैं, अनुवादक हैं और उन्हों ने समाज की सामयिक आवश्यकताओं तथा परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार विधि का विकास करने का प्रयत्न किया। ज्यों ही आप संहिताबद्ध विधान पर आते हैं कठिनाइयां आरम्भ हो जाती हैं। न्यायाधीशों पर आरोप लगाना बेकार है क्योंकि यद्यपि संसद् विधान का अधिनियमन करती है, फिर भी संसद् स्वयं विधान में संशोधन नहीं करती। इस का कारण यह है कि प्रत्येक न्यायाधीश कार्य करने के अपने सौगन्ध से बंधा हुआ है। न्यायाधीश कह सकता है कि अब यह विधि सर्वथा असामयिक हो गई है, कि यह उचित विधि होने के स्थान पर अनुचित विधि बन गई है और संसद् इसे कार्यान्वित करने के लिए बाध्य है। एक कठिनाइ जो हमें होती है और जो हमें हटानी चाहिए यह है कि भारत में लगभग २७ उच्च न्यायालय हैं और हमारी अखिल भारतीय संहितायें अर्थात् व्यवहार संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, साक्ष्य अधिनियम, संविदा अधिनियम आदि हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस कठिनाई को दूर करना विधि आयोग का कार्य होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायधीश विधि की एक धारा का कुछ अर्थ लगाते हैं और बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मैसूर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस का कुछ अर्थ लगाते हैं। अब संख्या बढ़ गई है—भाग 'क' राज्य, भाग 'ख' राज्य, और जहा तक त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त का सम्बन्ध है वही वहां का "उच्च न्यायालय" है। अब, जब तक किसी न्यायिक घोषणा में कोई शुद्धि नहीं की जाती या उच्चतम न्यायालय में अपील कर के उसे नहीं किया जाता, तब तक वह विद्यमान रहती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो मत धारण करता है वह उस के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त लोगों पर बाध्य करने वाला हो जाता है। इसी प्रकार बम्बई उच्च न्यायालय का मत बम्बई राज्य में रहने वाले लोगों पर बाध्य करने वाला हो जाता है, और यह देखिए कि आप के समक्ष एक समान विधि होने की विचित्र विसंगति है। संसद् द्वारा जिस विधि का अधिनियमन किया गया है वह वही है और न्यायाधीशों के दो वर्गों द्वारा दो प्रकार से उस की व्याख्या की जा रही है। यदि एक मुकदमेबाज साहस करके मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जावे और उच्चतम न्यायालय को विधि की व्याख्या करने का अवसर मिले, फिर भी यह मतभेद चलता रहेगा। यह भाषा का प्रश्न है। विभिन्न लोग उस को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं और उसी भाषा की भिन्न भिन्न व्याख्या करते हैं। मेरा विचार है कि विधि आयोग का एक काम सभी अखिल भारतीय संहिताओं का समय समय पर परीक्षण करना भी होगा। मैं इसका केवल सुझाव रख रहा हूं। विधि आयोग विधि के सारांश पर विचार करके बताये कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा १० का अर्थ यह है, पर सामाजिक न्याय की मांग और समाज की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस का संशोधन होना आवश्यक है। यह एक स्पष्ट सिफा-

[डा० काटजू]

रिश है कि विधि का संशोधन किया जाना चाहिए पर लोग यह भी कहेंगे कि यह एक विचित्र बात है, एक न्यायालय ने धारा १० की व्याख्या एक प्रकार से की है दूसरे न्यायालय ने दूसरे प्रकार से, यही बातें होती रहेंगी। अतः विधि आयोग भारतीय संविदा अधिनियम का समय समय पर परीक्षण करने का निश्चय करे। मान लीजिए १० वर्ष की अवधि तय की जाती है। विधि आयोग वर्तमान विधियों को भागों में बांट कर के यह निश्चित करे कि एक भाग का परीक्षण १९५५, दूसरे का १९५६ में तीसरे का १९५७ में हो और इसी प्रकार काम होता रहेगा। इस प्रकार वह सभी भागों को १० वर्ष में समाप्त कर लेगा और फिर नये सिरे से पुनः प्रारम्भ करेगा। परिणाम यह होगा कि प्रत्येक विधि के स्वरूप का सूक्ष्म परीक्षण उस की मतभिन्नता और सभी त्रुटियों को दूर करने की दृष्टि से किया जायेगा और तब आयोग यह निश्चय करेगा कि वह सरकार से सिफारिश करें कि संसद् विधि को इस ढंग से सरल बनाये। तब यह शंकायें और कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और उन का अग्रेतर संशोधन भी सामाजिक न्याय और राज्य कल्याण की मांग को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

आप कृपया स्मरण रखें कि यह एक कठिन विषय है। अस्पष्ट सुझावों के द्वारा इस कठिनाई को नहीं हटाया जा सकता। ज्यों ही विधि आयोग नियुक्त होगा उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक कठिनाई और बहुत बड़ी कठिनाई यही होगी जिस को मैं ने अभी अभी बताया। हम मांग कर सकते हैं कि विधि संहिताबद्ध होनी चाहिए और स्पष्ट शब्दावली में उस का स्वरूप होना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो व्याख्या का प्रश्न पैदा होगा दूसरे आप को समय समय पर पुनरीक्षण करना पड़ेगा क्योंकि केवल एक ही न्यायालय नहीं है। पुराने समय में ब्रिटिश काल में ऐसा था। अब भी ऐसा है। संविधान के एक अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी विशेष प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए उस के पास भेजे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे प्रत्येक उच्च न्यायालय मनमानी करेगा। कठिनाई यह है कि विधि आयोग के कार्य की सीमा क्या होनी चाहिए। यदि आप कहते हैं कि आयोग को अपराधियों अपराधी बच्चों और उपेक्षित बच्चों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए तो आप आयोग पर एक ऐसा बोझ लादते हैं जिसे कोई भी नहीं सह सकता। आयोग का कार्य यहीं तक सीमित होना चाहिए कि वह ध्यान रखे कि हमारी विधियां ठीक प्रकार से बनाई जायें, उन की समुचित व्याख्या हो, उन का ठीक अर्थ लगाया जाये और, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी स्थानों पर एक रूपी ढंग से उस को लागू किया जाये। अन्यथा इस की दशा बड़ी दयनीय हो जायेगी। यदि मैं एक प्रोनोट (वचन-पत्र) या बन्धिका के दावे के लिये बम्बई उच्च न्यायालय में जाता हूं तो इस आधार पर हमारा मुकदमा खारिज कर दिया जाता है कि उस पर प्रतिबन्धों द्वारा रोक लगा दी गयी है। यदि मैं सौभाग्य से उसी बन्धिका के आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मुदकमा चलाता हूं तो कलकत्ता के न्यायाधीश कहते हैं कि आप का मुकदमा समय के भीतर है और वह मुझे एक डिक्री देते हैं। इस प्रकार के मतभेद असह्य हैं और विधि आयोग को सब से पहले इस काम को करना चाहिए। विधि आयोग के नियुक्त करने की बात कई वर्षों से विचाराधीन है।

श्री चैटर्जी ने रैनकिन समिति के सम्बन्ध में कहा। कई समितियां बनाई गयीं पर प्रत्येक समिति ने विधि के प्रक्रियात्मक अंग पर ही विचार किया। रैनकिन समिति ने विलम्ब का कारण पूछा। विधि आयोग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं बताता हूं कि वह प्रक्रियात्मक समिति थी। आप को न्यायाधीशों और दण्डाधिकारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि प्रक्रिया शीघ्रतापूर्ण हो और वकीलों का व्यावसायिक आचरण भी अधिक सद्-भावना पूर्ण हो।

मेरे माननीय मित्र श्री मिश्र वेदों के सम्बन्ध में कुछ कह रहे थे। उन दिनों कोई वकील नहीं थे। (**अन्तर्बाधायें**) अपराध करने वाले अपराधी भी कहां थे? (**अन्तर्बाधायें**)

इस सभा में पिछले १५ दिनों से सभी सदस्यों ने खड़े हो कर कहा है कि अपराधी व्यक्ति से ऐसा एक भी प्रश्न न पूछा जाये जिस से वह दोषी प्रमाणित होता हो! कोई ऐसी बात न की जाय जिस से उसे दोषी प्रमाणित करने वाला बयान देना पड़े। एक अपराधारोपक बयान का क्या मतलब हैं? अपराधारोपक बयान अपराधी व्यक्ति का वह बयान होता है जिस से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह अपने अपराध को स्वीकार करता है। पर प्रत्येक सदस्य बहुत आतुर है कि उसे ऐसा कहने के लिए बाध्य न किया जाये। किसी सदस्य ने यह भी कहा कि अपराधी को कट घरे में चुपचाप खड़ा रहने दिया जाये। उसे बाध्य न किया जाय कि वह बताये कि उस ने अमुक स्त्री को ललचाई आंखों से देखा या वासनापूर्ण शब्दों से सम्बोधित किया (**अन्तर्बाधायें**) में इन बातों को समाप्त करता हूं।

मैं समझता हूं कि संकल्प का प्रस्ताव करने वाले माननीय सदस्य को बधाई दी जाये क्योंकि उन्होंने हमारा ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट किया है और हम सभी लोग उन के आभारी हैं। प्रधान मंत्री ने सरकार की ओर से संकल्प के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। मैं प्रस्ताव करने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करुंगा कि वह इन सब बातों पर विचार कर के संकल्प को लौटा लें और मैं कह सकता हूं कि कुछ ही महीनों में ऐसी कार्यवाही की जायेगी जिस से देश के लोग सन्तुष्ट हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रस्ताव करने वाला माननीय सदस्य अपने संकल्प को मतदान के लिए प्रस्तुत करना चाहता है?

डा० काटजू : वह वापस लौटाना चाहते हैं।

श्री तिम्मय्या : प्रधान मंत्री तथा गृह-मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को ध्यान में रख कर मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया जाता है अतः संशोधनों का प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिए सम्बन्धित निकाय के बारे में संकल्प

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "इस सभा की यह राय है कि सरकार तुरन्त ही एक संविहित निकाय बनाये जो कि ऐसे उद्योगों की सामान्य देखभाल तथा नियंत्रण करे जिन में सरकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का पूरा या पर्याप्त हित हो।"

[श्री राघवाचारी]

लगभग १० वर्ष पूर्व डा० लंका सुन्दरम् ने इसी प्रकार का एक संकल्प रखा था। हमारे वित्त मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे और वह इस आवश्यकता के बारे में सहमत थे। उस समय से काफी समय व्यतीत हो गया। देश में आज जो परिस्थितियां हैं उन में सरकार को अपने उद्योगों की देखभाल करना और अन्य उद्योगों को बढ़ाना बहुत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : ५ बज कर १५ मिनट हो गये। केवल दो मिनट शेष हैं। मैं सभा को सोमवार के ११ बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

इस के पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।